सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2017-18

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

www.msme.gov.in

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2017-18

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011

website: www.msme.gov.in

विषय–सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	**भूमिका**	**1-22**
	1.1 पृष्ठभूमि	1
	1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का अधिदेश	2
	1.3 संगठनात्मक संरचना	3
	1.4 हाल की नीतिगत पहलें	9
2.	**एमएसएमई क्षेत्र का सिंहावलोकन एवं कार्यनिष्पादन**	**23-40**
	2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भूमिका	22
	2.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का कार्यनिष्पादन	23
	2.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एनएसएस के 73वें दौर सर्वेक्षण (2015–16) का मुख्य परिणाम	24
	2.4 चौथी अखिल भारतीय सूलमउ गणना (2006–07) तथा एनएसएस के 73वें दौरे (2015–16) के बीच तुलनात्मक विश्लेषण	31
	2.5 नये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का पंजीकरण	33
3.	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय एवं अन्य निकाय**	**41-70**
	3.1 खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	39
	3.2 कयर बोर्ड	51
	3.3 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	58
	3.4 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी)	63
	3.5 राष्ट्रीय सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे)	66
4.	**प्रमुख स्कीमें**	**71-82**
5.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिलाओं, दिव्यांगों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए लक्षित कार्यकलाप**	**83-92**
	5.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कार्यकलाप	81
	5.2 महिलाओं के कल्याण के लिए लक्षित कार्यकलाप	84
	5.3 दिव्यांगों के लिए कल्याण	88
	5.4 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम	88
6	**सामान्य सांविधिक बाध्यताएं**	**93-97**
	6.1 राजभाषा	91
	6.2 सतर्कता	93
	6.3 नागरिक चार्टर	94
	6.4 सूचना का अधिकार	95
	6.5 यौन उत्पीड़न का निवारण	95
अनुबंध		**98-108**
1.	वर्ष 2014.15 से 2017.18 के दौरान योजना आबंटन एवं व्यय	98
2.	नोडल केन्द्रीय सूचना अधिकारियों की सूची	99
3.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कार्यालयों एवं इसके सांविधिक निकायों के संपर्क पते	101
4.	सूलमउ विकास संस्थान एवं शाखा सूलमउ विकास संस्थानों की राज्यवार सूची	102

भूमिका

37वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ), प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 14 नवम्बर, 2017 को एमएसएमई पवेलियन का उद्‌घाटन करते समय द्वीप प्रज्ज्वलित करते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री गिरिराज सिंह। इस अवसर पर सचिव, एमएसएमई, श्री अरूण कुमार पण्डा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

1.1 पृष्ठभूमि

1.1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह क्षेत्र उद्यमिता को बढ़ावा देकर तथा तुलनात्मक रूप से कम पूंजीगत लागत पर रोजगार अवसर सृजित करने वाला, कृषि के पश्चात, सबसे बड़ा क्षेत्र है और यह देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के अनुपूरक हैं और यह क्षेत्र देश के समग्र औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सूलमउ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रसार कर रहे हैं तथा घरेलू और वैश्विक बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। देश के एमएसएमई क्षेत्र के विकास और कार्यनिष्पादन का संक्षिप्त विवरण अध्याय–2 पर दिया गया है।

1.1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (सूलमउ मंत्रालय) ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा अन्य स्टेक होल्डरों के सहयोग से एमएसएमई क्षेत्र, जिसमें खादी, ग्राम तथा कॉयर उद्योग शामिल हैं, के संवर्धन और विकास द्वारा इस क्षेत्र के विकास की परिकल्पना की है। यह विकास विद्यमान उद्यमों को सहायता देकर, नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाकर और नए उद्यमों के सृजन को प्रोत्साहित करके किया जाना है। इस मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट अनुच्छेद 1.3.9 पर दिया गया है जबकि मंत्रालय द्वारा की गई नवीनतम

नीतिगत पहलों का ब्यौरा अनुच्छेद–1.4 पर दिया गया है।

1.1.3 सूलमउ मंत्रालय के तत्वावधान में अनेक सांविधिक और गैर–सांविधिक निकाय काम करते हैं, इनमें खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा कॅयर बोर्ड के अलावा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई), महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमगिरी) शामिल हैं। इन निकायों के कार्यों और कार्य–निष्पादन का ब्यौरा अध्याय–3 में दिया गया है।

1.1.4 सूलमउ मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी सहायता और उन्नयन, अवसंरचना विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता तथा विपणन सहायता को बढ़ाने पर लक्षित विभिन्न योजनाएं चलाता है। योजनाओं की विस्तृत सूची अध्याय 4 पर दी गई है।

1.1.5 मंत्रालय समेकित विकास की कार्यसूची के प्रति भी प्रतिबद्ध है तथा मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं कि इसके कार्यों से भौगोलिक और जनसांख्यकीय रूप से अलग–थलग एवं कमजोर तबकों को फायदा पहुंचे। ऐसी पहलों की संक्षिप्त जानकारी अध्याय 5 में दी गई है।

1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का अधिदेश

1.2.1 9 मई, 2007 को पूर्ववर्ती लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को मिलाकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (सूलमउ मंत्रालय) बना दिया गया था। यह मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता करने के लिए नीतियों को तैयार करता है और उनके कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रमों, परियोजनाओं और योजनाओं को बढ़ावा देता/सुगम बनाता है तथा उनकी निगरानी करता है और उन्हें विकसित होने में सहायता करता है।

1.2.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम वर्ष 2006 में अधिसूचित किया गया था ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दो के साथ.साथ इस क्षेत्र के लिए कवरेज और निवेश की सीमा संबंधी मुद्दों को हल किया जा सके। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम इन उद्यमों के विकास को सुगम बनाता है और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में भी वृद्धि करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं :–

– सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जी की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड की स्थापना। इस बोर्ड की भूमिका सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करना, केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा सूलमउ के संवर्धन और विकास हेतु उनमें प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अनुशंसा करना है।

– यह ''उद्यम''की संकल्पना, जिसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों आते हैं, को मान्यता प्रदान करने के लिए पहली बार विधिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। यह पहली बार मध्यम उद्यमों को परिभाषित करता है तथा इन उद्यमों को 3 स्तरों नामतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम में बांटता है।

– यह केंद्र सरकार को एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित करने के लिए कार्यक्रम बनाने तथा दिशानिर्देश व अनुदेश जारी करने के लिए सशक्त बनाता है।

1.2.3 **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा** : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:–

विनिर्माण क्षेत्र	
उद्यम वर्ग	**प्लांट व मशीनरी में निवेश**
सूक्ष्म उद्यम	पच्चीस लाख रुपये से अधिक नहीं
लघु उद्यम	पच्चीस लाख रुपये से अधिक मगर पांच करोड़ रुपये से अधिक न हो
मध्यम उद्यम	पांच करोड़ रुपये से अधिक मगर दस करोड़ रुपये से अधिक न हो
सेवा क्षेत्र	
उद्यम वर्ग	**उपस्करों में निवेश**
सूक्ष्म उद्यम	दस लाख रुपये से कम
लघु उद्यम	दस लाख रुपये से अधिक मगर दो करोड़ रुपये से अधिक न हो
मध्यम उद्यम	दो करोड़ रुपये से अधिक मगर पांच करोड़ रुपये से अधिक न हो

1.2.4 सूलमउ के विकास और संवर्धन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। सूलमउ मंत्रालय और इसके संगठनों की भूमिका उद्यमिता, रोजगार और आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने में और बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में सूलमउ की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढाने में राज्यों के प्रयासों में सहायता करना है।

1.3 संगठनात्मक संरचना

1.3.1 सूलमउ मंत्रालय में संबद्ध कार्यालय के रूप में विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय तथा लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) प्रभाग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग (एआरआई) प्रभाग, प्रौद्योगिकी केन्द्र (टी.सी) विंग, एकीकृत वित्त (आईएफ) विंग और डाटा एनालिटिक एंड टेक्नीकल कोऑर्डिनेशन (डीएटीसी) विंग के अलावा अन्य अधीनस्थ संगठन शामिल हैं।

राष्ट्रीय एससी/एसटी हब कन्फ्लयुएंस, नई दिल्ली में 20 सितम्बर, 2017 को माननीय उप राष्ट्रपति, श्री वेंकैया नायडु, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री गिरिराज सिंह तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्ति

1.3.2 एसएमई प्रभाग – एसएमई प्रभाग को अन्य बातों के साथ.साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड. जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है तथा राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई), जो राष्ट्रीय स्तर का स्वायत्तशासी उद्यमिता विकास/प्रशिक्षण संगठन है, के प्रशासन, सतर्कता और प्रशासनिक पर्यवेक्षण का कार्य आबंटित है। यह प्रभाग अन्य योजनाओं के साथ–साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हब, निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग तथा प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अलावा यह प्रभाग सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से लोक शिकायत एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों से संबंधित दायित्व भी निभाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से मंत्रालय की योजनाओं को बढ़ावा देने के अतिरिक्त एसएमई प्रभाग, योजना के संवर्धन के लिए मंत्रालय के मीडिया अभियान को तैयार करने से संबंधित कार्य भी करता है और इलैक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया में विज्ञापन जारी करके इसके कार्यान्वयन का कार्य भी करता है।

1.3.3 एआरआई प्रभाग – कृषि एवं ग्रामीण उद्योग प्रभाग, दो सांविधिक निकायों–खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कॅयर बोर्ड तथा महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरि) के प्रशासन का कार्य भी देखता है। यह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुज्जीवन हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) तथा नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन योजना (एस्पायर) के कार्यान्वयन पर भी नजर रखता है।

1.3.4 आईएफ विंग – आईएफविंग निम्न के लिए मंत्रालय और विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के कार्यक्रम प्रभागों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों की जांच करता है (i) विभिन्न योजनाओं के तहत निधियों को जारी करने पर सहमति, (ii) 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे योजनाओं को जारी रखने के लिए ईएफसी/एसएफसी पर टिप्पणियां प्रस्तुत करना और ईएफसी/एसएफसी बैठकों का संयोजन। यह विंग समझौता ज्ञापन/अन्य समझौतों/अनुबंधों, आदि हस्ताक्षरित होने से संबंधित अन्य विविध मामलों की भी जांच करता है।

1.3.5 डीएटीसी विंग – यह एमएसएमई क्षेत्र संबंधी आंकड़ें/सांख्यकी के विश्लेषण की देखरेख के लिए बनाया गया नया विंग है और यह एमएसएमई क्षेत्र के संबंध में साक्ष्य आधारित निर्णय प्रक्रिया के लिए तकनीकी सूचनाएं प्रदान करता है। एमएसएमई डाटाबेस के विकास और रखरखाव के लिए सभी स्टेकहोल्डरों के साथ तकनीकी समन्वय, मंत्रालय की डीबीटी योजनाओं के लिए निदेशों का पूर्ण अनुपालन, मंत्रालय में डिजीटल पेमेंट को बढ़ावा देने हेतु कार्यान्वयन और मंत्रालय के आईटी सेल की देखरेख करना इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप हैं।

1.3.6 विकास आयुक्त का कार्यालय

1.3.6.1 विकास आयुक्त का कार्यालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु अवसंरचना उपलब्ध कराने और उन्हें सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न नीतियों और विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को कार्यान्वित करता है। विकास आयुक्त (सूलमउ) का कार्यालय मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है जिसकी अध्यक्षता अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (सूलमउ) द्वारा की जाती है। यह सूलमउ विकास संस्थानों, क्षेत्रीय परीक्षण केंद्रों, फुटवियर प्रशिक्षण संस्थानों, उत्पादन केंद्रों, फील्ड टेस्टिंग स्टेशनों तथा विशेषीकृत संस्थानों के एक नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। यह निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है :–

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए नीति निर्माण में सरकार को सलाह देना।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को तकनीकी–आर्थिक एवं प्रबंधकीय परामर्श, सामान्य सुविधाएं तथा विस्तार सेवाएं प्रदान करना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता और अवसंरचना में सुधार के लिए सुविधाएं प्रदान करना।
- प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से मानव संसाधन का विकास करना।
- आर्थिक सूचना सेवाएं प्रदान करना।

1.3.6.2 प्रौद्योगिकी केन्द्र (पूर्व में टूल रूम और प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में)

मंत्रालय ने देश में उद्योग विशेषतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के विकास को उचित प्रोत्साहन देने के लिए पूरे भारत में प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किए है। उनमें से बहुत.से जर्मनी एवं डेनमार्क तथा अमेरिका सरकारों के द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से स्थापित किए गए हैं। ये पहले टूल रूम एवं प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र के नाम से जाने जाते थे। मौजूदा एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची निम्नानुसार हैः

1. सेंट्रल टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर (सीटीटीसी), कोलकाता
2. सेंट्रल टूल रूम (सीटीआर), लुधियाना
3. इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), इंदौर
4. इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), अहमदाबाद
5. इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), औरंगाबाद
6. इंडो डेनिश टूल रूम (आईडीटीआर), जमशेदपुर

7. सेंट्रल टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर (सीटीटीसी), भुवनेश्वर
8. टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (टीआरटीसी), गुवाहाटी
9. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्स (सीआईएचटी), जालंधर
10. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन (सीआईटीडी), हैदराबाद
11. इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एवं ट्रेनिंग सेंटर (ईएसटीसी), रामनगर
12. इंस्टीट्यूट फार डिजाइन इलैक्ट्रीकल मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट (आईडीईएमआई), मुंबई
13. सुगंध एवं सुरस विकास केन्द्र (एफएफडीसी), कन्नौज
14. कॉच उद्योग विकास केंद्र (सीडीजीआई), फिरोजाबाद
15. प्रक्रिया और उत्पाद विकास केंद्र (पीपीडीसी), आगरा
16. प्रक्रिया और उत्पाद विकास केंद्र (पीपीडीसी), मेरठ
17. सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीएफटीआई), आगरा
18. सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीएफटीआई), चेन्नई

18 प्रौद्योगिकी केन्द्र (टीसी) में से पहले 10 (पूर्व में टूल रूम के रूप में जाने जाते थे), टूल के डिजाइन एवं विनिर्माण, प्रिसिजन घटकों, मोल्ड, डाईयों इत्यादि के माध्यम से उद्योगों को सहयोग प्रदान करते हैं। ये टीसी टूल अभियांत्रिकी एवं विनिर्माण क्षेत्र में कुशल मानव–शक्ति प्रदान करके भी उद्योगों को सेवा प्रदान करते हैं। आज ये प्रौद्योगिकी केन्द्र अपने–अपने क्षेत्रों में काफी कुशल हैं।

एमएसएमई टीसी औरंगाबाद
जीप–62 घटकों के लिए 217 टूलों का विकास

मंत्रालय इन केंद्रों को संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ उन्हें प्रासंगिक बनाने में सहयोग देता है और समय.समय पर कैड/कैम, सीएनडी मशीनिंग, वैक्यूम हीट ट्रीटमेंट, 3.डी छपाई इत्यादि जैसी नई प्रौद्योगिकीयों को जोड़ता रहता है। ये टीसी गुणवत्ता टूल, प्रशिक्षित कर्मचारियों, टूलिंग एवं संबंधित क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करके उद्योगों के संबंधित क्षेत्रों में एकीकृत विकास करने पर फोकस करते हैं।

शेष प्रौद्योगिकी केन्द्र (पूर्व में प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र के नाम से जाने जाने वाले) एमएसएमई से संबंधित क्षेत्रों मे सहयोग देने वाले उत्पाद विशिष्ट केन्द्र हैं। ये फोर्जिंग एवं फाउंड्री, इलैक्ट्रॉनिक्स, इलैक्ट्रीकल्स/विद्युत मापन, उपकरणों, सुगंध एवं सुरस, काँच, पादुका (फुटवियर) एवं खेल के सामान जैसे उत्पाद विशिष्ट समूह के प्रशिक्षण के अलावा प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया एवं उत्पादों के विकास एवं उन्नयन के लिए तकनीकी सेवाओं द्वारा उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं।

प्रौद्योगिकी केन्द्र एमएसएमई को जटिल उपकरणों, हिस्सों तथा घटकों के लिए डिजाइन, विकास एवं विनिर्माण सहयोग देने के अलावा देश के रणनीतिक महत्व के अंगों जैसे रक्षा, एयरो इत्यादि को उनके अनुसंधान एवं विकास की जरूरतों में सहयोग देते हैं।

भारत के अंतरिक्ष मिशन में सभागिताः चन्द्रयान-II (मून लैंडर)

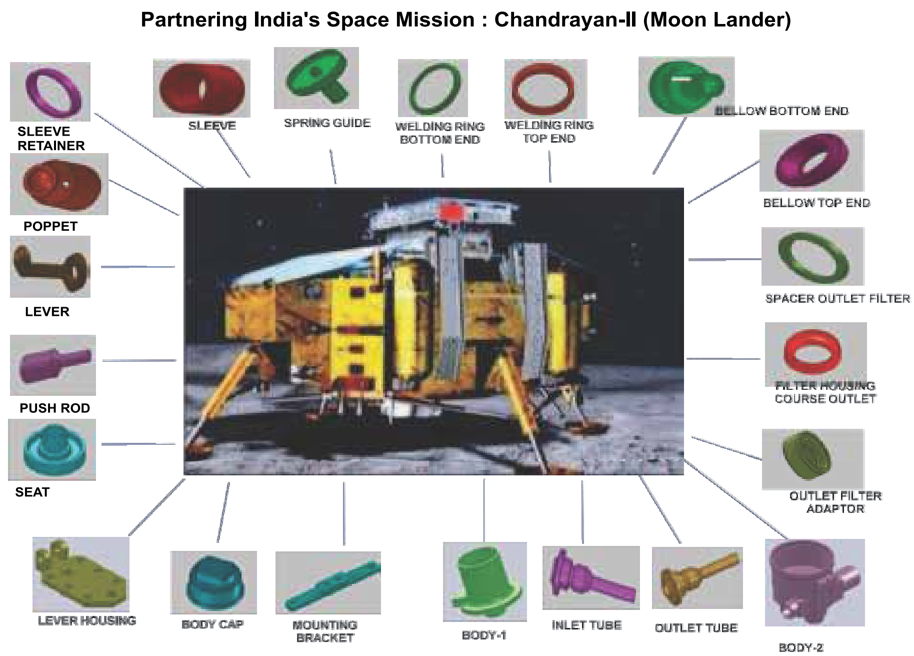

एमएसएमई टीसी भुवनेश्वर
चन्द्र मिशन के लिए घटकों का विकास

प्रौद्योगिकी केन्द्रों की सोच उद्योगों के विकास के लिए समन्वित समाधान, बेहतर संरचना, मॉड्यूलर एवं व्यावहारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रावधान पर आधारित है, सभी पाठ्यक्रम नियमित रूप से वैश्विक उन्नत प्रौद्योगिकियों की प्रगति के साथ अद्यतन रखे जाते हैं। उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पात्रता के लिए स्कूल छोड़ चुके छात्रों से लेकर एमटेक स्तर तक के लोग पात्र होते हैं। प्रौद्योगिकी केन्द्र चलाये जा रहे विभिन्न स्तर के पाठ्यक्रम जैसे प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उद्योगों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं जो इसके दीर्घावधिक प्रशिक्षिर्णाथियों के लगभग 80% प्लेसमैंट से सुस्पष्ट हो जाता है। अनेक उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं ने अपने स्वयं के उद्यम स्थापित कर लिए हैं और इस प्रकार वे देश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रहे हैं।

सीएनसी प्रशिक्षण खंडरू एमएसएमई टीसी औरंगाबाद

प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों की सहायता करने के अलावा एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों ने जिम्बाब्वे, म्यांमार, श्रीलंका, तजाकिस्तान आदि जैसे विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी केन्द्रों और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटरों की स्थापना के साथ.साथ प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय असाइनमेंट भी सफलतापूर्वक पूरे किए हैं।

सभी प्रशिक्षण केन्द्र टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट (टीक्यूएम) के सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं। ये संस्थान ISO-9001-2000 प्रमाणित संस्थान हैं तथा उनमें से कुछ ISO-14001, OHSAS-18001, ISO-29990, ISO/IEC-17025:2005 तथा ISO-50001 प्रमाणित हैं। केन्द्रीय टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्र, भुवनेश्वर भी एयरोस्पेस कंपोनेंट की आपूर्ति के लिए AS-9100 प्रमाणित है।

1.3.7 **अन्य प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियां हैं**– राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कॅयर बोर्ड तथा एक प्रशिक्षण संस्थान नामतः राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे); हैदराबाद तथा महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमगिरी), वर्धा– सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी।

1.3.8 **राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई)** सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत स्थापित किया गया था। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की जांच करता है, विद्यमान नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करता है तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में सरकार को अनुशंसा करता है।

1.3.9 इस मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना निम्नलिखित है :–

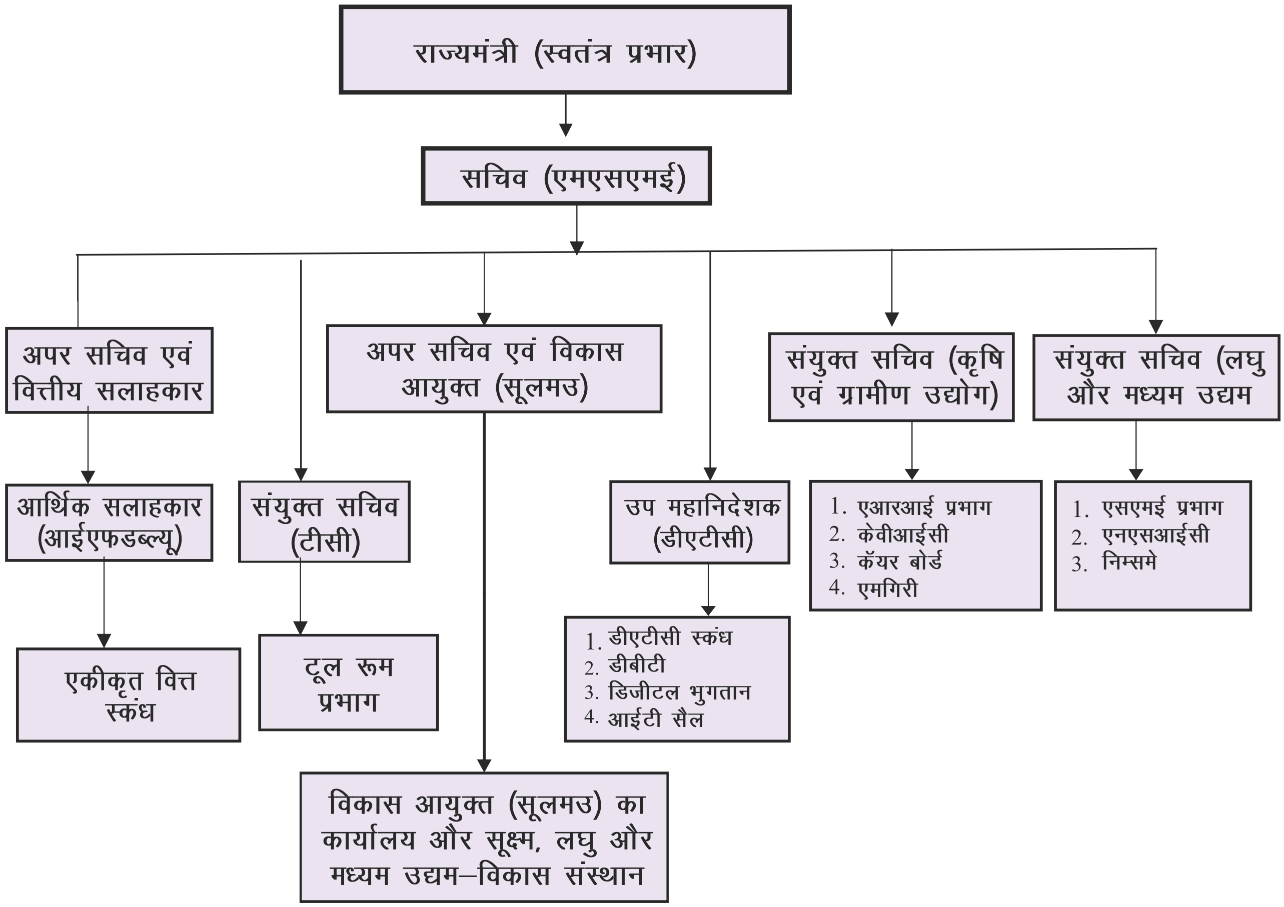

1.4 हाल के नीतिगत पहल

1.4.1 एमएसएमई के पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण–उद्योग आधार ज्ञापन

1.4.1.1 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 03.10.2014 के अपने 'मन की बात' में दिए गए सुझाव के आधार पर एमएसएमई के पंजीकरण को सरल करने के लिए प्रपत्रों के सरलीकरण हेतु एमएसएमई मंत्रालय ने सरल एक पृष्ठ का पंजीकरण फार्म उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) अधिसूचित किया है। वित्तीय संरचना पर कामत समिति की सिफारिशों तथा राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड, एमएसएमई पर सलाहकार समिति एवं विभाग संबंधी स्थायी संसदीय समिति इत्यादि की टिप्पणियों/अनुमोदनों के आधार पर सभी राज्यों तथा हितधारकों के परामर्श से एक पृष्ठ का सरलीकृत 'यूएएम' फार्म तैयार किया गया है ।

1.4.1.2 भारत में एमएसएमई के लिए व्यापार को आसान करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यूएएम ने संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ उद्यमियों के ज्ञापन (ईएम भाग–I और II) को भरने का तरीका बदल दिया है। अब एमएसएमई उद्यमियों को विशेष उद्योग आधार नंबर (यूएएम) प्राप्त करने के लिए केवल एक पृष्ठ की सहज ऑनलाइन यूएएम फाइल http://udyogaadhaar.gov.in भरनी होती है। इसमें मांगी गई सूचना स्व–प्रमाणन के आधार पर दी जा सकती है और यूएएम के ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती है।

10.01.2017 और 30.06.2017 को संशोधन प्रावधान सहित नई विशेषताओं के समावेशन के लिए संशोधित अधिसूचना जारी की गई।

1.4.1.3 सितंबर, 2015 से 38.95 लाख (दिसंबर 2017 तक) से अधिक यूएएम दर्ज किए गए हैं। 'यूएएम' फार्म फाइल करने से एमएसएमई क्षेत्र के अंदर इसकी उप–श्रेणियों जैसे विनिर्माण, सेवाएं, उद्यम, रोजगार रूझान तथा निवेश के ब्यौरे में इस क्षेत्र के रूझान तथा इसकी रूझान को मॉनीटर करने में अपनी क्षमता में इजाफा करने के संबंध में एमएसएमई मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना में आशातीत वृद्धि हुई है।

1.4.2 एमएसएमई का पुनरूज्जीवन तथा पुनर्वास के लिए फ्रेमवर्क

एमएसएमई के खातों में दबाव का समाधान करने के लिए सरल तथा तेजी से काम करने वाला तंत्र प्रदान करने तथा एमएसएमई के संवर्धन एवं विकास को सुगम बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने राजपत्र अधिसूचना, दिनांक 29 मई, 2015 द्वारा 'सूक्ष्म' लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुज्जीवन तथा पुनर्वास के लिए फ्रेमवर्क अधिसूचित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार फोलो–अप के बाद दिनांक 17.3.2016 को बैंकों को दिशा–निर्देश भी जारी किए हैं। इन दिशा–निर्देशों में बैंको को एमएसएमई के पुनरूज्जीवन एवं पुनर्वास के लिए सुधारात्मक कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए 30 जून, 2016 तक एक ढॉचा तैयार करने के लिए कहा गया है।

1.4.3 एमएसएमई डाटा बैंक

एमएसएमई के संवर्धन और विकास को सुगम बनाने और उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 29.07.2016 को गजट अधिसूचना सं. 750 (ई) के द्वारा एमएसएमई विकास (सूचना प्रस्तुतिकरण नियम 2016) अधिसूचित किया है। इसके द्वारा सभी एमएसएमई को केन्द्र सरकार को उसके द्वारा रखरखाव किये जाने वाले डाटा बैंक www.msmedatabank.in में अपने उद्यम से संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रस्तुत करनी है। इस डाटाबैंक से एमएसएमई मंत्रालय अपने द्वारा संचालित सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग और सुव्यवस्थित करने और लाभ सीधे एमएसएमई को हस्तांतरित करने में सक्षम हो सकेगा। इससे विभिन्न मानदंडों के तहत एमएसएमई की स्थिति के बारे में रियल टाइम सूचना भी प्राप्त हो सकेगी। डाटा बैंक एमएसएमई इकाइयों के लिए मददगार है क्योंकि इससे वे अपने उद्यम से संबंधित सूचना जब और जहां आवश्यक हो बिना किसी कार्यालय में गए अद्यतन कर सकते हैं और साथ ही अपने उत्पादों/सेवाओं से संबंधित सूचना भी अपडेट कर सकते हैं, जिसे सरकारी विभागों द्वारा भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत खरीद करने के लिए एक्सेस किया जा सकता है। एमएसएमई डाटा बैंक के तहत यह अधिसूचना जारी होने के बाद से अब तक 1.22 लाख से अधिक इकाइयों ने (दिसंबर, 2017 तक) पंजीकरण कराया है।

1.4.4 माई एमएसएमई

उद्यमों द्वारा विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने को सुलभ बनाने के लिए इस कार्यालय ने 'माईएमएसएमई' नाम का एक वेब आधारित एप्लीकेशन माड्यूल शुरु किया है। इसे मोबाइल एप के रूप में भी परिवर्तित किया गया है। उद्यमी अपने.अपने मोबाइल पर भी अपने एप्लीकेशनों को देख पायेंगे तथा उन्हें ट्रैक कर सकेंगे।

1.4.5 एमएसएमई मंत्रालय में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)

भारत सरकार की सभी कल्याणकारी और सब्सिडीयुक्त योजनाओं को सरकार की डिलीवरी सिस्टम में सुधार लाने के उद्देश्य से मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार लाकर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली के तहत

लाया गया है। इसका उद्देश्य निधियों का सरल और सहज प्रवाह सुनिश्चित करना, लाभार्थियों तक सही लक्ष्य सुनिश्चित करना, पुनरावृत्ति को दूर करना और जालसाजी को समाप्त करना है। डीबीटी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय में डीबीटी मिशन नोडल बिन्दु के रूप में कार्यरत है। वर्ष 2017–18 में एमएसएमई मंत्रालय की सभी 22 योजनाओं को डीबीटी भारत पोर्टल पर डाल दिया गया है जिनमें से 1 स्कीम (नामतः ट्रेड स्कीम) को बाद में समाप्त कर दिया गया है।

1.4.5.1 लाभार्थियों के भिन्न–भिन्न प्रकार अर्थात् नकद, अन्य रूप में अथवा मिश्रित (अर्थात नकद एवं अन्य रूप में) के आधार पर स्कीमों को श्रेणीवार बांटा गया है। नीचे दी गई तालिका में लाभ के प्रकार के साथ डीबीटी अनुमत्य स्कीम, लाभार्थियों की संख्या और कुल अंतरित निधियां/वहन किया गया व्यय दर्शाया गया है :

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभार्थी प्रकार	लाभार्थियों की संख्या (दिसंबर, 2017 तक)	कुल व्यय (लाख रू. में) (दिसंबर 2017 तक)
1	एटीआई स्कीम (प्रशिक्षण घटक)	अन्य रूप में	1671	296
2	विपणन सहायता योजना	नकद	334	81.36
3	कॅयर उद्यमी योजना	नकद	319	811
4	खादी संस्थानों को एमपीडीए अनुदान	नकद	342981	6085
5	कॅयर विकास योजना	नकद	1199	32.11
6	स्फूर्ति–एसआई	अन्य रूप में	50000	1203
7	पीएमईजीपी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	नकद	26072	72073
8	क्रेडिट गारंटी स्कीम	अन्य रूप में	2916910	8200
9	खादी और पॉलीवस्त्र के लिए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र – आईएसईसी	नकद	1305	1314
10	राष्ट्रीय पुरस्कार	नकद	50	50
11	एमडीपी–ईडीपी–कौशल विकास	नकद और अन्य रूप में	15236	223.53
12	जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट (ज़ेड)	नकद और अन्य रूप में	58	1015.24
13	एमएसएमई के माध्यम से प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन समर्थन–टीईक्यूयूपी	नकद	1	0
14	विक्रेता विकास कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय /राष्ट्रीय कार्यशाला / संगोष्ठी को छोड़कर एमएटीयू योजना	नकद	129	50.55

क्र.सं.	योजना का नाम	लाभार्थी प्रकार	लाभार्थियों की संख्या (दिसंबर, 2017 तक)	कुल व्यय (लाख रू. में) (दिसंबर 2017 तक)
15	क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना सीएलसीएसएस	नकद	4081	283444.16
16	एमएसएमई के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों पर आईपीआर जागरूकता	अन्य रूप में	417	0
17	एमएसएमई के लिए लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना	अन्य रूप में	1091	321.82
18	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए डिजाइन विशेषज्ञता हेतु डिजाइन क्लिनिक योजना	नकद	112	50.53
19	इनक्यूबेटरों के माध्यम से एसएमई के उद्यमिता और प्रबंधकीय विकास के लिए इंक्यूबेशन केंद्र समर्थन	अन्य रूप में	56	80.74
20	निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग योजना	नकद	11424	25836.7
21	आईसी योजनाएं	नकद	567	2993.7
22	महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता एवं विकास टीआरईएडी योजना	2017–18 के दौरान बंद कर दी गई ।		

*इस योजना के लिए लागू डीबीटी घटक काफी कम है इसलिए फंड ट्रांसफर शून्य है ।

1.4.5.2 डीबीटी के महत्वपूर्ण निष्पादन सूचकों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

- **लाभग्राही अंकीयकरण (आधार सीडिंग एवं वैधीकरण सहित)** : 8 स्कीमों में शतप्रतिशत लाभार्थियों का अंकीयकरण का कार्य पूरा हो चुका है। शेष स्कीमों में यह कार्य शत–प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है।

- **निधियों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरण** : सभी स्कीमों में निधियां पीएफएमएस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से हस्तांतरित की जा रही हैं। इस प्रकार शत–प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लेन–देन करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है।

- **डीबीटी भारत पोर्टल के साथ एमआईएस विशिष्ट एकीकरण स्कीम** : स्कीम विशिष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और डीबीटी भारत पोर्टल के साथ इसका एकीकरण का कार्य भी सभी 21 योजनाओं के लिए पूरा होने की स्थिति में है।

- **आधार अधिनियम की धारा 7/57 के तहत स्कीमों की अधिसूचना** : आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7/57 के तहत स्कीमों की अधिसूचना जारी होने का कार्य भी प्रगति पर है।

1.4.6 जीएसटी रोलआउट और एमएसएमई मंत्रालय

एमएसएमई मंत्रालय ने जीएसटी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए विस्तृत व्यवस्था की थी । सभी हितधारकों को शामिल करते हुए निम्नलिखित कदम उठाए गए :

मंत्रालय के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय संगठन, नामतः, विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), 3 कॅयर बोर्ड, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) ने अपने–अपने कार्यालयों में जीएसटी सेल खोले हैं ताकि जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर एमएसएमई को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जा सके। एमएसएमई मंत्रालय और इसके फील्ड संगठनों द्वारा कार्यशालाओं के माध्यम से जीएसटी के विभिन्न पहलुओं के संबंध में 20000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

13 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में एमएसएमई मंत्रालय की जीएसटी पर तैयारी के संबंध में राष्ट्रीय कार्यशाला में तत्कालीन केन्द्रीय सूलमउ मंत्री श्री कलराज मिश्र। इस अवसर पर सूलमउ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरिराज सिंह एवं तत्कालीन राज्य मंत्री श्री हरिभाई पारथी भाई चौधरी तथा अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

- लघु उद्योग समाचार का एक विशेष संस्करण प्रकाशित किया गयाए जो पूरी तरह से जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर समर्पित है और http://dcmsme.gov.in/Laghu Udyog Samachar.html पर ऑनलाइन उपलब्ध है ।
- सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय के इंटरनेट शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीएमएस) में जीएसटी के लिए एक विशिष्ट विंडो पहले ही शुरू की जा चुकी है, जिस पर उपर्युक्त जीएसटी से संबंधित एमएसएमई लिंक http://igms.msme.gov.in/Mymsme/grievance/COM. पर जाया जा सकता है ।
- मंत्रालय ने पूछताछ के लिए एनएसआईसी में 24x7 हेल्पलाइन की स्थापना की है ।

- मंत्रालय ने सभी संघों के साथ एक विस्तृत परामर्श कार्यशाला भी आयोजित की है जिसमें जीएसटी परिषद के एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों ने एक प्रस्तुति दी और 13.07.2017 को फिक्की सभागार में इस क्षेत्र से संबधित प्रश्नों और समस्याओं का निवारण किया।

1.4.7 डिजिटल भुगतान

1.4.7.1 भारत सरकार, कम नकदी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और सुविधाजनक तरीके से भारत के सभी नागरिकों को निर्बाध डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है। भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक वर्ग को डिजिटल भुगतान सेवाओं से जोड़ने के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ताकि देश के सभी वर्ग के नागरिकों को डिजिटल भुगतान सेवा के औपचारिक स्वरूप के अधीन लाया जा सके। इसका विजन, भारत के सभी नागरिकों को सहज, आसान, सस्ती, त्वरित और सुरक्षित तरीके से सहज डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करना है ।

1.4.7.2 पहल में भागीदार के रूप में, एमएसएमई मंत्रालय ने संपूर्ण एमएसएमई तंत्र को पूरी तरह डिजिटल समर्थ करने के लिए कई पहलें की हैं । सचिवों की समिति (सीओएस) की सिफारिशों और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सचिव (एमएसएमई) की अध्यक्षता में इस मंत्रालय में डिजिटल भुगतान से संबंधित समिति गठित की गई है ताकि मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जा सके और वे डिजिधन मिशन के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर नजर रख सके।

- अपने सभी संबद्ध कार्यालयों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सभी कार्यालय डिजिटल रूप से सक्षम किए गए हैं।

- उद्योग आधार ज्ञापन के तहत पंजीकृत एमएसएमई के लिए भुगतान के विभिन्न तरीकों जैसे भीम, यूपीआई और भारत क्यूआर कोड के भिन्न–भिन्न रूपों की सरलता और फायदों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना।

- मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों (केवीआईसी, कॅयर बोर्ड, एनएसआईसी, एमगिरी, निम्समे, के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान डिजिटल भुगतान के थोक लेनदेन की कुल संख्या कुल लेनदेन की 89ः थी तथा इन डिजिटल लेनदेन का मूल्य कुल मूल्य के 99 प्रतिशत से अधिक था ।

1.4.8 शिकायत निगरानी

माननीय प्रधान मंत्री जी की सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाना रहा है। मंत्रालय सभी शिकायतों को केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पर देखता है तथा सीपीजीआरएएमएस पर लंबित शिकायतों की संख्या 31.12.2017 तक 61 है। मंत्रालय में प्राप्त अन्य शिकायतों और सुझावों को ट्रैक करने और मॉनिटर करने के लिए मंत्रालय ने एक एमएसएमई इंटरनेट शिकायत निगरानी प्रणाली (ई–समाधान) को शुरू किया है।

1.4.9 एमएसएमई समाधानः एमएसई को विलंबित भुगतान का समाधान करने के लिए :

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 15–24 में एमएसई आपूर्तिकर्ताओं को खरीदार द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के विलंबित भुगतान से संबंधित प्रावधान है।

यदि भुगतान करने में 45 दिनों से अधिक की देरी होती है तो एमएसई आपूर्तिकर्ता अधिनियम के तहत गठित सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल (एमएसईएफसी) से संपर्क कर सकते हैं । एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत, आपूर्तिकर्ता इकाइयों को विलंबित भुगतान पर रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर की तीन गुनी राशि मासिक शेष पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करेगा।

एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिएए एमएसएमई मंत्रालय ने 30 अक्टूबर, 2017 को एक पोर्टल (http://samadhan.msme.gov.in/) लॉन्च किया है । यह पोर्टल सीपीएसई/केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों आदि तथा अन्य खरीददारों के पास एमएसई के लंबित भुगतान की जानकारी देता है। केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संगठनों के संबंध में विलंबित भुगतान के मामलों को मॉनिटर करने के लिए लॉग इन करने हेतु उपयोगकर्ता–आईडी और पासवर्ड प्रदान किए गए हैं। यह पोर्टल एमएसई को विलंबित भुगतान से संबंधित अपनी शिकायतों को ऑनलाइन फाइल करने में भी मदद करता है। किसी भी मामले के ऑनलाइन फाइल होने के 15 दिनों के पश्चात यह स्वतः संबंधित एमएसईएफसी में पंजीकृत हो जाता है।

30 अक्तूबर, 2017 को एमएसएमई समाधान पोर्टल के प्रारंभ होने की तारीख से अब तक विलंबित भुगतान से संबंधित 2927 आवेदन दाखिल किए जा चुके हैं। ये मामले 744.65 करोड़ रु. की राशि के हैं। इस पोर्टल ने विक्रेता और क्रेता के बीच विलम्बित भुगतान के मामलों के पारस्परिक सहमति से निपटान में भी सहायता की है। 105 पारस्परिक मामले निपटाये गए जिनमें 8.87 करोड़ रु. की राशि शामिल थी। राज्यों में एमएसई–सुविधा परिषदों द्वारा आवेदनों को मामलों में बदला जा रहा है। 31.01.2018 तक 264 आवेदनों को मामलों के रूप में बदला जा चुका है। इससे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विलम्बित भुगतान संबंधी अपने मामलों को सीधे फाइल करने का अधिकार मिला है। इसकी निगरानी संबंधित मंत्रालयों/सीपीएसई और राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है।

1.4.10 एमएसएमई–संबंध

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति अधिसूचित की है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. के उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों से 4% खरीद सहित एमएसई से 20% वार्षिक खरीद करना अनिवार्य किया गया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए मंत्रालय ने हाल ही में दिनांक 08.12.2017 को सार्वजनिक खरीद पोर्टल ''एमएसएमई–संबंध'' लांच किया है।

8 दिसंबर, 2017 को माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में खरीद पोर्टल– एमएसएमई संबंध की शुरूआत की। सचिव एमएसएमई, डॉ अरुण कुमार पण्डा और सुश्री सीमा बहुगुणा सचिव, लोक उद्यम मंत्रालय, और अपर सचिव एवं विकास आयुक्त, एमएसएमई, श्री राम मोहन मिश्रा भी हैं।

यह पोर्टल केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा खरीद की निगरानी में सहायता करेगा तथा उन्हें एमएसई से उत्पादों/सेवाओं की अपेक्षित सूची साझा करने में सक्षम बनाएगा। पोर्टल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को पोर्टल पर प्रमाणित पहुँच प्रदान की गई है।
- पोर्टल पर सीपीएसई की खरीददारी का वार्षिक लक्ष्य अपलोड किया जाएगा और यह पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहेगा।
- एमएसई से सीपीएसई द्वारा खरीद का मासिक अद्यतन ।
- अ.जा./अ.ज.जा. स्वामित्व वाले एमएसई से सीपीएसई द्वारा खरीद का मासिक अद्यतन ।
- मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसई के प्रमुख द्वारा निगरानी के लिए रिपोर्ट।
- सीपीएसई द्वारा खरीदी गई वस्तुएं – संबंध पोर्टल से सीपीएसई वेब पेज के लिए हाइपरलिंक पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहेगा।

108 सीपीएसई ने 01 फरवरी, 2018 तक अपने वार्षिक खरीद लक्ष्यों को अपलोड कर दिया था। इन सीपीएसई ने 85,619 करोड़ रु. के वार्षिक खरीद लक्ष्य की जानकारी दी है। 88 सीपीएसई ने 62695 करोड़ रु. की अपनी वार्षिक खरीद की जानकारी दी है। सभी एमएसई से 14,334 करोड़ रु. की राशि खरीद की गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से 267 करोड़ रु. की खरीद होने की सूचना है। सीपीएसई ने यह जानकारी भी दी है कि इन खरीदों में 50,427 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने अपना योगदान दिया है। इन खरीदों में 1084 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले हैं।

1.4.11 प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी)

देश में प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क के विस्तार एवं उन्नयन के लिए एमएसएमई मंत्रालय देश भर में 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों (टी.सी.) की स्थापना तथा मौजूदा टी.सी. के उन्नयन के लिए विश्व बैंक की 200 मिलियन यूएस डॉलर ऋण सहायता सहित लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत से प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) का कार्यान्वयन कर रहा है।

टीसीएसपी की अवधारणा निम्न घटकों के साथ एक अभिनव इको–सिस्टम तैयार करने के लिए की गयी है जिससे वे एक दूसरे के साथ मिलकर मूल्य सृजन करेंगे :

1. वास्तविक अवसंरचना की स्थापनाः इसमें 15 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना और मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्रों के उन्नयन/आधुनिकीकरण शामिल हैं।
2. विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी क्लस्टर प्रबंधक (टीसीएम) को शामिल करना ताकि क्षेत्र–विशेष प्रौद्योगिकी केन्द्रों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिल सके तथा उन्हें इस प्रकार एमएसएमई और संस्थानों के साथ जोड़ने में सहायता मिल सके।
3. प्रौद्योगिकी केंद्रों में ईआरपी के कार्यान्वयन के अलावा एमएसएमई की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए एक तकनीकी मंच बनाने के लिए एक वेब पोर्टल की स्थापना करना।

कार्यक्रम की स्थितिः

- इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन 15 जनवरी, 2015 से प्रारंभ हुआ।
- 10 नये प्रौद्योगिकी केन्द्रों के निर्माण कार्य रोहतक, भिवाड़ी, बद्दी, बेंगलुरु, दुर्ग, पुडुचेरी, विशाखापत्तनम, सितार गंज, भोपाल एवं कानपुर में शुरू हुआ। तीन मौजूदा प्रौद्योगिकी केन्द्रों के निर्माण कार्य भुवनेश्वर, मुम्बई और औरंगाबाद मे भी शुरू हुआ। इन प्रौद्योगिकी केन्द्र के निर्माण की अनुमानित लागत 600 करोड़ रु. हैं।
- सीटीटीसी भुवनेश्वर, आईजीटीआर औरंगाबाद और इड्मी मुम्बई के आधुनिकीकरण के लिए 44 अत्याधुनिक मशीनों और उपकरणों की खरीद की गई है। ये मशीनें इस उद्योग को विश्वस्तरीय सेवाएं प्रदान करने वाली अत्याधुनिक मशीनें हैं।
- सीटीआर लुधियाना, सीआईएसटी जालंधर, आईजीटीआर इंदौर, सीआईडीटी हैदराबाद, सीटीटीसी कोलकाता और आईडीटीआर जमशेदपुर के आधुनिकीकरण के लिए 122 विश्वस्तरीय मशीनें खरीदी जा रही हैं।

यह परियोजना वर्ष 2020–21 तक पूरी होनी है। आशा है कि इस परियोजना की समाप्ति के बाद परियोजना केन्द्रों के नेटवर्क की प्रशिक्षण क्षमता वर्तमान 1.5 लाख प्रतिवर्ष से बढ़कर 2.5 लाख प्रतिवर्ष हो जाएगी। नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों, परामर्श, इंक्यूबेशन, टोलिंग सपोर्ट तथा अन्य उत्पादन संबंधी सेवाएं भी प्रदान करेंगे। यह परियोजना देश भर में एमएसएमई की वृद्धि और विकास के लिए एक इको सिस्टम तंत्र भी उपलब्ध कराएगी। इंफाल में सुगंध और सुरस केन्द्र की स्थापना एवं कृषि उत्पादों से मूल्यवर्धित उत्पादों के इको सिस्टम के सृजन से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र सीटीटीसी भुवनेश्वर द्वारा तेजस एयरक्राफ्ट में ईंधन लाइन प्रतिस्थापन यूनिट

1.4.12 उद्योगों के साथ भागीदारी

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मरम्मत और रखरखाव में युवाओं को कुशल बनाने के लिए सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के साथ हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन के अलावा ईआरपी एसएपी बिजनेस वन मॉड्यूल में युवाओं को कुशल बनाने के लिए विकास आयुक्त (एमएसएमई) ने एसएपी इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कौशल विकास कार्यक्रम एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों द्वारा संचालित किए जाते हैं।

1.4.13 अंतर्राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन

1.4.13.1 एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग के लिए वर्ष 2017–18 के दौरान विदेशों के साथ सरकार से सरकार स्तर पर कोई भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किया है।

1.4.13.2 श्री गिरिराज सिंह, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सूलमउ मंत्रालय, भारत सरकार तथा डा. मुस्तफा मोहम्मद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्री, मलेशिया सरकार भी 25.01.2018 को सूलमउ क्षेत्र में सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एवं एसएमई कार्प, मलेशिया के बीच हुए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह में उपस्थित थे। इस समझौता ज्ञापन पर एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री रवीन्द्रनाथ तथा एसएमई कार्य, मलेशिया के सीईओ डा. हासफ हाशिम ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर श्री अरूण कुमार पण्डा, सचिव (सूलमउ) एवं सूलमउ मंत्रालय, भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय, मलेशिया के अधिकारी भी उपस्थित थे।

25 जनवरी, 2018 को नेटवर्किंग इवेंट नई दिल्ली में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री गिरिराज सिंह और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्री (एमआईटीआई), मलेशिया, डैटो श्री मुस्तपा बिन मोहम्मद, एसएमई व्यवसाय नेटवर्किंग कार्यक्रम में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए। इस अवसर पर सचिव, एमएसएमई, श्री अरुण कुमार पंडा भी उपस्थित रहे।

1.4.14 एमएसएमई के लिए सेवा का प्रावधान हेतु एनएसआईसी के साथ समझौता ज्ञापन

दिनांक 08.06.2017 को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) ने वर्ष 2017–18 के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन में वर्ष 2017–18 के दौरान निगम के प्रचालन संबंधी निष्पादन में वृद्धि के साथ देश में एमएसएमई के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत एनएसआईसी द्वारा बेहतर सेवाओं के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। एनएसआईसी को वित्त वर्ष 2017.18 के लिए बहुत अच्छी श्रेणी प्रदान की गई है।

1.4.15 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा

1.4.15.1 एमएसएमई मंत्रालय ने 1 दिसंबर से 15 दिसंबर, 2017 तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। दिनांक 15.12.2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरिराज सिंह जी ने स्वच्छता पुरस्कार वितरित किए। औद्योगिक कलस्टरों, उद्योग संघों और एमएसएमई कार्यालयों को स्वच्छ भारत अभियान में अपने योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉ. अरुण कुमार पंडा. सचिव (एमएसएमई) और श्री परमेश्वरन अय्यर, सचिव, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (डीडब्ल्यूएस) के साथ–साथ अन्य सम्मानित और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थति थे।

15 दिसंबर, 2017 को नई दिल्ली में एक समारोह में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री गिरिराज सिंह स्वच्छता पुरस्कार 2017 देते हुए। एमएसएमई के सचिव, श्री अरुण कुमार पंडा और सचिव, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, श्री परमेश्वर अय्यर भी उपस्थित रहे।

1.4.15.2 पहली बार मंत्रालय द्वारा देशभर में स्थित अपने अधीनस्थ फील्ड कार्यालयों और संगठनों के माध्यम से स्वच्छता पखवाड़ा का भव्य आयोजन किया गया। स्वच्छता पर नई और अभिनव प्रौद्योगिकी पर जागरूकता अभियान और सेमिनार आयोजित किए गए। विद्यालयों के बच्चों को भी विभिन्न क्रियाकलापों जैसे वृक्षारोपण, चित्रकला, प्रतियोगिता, निबंध एवं स्लोगन लेखन प्रतियोगिता इत्यादि में शामिल किया गया। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2014 में महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किए जाने से भारत के प्रति विश्व का दृष्टिकोण बदला है। एमएसएमई मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालय नियमित रूप से न केवल संबंधित कार्यालयों में बल्कि औद्योगिक कलस्टरों, औद्योगिक क्षेत्रों में माननीय प्रधानमंत्री जी के महान विजन को साकार करने के लिए स्वच्छता अभियान का आयोजन कर रहे हैं। अपगामी उपचारी संयंत्र की स्थापना करने और अपशिष्ट प्रबंध तकनीक को अपनाने की महत्ता के बारे में एमएसएमई में जागरूकता पैदा की जा रही है। स्वच्छता के लिए औद्योगिक कलस्टरों, औद्योगिक क्षेत्रों एवं कार्यालयों बीच स्वस्थ–प्रतिस्पर्धा पैदा करने की यह एक पहल है।

1.4.16 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब :

1.4.16.1 एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 25.07.2016 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) हब की स्थापना के लिए एक योजना अनुमोदित की है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 18.10.2016 को लुधियाना, पंजाब में इस हब का औपचारिक आरंभ किया गया। केंद्र सरकार की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सार्वजनिक खरीद नीति आदेश–2012 के तहत दायित्वों को पूरा करने हेतु अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों को व्यावसायिक समर्थन देने, उपयुक्त व्यापार पद्धतियों को अपनाने और स्टैंड–अप इंडिया पहलों से लाभ उठाने के लिए हब की स्थापना की गई है। 2016–17 से 2019–20 तक की अवधि के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हब की कुल परियोजना लागत 490 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। हब के कार्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमों एवं उद्यमियों से संबंधित सूचना का संग्रहण, मिलान एवं प्रचार–प्रसार करना, कौशल प्रशिक्षण एवं ईडीपी द्वारा मौजूदा तथा भावी अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के बीच क्षमता निर्माण करना, सीपीएसई, एनएसआईसी, एमएसएमई–डीआई तथा उद्योग संघों जिसमें 'दलित चैम्बर्स ऑफ

कॉमर्स एंड इंडस्ट्री' (डीआईसीसीआई) शामिल हैं, को सम्मिलित करते हुए वेंडर विकास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना एवं इस उद्देश्य के लिए विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करना, अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों को सार्वजनिक खरीद तथा निगरानी प्रक्रिया आदि में भाग लेने की सुविधा देना शामिल हैं।

1.4.16.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब के अंतर्गत चार उप/योजनाएं बनाई गई हैं। इन उप योजनाओं की विशिष्टताएं निम्नवत है :

(क) **विशेष एकल बिंदु पंजीकरण योजना (एसपीआरएस)**– एकल बिंदु पंजीकरण योजना के तहत पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यम एमएसएमई के नए पंजीकरण/नवीनीकरण/संशोधन/सक्षमता प्रमाण पत्र तथा पैनलबद्ध निरीक्षण एंजेसियों/एनएसआईसी निरीक्षण शुल्क लागू सेवा कर पर अपफ्रंट 100 प्रतिशत सब्सिडी के पात्र हो सकेंगे। सार्वजनिक खरीद नीति के तहत पंजीकृत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यम टेंडर सेट निःशुल्क प्राप्त करने, बयाना राशि जमा (ईएमडी) करने से छूट इत्यादि के पात्र होंगे।

(ख) **विशेष विपणन सहायता योजना (एसएमएएस)**– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को एसएमएएस के तहत किसी एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 (दो) अंतराष्ट्रीय कार्यक्रमों और 4 (चार) घरेलू कार्यक्रमों के लिए प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जायेगी ।

(ग) **निष्पादन और क्रेडिट रेटिंग योजना के लिए सब्सिडी (एसपीसीआरएस)**– इस योजना के अन्तर्गत, एनएसएसएच की योजना के तहत नई रेटिंग के लिए सभी रेटिंग एजेंसियो के रेटिंग शुल्क पर निर्दिष्ट सीमा के अध्यधीन 90% सब्सिडी दी जायेगी। 5 तक की रेटिंग वाली इकाइयों के लिए रेटिंग के नवीनीकरण के लिए पहले वर्ष में देय रेटिंग शुल्क के 50% की सब्सिडी दी जाएगी ।

(घ) **विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना**– इस योजना के अन्तर्गत, अ.जा./अ.ज.जा. एसएमई को प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 25% की पूँजी सब्सिडी (अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक सीमित) दी जाती है।

20 सितंबर, 2017 को नई दिल्ली में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री गिरिराज सिंह राष्ट्रीय एससी–एसटी हब कन्फ्लुएंस को संबोधित करते हुए।

1.4.16.3 सार्वजनिक खरीद नीति के अधिदेश को प्राप्त करने में अंतर को कम करने के लिए मंत्रालय ने एनएसआईसी के साथ मिलकर देश भर से उद्योग संघो और इनक्यूबेटरों के साथ बातचीत करने के लिए 20.09.2017 को प्रवासी भारतीय केंद्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में ''एनएसएसएच कन्फ्लूएन्स'' का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अ.जा./अ.ज.जा. के स्वामित्व वाले एमएसएमई के समग्र विकास के लिए नवीन रणनीतियां भी शामिल करना है। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, सामाजिक

न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, आदिवासी मामलों के माननीय मंत्री श्री जुआल ओरम, एमएसएमई के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरिराज सिंह, माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ल, इस अवसर पर सम्मानित अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। इस समागम (कन्फलूएन्स) में 100 से अधिक संघों/इन्क्यूबेटरों के लगभग 350 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

1.4.16.4 2016–17 के दौरान, 58 घरेलु प्रदर्शनियों और 14 विदेश दौरे–प्रदर्शनियों में सहभागिता के लिए सहायता प्रदान की गई जिसमें क्रमशः 671 अनु. जा./अनु.ज.जा. के एमएसएमई और 96 अनु.जा./अनु ज.जा. के एमएसएमई लाभान्वित हुए। 38 विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें 1561 एमएसएमई ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त 395 इकाइयों की विशेष निष्पादन और क्रेडिट रेंटिंग योजना के तहत मूल्यांकन किया गया और 80 इकाइयों को एकल बिंदु पंजीकरण योजना के तहत पंजीकृत/नवीनीकृत किया गया। 2017–18 के दौरान (दिसंबर 2017 तक) 73 घरेलू प्रदर्शनियों और 14 विदेश दौरे/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की गई जिसमें क्रमशः 114 अनु.जा./अनु ज.जा. के एमएसएमई और 88 एमएसएमई लाभान्वित हुए। 54 विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिसमें 1743 एमएसएमई ने भाग लिया । इसके अतिरिक्त, 140 इकाइयों को विशेष निष्पादन और क्रेडिट रेटिंग योजना के तहत मूल्यांकन किया गया और एकल बिंदु पंजीकरण योजना के तहत 294 इकाइयों को पंजीकृत/नवीनीकृत किया गया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के क्षमता निर्माण के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी, प्रायोगिक आधार पर, प्रमुख संस्थानों में आयोजित किए गए।

1.4.16.5 वर्ष के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 24 राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। दिसंबर 2017 तक 07 राज्य सम्मेलन, बेंगलुरु, लखनऊ, कोयम्बटूर, फरीदाबाद, कोलकाता, आगरा और अगरतला में आयोजित किए जा चुके हैं।

1.4.16.6 एनएसएसएच के तहत दूसरे चरण में देश के शेष भागों में 18 राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने की योजना है । इन सम्मेलनों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का संज्ञान लेने और सीपीएससी की आवश्यकताओं की आपूर्ति श्रृंखला में अनुसूचित जाति/अनुसूचति जनजाति उद्यमियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना है।

अध्याय 2: एमएसएमई क्षेत्र के प्रदर्शन का विहंगावलोकन

2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भूमिका

2.1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) बिजनेस संबंधी पहलों के माध्यम से उद्यमिता के प्रयासों के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एमएसएमई अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं। ये घरेलू एवं वैश्विक बाजारों की मांग के अनुरूप विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं। यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकडों के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान चालू मूल्यों पर देश के सकल मूल्यवर्धन (जीवीए)[1] तथा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)[2] में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान निम्नानुसार है:

तालिका 2–1.: वर्तमान मूल्य पर देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का योगदान

(वर्तमान मूल्य पर एफआईएसआईएम[3] के लिए समायोजित आंकडे करोड रुपये में)						
वर्ष	एमएसएमई जीवीए	वृद्धि (%)	कुल जीवीए	जीवीए में एमएसएमई का हिस्सा (%)	कुल जीडीपी	जीडीपी में एमएसएमई का हिस्सा (% में)
2011-12	2583263	-	8106946	31.86	8736329	29.57
2012-13	2977623	15.27	9202692	32.36	9944013	29.94
2013-14	3343009	12.27	10363153	32.26	11233522	29.76
2014-15	3658196	9.43	11481794	31.86	12445128	29.39
2015-16	3936788	7.62	12458642	31.60	13682035	28.77

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

2.1.2 वर्तमान मूल्यों पर देश के कुल विनिर्माण जीवीओ[4] (उत्पादन का सकल मूल्य) में विनिर्माण एमएसएमई का योगदान लगभग 33% पर स्थिर रहा है, अर्थात पिछले पांच वर्षों में एक तिहाई है।

2.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

[1] **सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए):** यह नोट किया जाए कि जीवीए का आकलन पूर्व श्रृंखलाओं (आधारवर्ष 2004–05 में) कारक मूल्यों पर तैयार किया गया है जबकि इन्हें नई श्रृंखलाओं (2011–12) में मूल कीमतों पर तैयार किया जा रहा है। प्रोडक्शन एप्रोच द्वारा आकलित जीवीएः (जीवीए=उत्पादन–लगायी गई सामग्री) तथा इनकम एप्रोच द्वारा आकलित जीवीएः (जीवीए=कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति+संचालन अधिशेष+सीएफसी)

[2] **सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी):** आधारभूत मूल्यों पर जीवीए में उत्पादों पर करों को जोड़कर, उत्पादों पर नेट सब्सिडी द्वारा जीडीपी द्वारा प्राप्त की जाती है।

[3] **एफआईएसआईएम** का आशय अप्रत्यक्ष रूप से मापे गए वित्तीय मध्यस्थता सेवाओं से है। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में बैंकों जैसे वित्तीय मध्यस्थों द्वारा दी गई सेवा मूल्य का आकलन है जिसके लिए कोई सुनिश्चित प्रभार नहीं लगाया जाता है, इसके बदले ये सेवाएं बचतकर्ताओं एवं कर्जदारों पर लागू दरों के बीच मार्जिन के भाग के रूप में दी जाती हैं। यह माना जाता है कि बचतकर्ता कम ब्याज दर प्राप्त करेंगे एवं कर्जदार उच्च ब्याज दर का भुगतान करेंगे यदि सभी वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित प्रभार प्रदान करती है।

[4] **सकल मूल्य उत्पाद (जीवीओ)** : लेखा वर्ष के दौरान विनिर्मित उत्पादों और सहायक उत्पादों तथा अर्द्धनिर्मित वस्तुओं के शुद्ध मूल्य को, प्रक्रियाधीन कार्यों, एवं अन्यों को प्रदत औद्योगिक और गैर औद्योगिक सेवाओं के प्राप्त होने को, चालू वर्ष में बेची गई पिछले वर्ष की अर्द्धनिर्मित वस्तुओं के मूल्यों को, जैसे वस्तु खरीदी गई हो उसी स्थिति में वस्तु को बेचने के बिक्री मूल्यों को तथा उत्पन्न और बेची गई बिजली के मूल्य को विनिर्माण उत्पादन फैक्ट्री से बाहर के मूल्य को (अर्थात बिक्री पर करों, शुल्क आदि को छोड़कर तथा सब्सिडी आदि, यदि कोई हो, को शामिल करके परिभाषित किया जाता है।

भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन का आंकलन मुख्यतः निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर किया जा सकता हैः

2.2.1 विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्रों (निर्माणों को छोडकर) में असमाविष्ट गैर–कृषि उद्यमों पर एनएसएस (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण) के 73वें दौर के निष्कर्षों का विश्लेषण किया जा रहा है। यह एमएसएमई क्षेत्र के प्रदर्शन का अद्यतन और सर्वाधिक व्यापक विवरण भी प्रस्तुत करता है क्योंकि 633.92 लाख उद्यमों की अनुमानित संख्या में से सिर्फ 4000 उद्यम बडे थे और इसलिए एमएसएमई क्षेत्र से बाहर थे। सर्वेक्षण के की–इंडीकेटर्स की रिपोर्ट www.mospi.gov.in पर उपलब्ध है।

2.2.2 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आयोजित आर्थिक गणना की रिपोर्ट का अध्ययन (छठी आर्थिक गणना, 2013 की रिपोर्ट) www.mospi.gov.in तथा www.msme.gov.in पर उपलब्ध है। सीएसओ ने संपदा का फ्रेम तैयार करने के लिए आर्थिक सेंसस की विशेष रूप से 'क्षेत्रीय फ्रेम' की शुरुआत की, जिसका उपयोग विशेषकर इकोनॉमिक क्षेत्र के गैर–कृषि क्षेत्र पर विस्तृत आंकडों के संग्रह के लिए विभिन्न सर्वेक्षणों के लिए किया जा सकता है। अब तक 1977, 1980, 1990, 1998, और 2013–14 में छः आर्थिक गणना का आयोजन किया जा चुका है। छठी आर्थिक जनगणना (2013) के अनुसार, 58.5 मिलियन संस्थानों को संचालित पाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 34.8 मिलियन संस्थान (59.48%) पाए गए थे और शहरी क्षेत्रों में लगभग 23.7 मिलियन प्रतिष्ठान (40.52%) पाए गए थे।

2.2.3 एमएसएमई क्षेत्र की आवधिक अखिल भारतीय गणनाओं के परिणामों का अध्ययन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज (एसएसआई) के तीन ऑल इंडिया सेन्सस 1977, 1988 और 2001–02 में आयोजित किए गए थे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय द्वारा की गई नवीनतम जनगणना 2006–07 में आयोजित एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय जनगणना है। हालांकि, पिछली एमएसएमई गणना आधार अवधि 2006–07 के साथ आयोजित की गई थी और तब से उसे बंद कर दिया गया है। एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय जनगणना की पंजीकृत एवं अपंजीकृत क्षेत्रों को कवर करती हुई अंतिम रिपोर्ट डीसी, एमएसएमई कार्यालय के वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक http://dcmsme.gov.in/data-stat.htm पर उपलब्ध है।

2.2.4 उद्यमों के नए पंजीकरण के संबंध में सूचना एकत्रित करना, जो पहले सितंबर 2015 तक डीआईसी में दाखिल उद्यमी ज्ञापन पार्ट II (ईएम–II) के जरिये की जाती थी और जिसके बदले अब उद्योग आधार ज्ञापन के अंतर्गत स्व–घोषित ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम लाया गया है। 31.12.17 तक यूएएम पंजीकरण आंकडों पर आधारित परिणामों का सार पैरा 2.5.4 पर दिया गया है।

2.2.5 एमएसएमई डाटा बैंक में उपलब्ध सूचना का विश्लेषण जिसके लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ की प्राप्ति पर उद्यमों द्वारा विस्तृत आंकडे प्रदान किए जाते हैं। डाटाबैंक का उद्देश्य भारत के एमएसएमई की एक ही जगह से जानकारी प्राप्त करना है, जिसमें उनके ऋण और प्रौद्योगिकी, कच्चे माल और विपणन के मामले में आवश्यकता आदि शामिल हैं। डाटाबैंक का एमआईएस डैशबोर्ड, डेटाबैंक पर विभिन्न प्रकार के पंजीकृत एमएसएमई की रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है जिसका उपयोग सार्वजनिक खरीद के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और पीएसयू द्वारा एमएसएमई से खरीद के लिए भी उपयोग किया जाता है। एमएसएमई विकास (सूचना प्रस्तुत करने के लिए) नियम, 2016 को अधिसूचित किया गया है एमएसएमई के लिए अनुदान या सब्सिडी का लाभ उठाने की आवश्यक जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।

2.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर एनएसएस के 73वें दौर के सर्वेक्षण (2015–16) के मुख्य

परिणाम

2.3.1 देश में एमएसएमई की अनुमानित संख्याः

2.3.1.1 राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस, सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सैंपल सर्वे (एनएसएस) के 73वें दौर के अनुसार, देश में 633.88 लाख असमाविष्ट गैर कृषि एमएसएमई विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों में लगे थे (196.64 लाख विनिर्माण में, 230.35 लाख व्यापार में और 206.84 लाख अन्य सेवाओं में तथा 0.03 लाख नॉन–कैप्टिव बिजली उत्पादन व संचरण में)। (क) फैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 2 एम(i) और 2एम (ii), (ख) कंपनी अधिनियम, 1956 और (ग) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) 2008 की धारा एफ के तहत आने वाले निर्माण कार्यकलापों, के तहत पंजीकृत एमएसएमई को इससे अलग रखा गया है। तालिका 2 और चित्र 2–1 श्रेणी वार एमएसएमई के कार्यकलापों के वितरण को दर्शाते हैं।

तालिका 2–2 : एमएसएमई की अनुमानित संख्या (कार्यकलाप वार)

कार्यकलाप श्रेणी	उद्यमों की अनुमानित संख्या (लाख में)			हिस्सा (%)
	ग्रामीण	शहरी	कुल	
विनिर्माण	114.14	82.50	196.65	31
ट्रेड	108.71	121.64	230.35	36
अन्य सेवाएं	102.00	104.85	206.85	33
इलेक्ट्रीसिटी	0.03	0.01	0.03	0
कुल	324.88	309.00	633.88	100

*इकाइयों द्वारा नॉन–कैपटिव इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन एवं ट्रांसमिशन तथा वितरण जोकि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा पंजीकृत नहीं है।

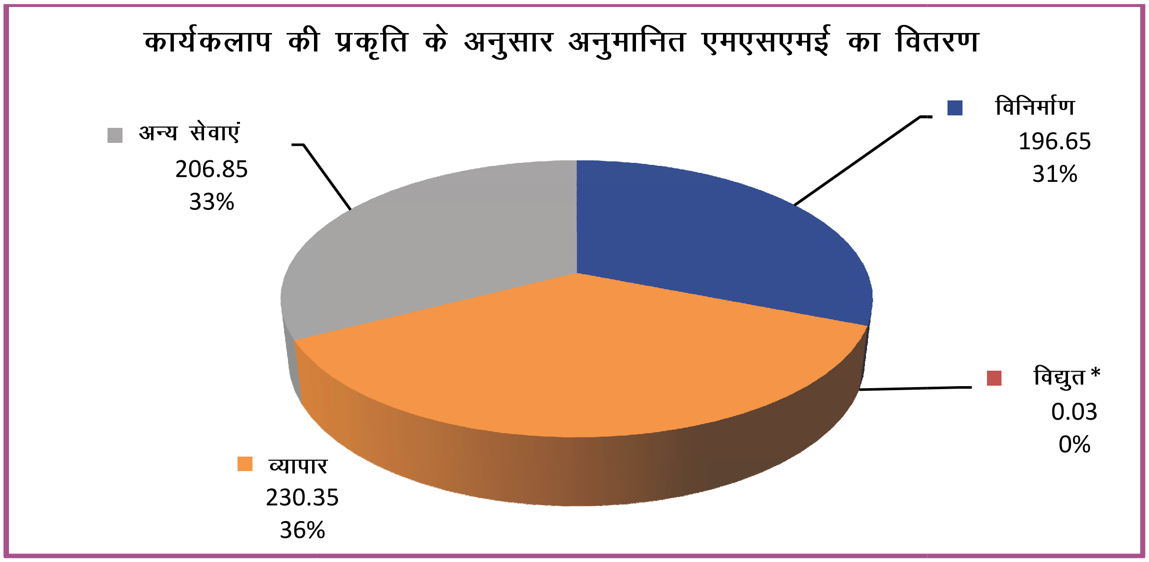

*गैर कैप्टिव बिजली उत्पादन और संचरण

अनुमानित एमएसएमई का वितरण (गतिविधि संबंधी प्रकृति)

इस प्रकार 31% एमएसएमई विनिर्माण कार्यकलाप में व्यस्त पायी गईं, जबकि 36% व्यापार और 33% अन्य

सेवाओं में। आगे, 633.88 एमएसएमई की अनुमानित संख्या में से 324.88 लाख एमएसएमई (51.25%) ग्रामीण क्षेत्रों में थी तथा 309 लाख एमएसएमई (48.75%) शहरी क्षेत्रों में पायी गईं जोकि चित्र 2–2 में विदित है।

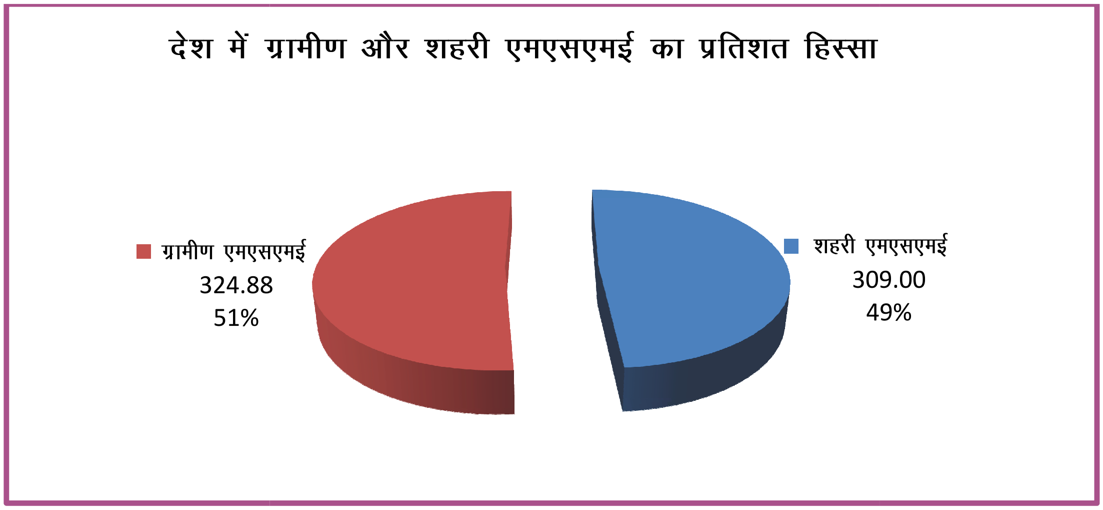

चित्र 2–1 : देश में ग्रामीण और शहरी एमएसएमई का प्रतिशत हिस्सा

2.3.1.2 एनएसएस के 73वें दौर के आंकडों के आधार पर, 630.52 लाख अनुमानित उद्यमों के साथ सूक्ष्म क्षेत्र में एमएसएमई की कुल अनुमानित संख्या का 99 फीसदी से अधिक है। 3.31 लाख के साथ लघु क्षेत्र और 0.05 लाख अनुमानित एमएसएमई के साथ मध्यम क्षेत्र का कुल अनुमानित एमएसएमई में क्रमशः 0.52 और 0.01 फीसदी हिस्सा है। तालिका 2–3 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमों की विभिन्न श्रेणियों का वितरण दर्शाता है। एमएसएमई की राज्य–वार अनुमानित संख्या अनुबंध 1 में भी संलग्न है।

तालिका 2–3: श्रेणी–वार उद्यमों का वितरण (संख्या लाख में)

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	शेयर (%)
ग्रामीण	324.09	0.78	0.01	324.88	51
शहरी	306.43	2.53	0.04	309.00	49
सभी	630.52	3.31	0.05	633.88	100

2.3.2 उद्यमों के स्वामित्व के प्रकार

2.3.2.1 पुरूष/महिला स्वामित्व

633.88 लाख एमएसएमई में से 608.41 लाख (95.98 प्रतिशत) उद्यम स्वामित्व वाले उद्यम थे। स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में पुरुष मालिकों का सर्वाधिक वर्चस्व देखा गया है। इसलिए पूर्ण रूप से स्वामित्व वाले सूलमउ के पुरुष स्वामित्व वाले उद्यमों के 79.63 प्रतिशत की तुलना में महिला स्वामित्व वाले उद्यमों का प्रतिशत 20.37 है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस संरचना में कोई महत्वपूर्ण विविधता नहीं है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में पुरुष स्वामित्व वाले उद्यमों का वर्चस्व थोडा ज्यादा (77.76 प्रतिशत के मुकाबले 81.58 प्रतिशत) था।

तालिका 2–4: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमों के वितरण का प्रतिशत (पुरुष/महिला स्वामित्व वाले उद्यम–श्रेणी–वार)

क्षेत्र	पुरुष	महिला	सभी
ग्रामीण	77.76	22.24	100
शहरी	81.58	18.42	100
सभी	79.63	20.37	100

सूक्ष्म उद्यमों, जहां 77.76 प्रतिशत के स्वामित्व वाले उद्यमों के स्वामी पुरुष हैं की तुलना में लघु और मध्यम उद्यमों में 95 प्रतिशत अथवा इससे अधिक पुरुष वर्चस्व है।

तालिका 2–5: पुरुष/महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों के वितरण का प्रतिशत

श्रेणी	पुरुष	महिला	सभी
सूक्ष्म	79.56	20.44	100
लघु	94.74	5.26	100
मध्यम	97.33	2.67	100
सभी	79.63	20.37	100

2.3.3 सामाजिक श्रेणी–वार स्वामित्व वाले उद्यम

2.3.3.1 एमएसएमई का लगभग 66.27 प्रतिशत स्वामित्व सामाजिक रूप से पिछडी हुए श्रेणी के लोगों का है जिसमें से सर्वाधिक भाग अन्य पिछडे वर्ग (ओबीसी) के स्वामित्व 49.72 प्रतिशत है। एमएसएमई क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व कम क्रमशः 12.45 प्रतिशत और 4.10 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई का लगभग 73.67 प्रतिशत सामाजिक रूप से पिछडे लोगों के स्वामित्व वाले थे जिनमें से 51.59 प्रतिशत ओबीसी से संबंधित थे। शहरी क्षेत्रों में अधिकतर लगभग 58.68 प्रतिशत सामाजिक रूप से पिछडे हुए वर्गों से संबंधित है, जिनमें से 47.80 प्रतिशत ओबीसी से संबंधित हैं।

तालिका 2–6: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामजिक वर्ग के स्वामित्व वाले उद्यमों का वितरण–वार प्रतिशत।

क्षेत्र	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य	ज्ञात नहीं	सभी
ग्रामीण	15.37	6.70	51.59	25.62	0.72	100.00
शहरी	9.45	1.43	47.80	40.46	0.86	100.00
सभी	12.45	4.10	49.72	32.95	0.79	100.00

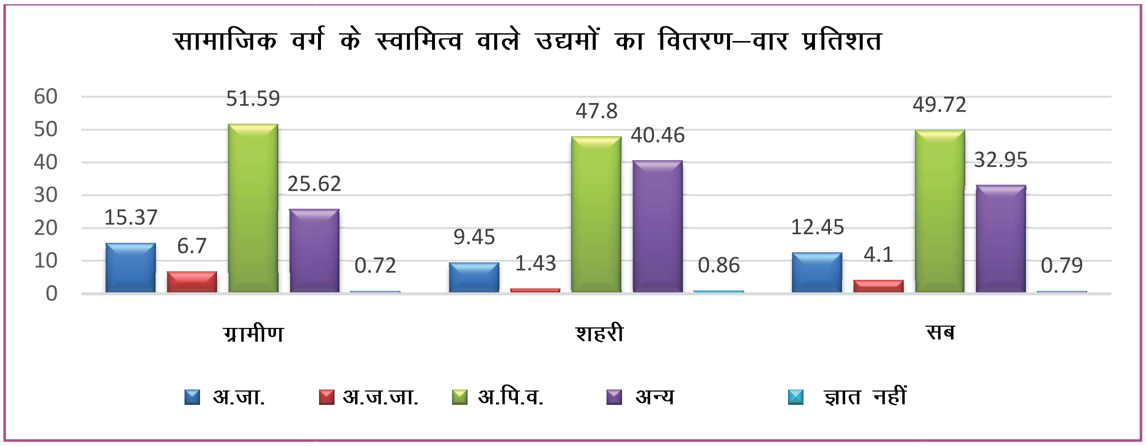

चित्र 2–3: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामजिक वर्ग के स्वामित्व वाले उद्यमों का वर्ण–वार प्रतिशत

2.3.3.2 एमएसएमई क्षेत्र के तीनों खंडों में से प्रत्येक में सामाजिक रूप से पिछडे वर्गों के स्वामित्व वाले उद्यमों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि सूक्ष्म क्षेत्र में सामाजिक रूप से पिछडे वर्गों का 66.42% उद्यमों पर स्वामित्व था जबकि सूक्ष्म और मध्यम क्षेत्र में सामाजिक रूप से पिछडे वर्गों का क्रमशः 36.80% और 24.94% उद्यमों पर स्वामित्व था।

तालिका 2–7 सामाजिक श्रेणी–वार उद्यमों के वितरण का प्रतिशत

क्षेत्र	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओबीसी	अन्य	अज्ञात	कुल
सूक्ष्म	12.48	4.11	49.83	32.79	0.79	100
लघु	5.50	1.65	29.64	62.82	0.39	100
मध्यम	0.00	1.09	23.85	70.80	4.27	100
कुल	12.45	4.10	49.72	32.95	0.79	100

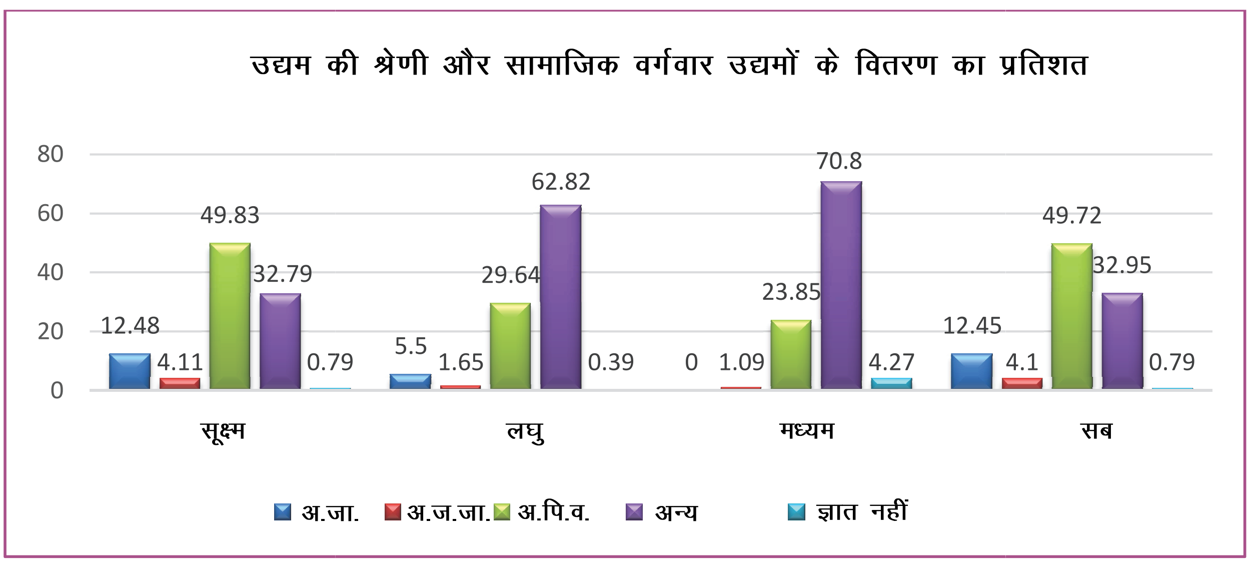

चित्र 2–4: उद्यम की श्रेणी और सामाजिक वर्गवार उद्यमों के वितरण का प्रतिशत

2.3.4 रोजगार

2.3.4.1 वर्ष 2015–16 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) द्वारा आयोजित 73वें सर्वेक्षण के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र ने देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 11.10 करोड (विनिर्माण क्षेत्र में 360.41 लाख, व्यापार में 387.18 लाख और अन्य सेवाओं में 362.82 लाख तथा नॉन–कैपटिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन में 0.07 लाख) रोजगार सृजित किए हैं। तालिका 2–10 और चित्र 2–9 में कार्यकलाप श्रेणी–वार एमएसएमई का वितरण दर्शाया गया है।

तालिका 2–8: एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार अनुमान (मुख्य कार्यकलाप श्रेणी–वार)

विस्तृत कार्यकलाप श्रेणी	रोजगार (लाख में)			अंश (%)
	ग्रामीण	शहरी	कुल	
विनिर्माण	186.56	173.86	360.41	32
व्यापार	160.64	226.54	387.18	35
अन्य सेवाएं	150.53	211.69	362.22	33
विद्युत*	0.06	0.02	0.07	0
सभी	**497.78**	**612.10**	**1109.89**	**100**

*नॉन–कैपटिव इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन एंड ट्रांसमिशन

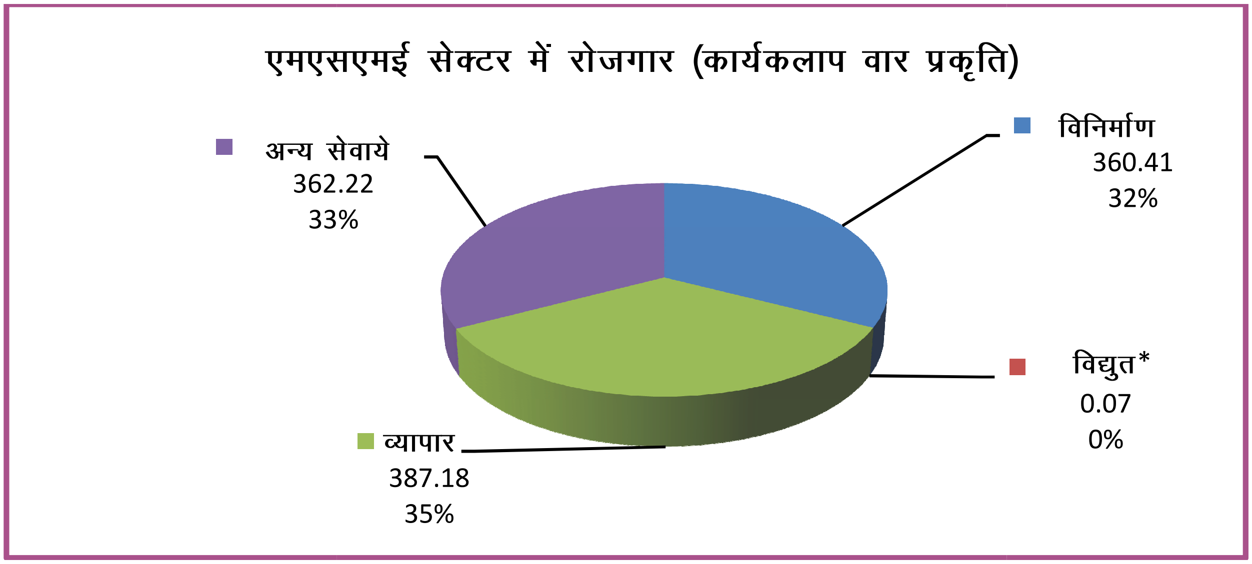

*नॉन–कैपटिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन

चित्र 2–5: एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार वितरण मुख्य कार्यकलाप श्रेणी–वार

2.3.4.2 सूक्ष्म क्षेत्र में लगभग 630.52 लाख उद्यम 1076.19 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं, जो कि इस क्षेत्र में कुल रोजगार का लगभग 97% है। एमएसएमई क्षेत्र में कुल रोजगार में से लघु क्षेत्र में 3.31 लाख और मध्यम उद्यम क्षेत्र में 0.05 लाख एमएसएमई क्रमशः 31.95 लाख (2.88%) और 1.75 लाख (0.16%) व्यक्तियों को रोजगार देते हैं। तालिका 2–6 और चित्र 2–9 एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्रवार वितरण को दर्शाता है। रोजगार का राज्यवार वितरण अनुबंध–II में दिया गया है।

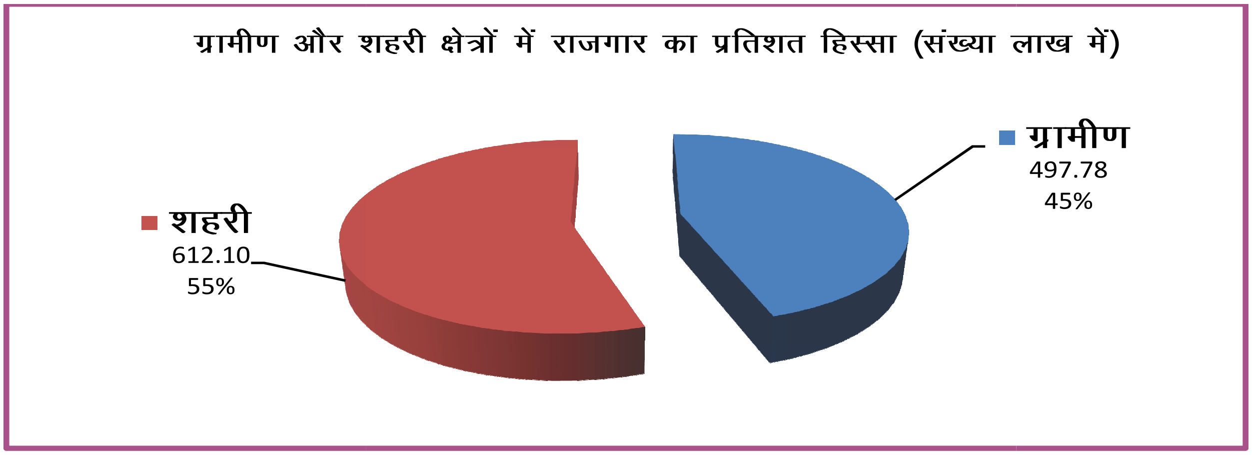

चित्र 2–6: देश में ग्रामीण और शहरी एमएसएमई का प्रतिशत हिस्सा

तालिका 2–9: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार का वितरण (संख्या लाखों में)

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	हिस्सा (%)
ग्रामीण	489.30	7.88	0.60	497.78	45
शहरी	586.88	24.06	1.16	612.10	55
कुल	1076.19	31.95	1.75	1109.89	100

2.3.4.3 एमएसएमई क्षेत्र में 1109.89 लाख कर्मचारियों में से 844.68 लाख (76%) पुरुष कर्मचारी हैं और शेष 264.92 लाख (24%) महिला कर्मचारी हैं। तालिका 2–10 और चित्र 2–7 एमएसएमई क्षेत्र में कार्यबल का स्त्री–पुरुष वार वितरण दर्शाता है।

तालिका 2–10: स्त्री और पुरुष वार श्रेणी में कर्मचारियों का क्षेत्रवार वितरण (लाख में)

क्षेत्र	महिला	पुरुष	कुल	अंश (%)
ग्रामीण	137.50	360.15	497.78	45
शहरी	127.42	484.54	612.10	55
कुल	264.92	844.68	1109.89	100

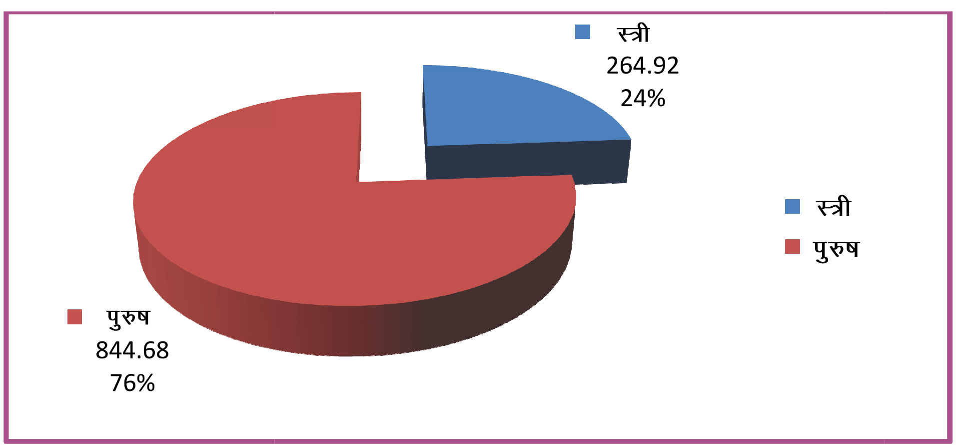

चित्र 2–7: स्त्री और पुरुष वार श्रेणी में कर्मचारियों का क्षेत्रवार वितरण

2.3.5 एमएसएमई का राज्यवार अनुमानित वितरण

देश के कुल एमएसएमई में से उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक एमएसएमई लगभग 14.20% हैं। पश्चिम बंगाल का 14% एमएसएमई के साथ इस सूची में दूसरा स्थान है। देश में एमएसएमई की कुल अनुमानित संख्या में से शीर्ष 10 राज्यों में ही 74.05% एमएसएमई हैं। तालिका 2–11 और चित्र 2–8 में शीर्ष 10 राज्यों में उद्यमों का अनुमानित वितरण दर्शाया गया है।

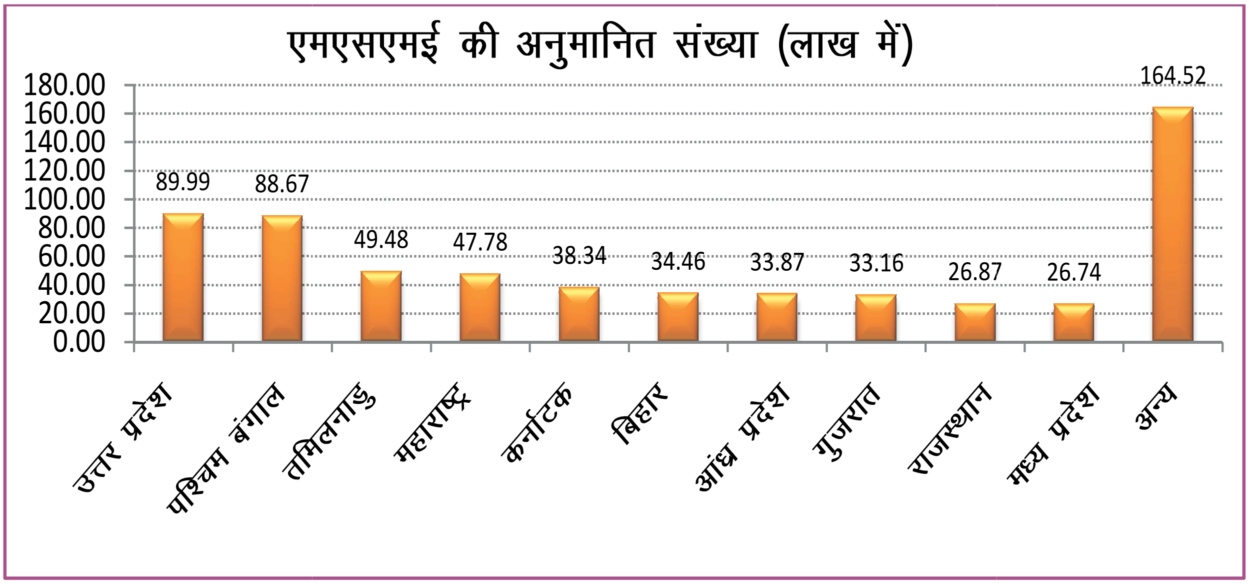

चित्र 2–8: शीर्ष 10 राज्यों में एमएसएमई का वितरण

तालिका 2–11 उद्यमों का राज्यवार वितरण

क्र.सं.	राज्य / संघ शासित प्रदेश	एमएसएमई की संख्या का अनुमान	
		संख्या (लाख में)	अंश (% में)
1	उत्तर प्रदेश	89.99	14
2	पश्चिम बंगाल	88.67	14
3	तमिलनाडु	49.48	8
4	महाराष्ट्र	47.78	8
5	कर्नाटक	38.34	6
6	बिहार	34.46	5
7	आंध्र प्रदेश	33.87	5
8	गुजरात	33.16	5
9	राजस्थान	26.87	4
10	मध्य प्रदेश	26.74	4
11	उपर्युक्त दस राज्यों का कुल	469.36	74
12	अन्य राज्य / संघ शासित प्रदेश	164.52	26
13	सभी	633.88	100

2.4 एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना (2006–07) और एनएसएस के 73वें चरण (2015–16) के बीच तुलनात्मक विश्लेषण

एमएसएमई के तुलनात्मक वितरण की विस्तृत सूचना एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना (2006–07) और एनएसएस के 73वें चरण (2015–16) से प्राप्त की जा सकती है। 10 वर्षों के अन्तर के बावजूद, एक ही दशक में दो सेटों के परिणामों की तुलना से एमएसएमई क्षेत्र के बुनियादी मानकों का विकास हो सकता है।

तालिका 2–12: एमएसएमई की वृद्धि (आंकडे लाख में)

मापदंड	एनएसएस का 73वां चरण #, 2015–16	एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना, 2006–07	वार्षिक मिश्रित विकास दर (%)
एमएसएमई की संख्या (कुल)	633.88	361.76	6.43
विनिर्माण	196.65	115.00	6.14
सेवाएं	437.23	246.76	6.56
रोजगार (कुल)	1109.89	805.24	3.63
विनिर्माण	360.42	320.03	1.33
सेवाएं	749.47	485.21	4.95

* सेवाओं में व्यापार, विद्युत और अन्य सेवाएं शामिल हैं।

2.4.1 तालिका 2–13, शीर्ष 10 राज्यों में एमएसएमई के तुलनात्मक वितरण को दर्शाती है।

तालिका 2–13: शीर्ष 10 राज्यों के एनएसएस का तुलनात्मक वितरण

क्र.सं.	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	एनएसएस का 73वां चरण (2015–16)		एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना (2006–07)	
		संख्या (लाख में)	अंश (%)	संख्या (लाख में)	अंश (%)
1	उत्तर प्रदेश	89.99	14	44.03	12
2	पश्चिम बंगाल	88.67	14	34.64	10
3	तमिलनाडु	49.48	8	33.13	9
4	महाराष्ट्र	47.78	8	30.63	8
5	कर्नाटक	38.34	6	20.19	6
6	बिहार	34.46	5	14.70	4
7	आंध्र प्रदेश***	33.87	5	25.96	7
8	गुजरात	33.16	5	21.78	6
9	राजस्थान	26.87	4	16.64	5
10	मध्य प्रदेश	26.74	4	19.33	5
11	**शीर्ष दस राज्यों का कुल**	469.4	74	261.04	72
12	**अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र**	164.5	26	100.72	28
13	**सभी**	633.9	100	361.76	100

**एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना में तेलंगाना सहित

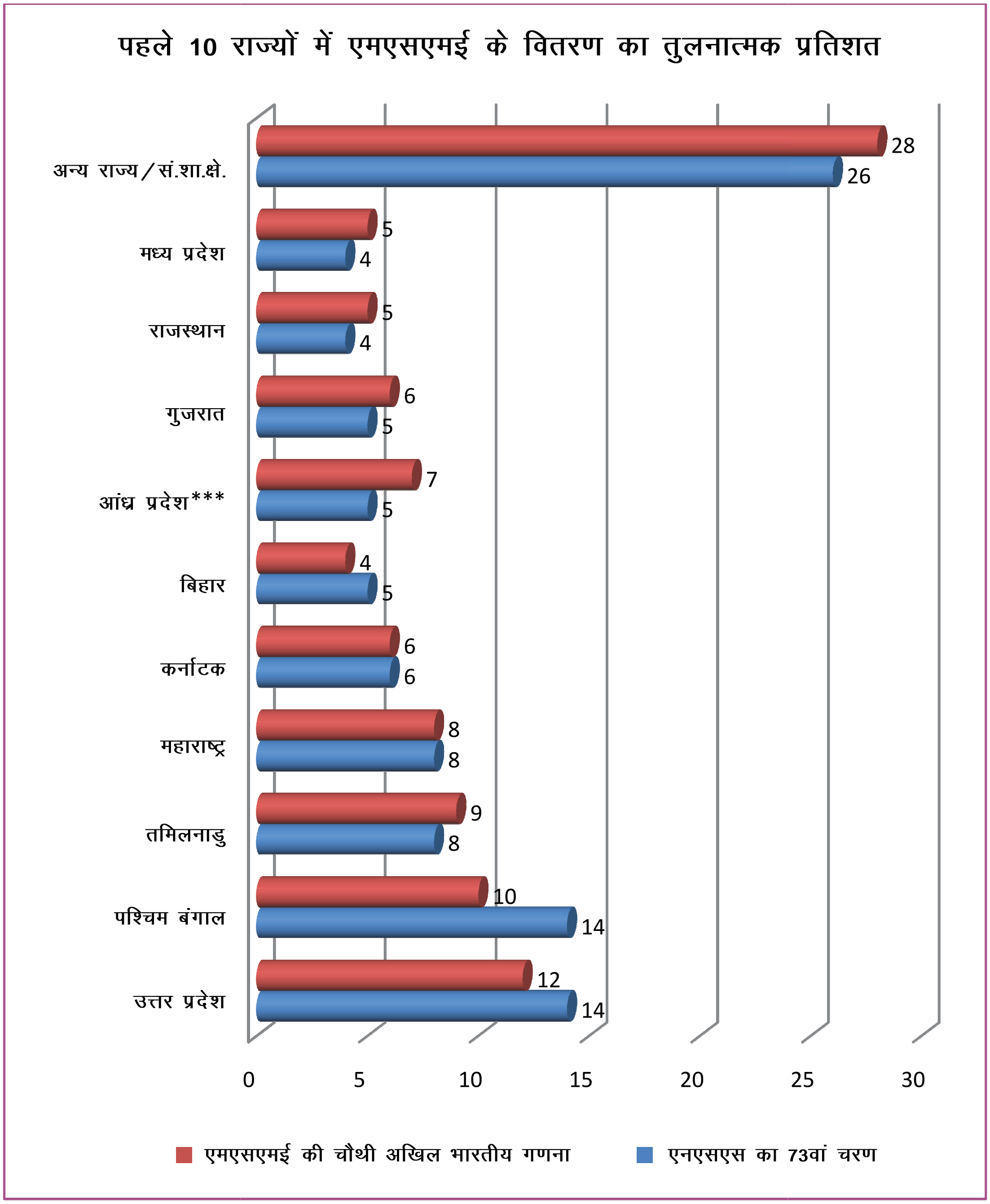

*** एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय जनगणना में तेलंगाना शामिल है।

चित्र 2–9: राज्यों में एमएसएमई का तुलनात्मक वितरण

2.5 नए एमएसएमई का पंजीकरण

2.5.1 अर्थव्यवस्थामें एमएसएमई क्षेत्र के सफल विकास का आकलन करने के महत्त्वपूर्ण संकेतों में से एक नई एमएसएमई खोलने पर आंकडे हैं। अर्थव्यवस्था में मैक्रोइकोनॉमिक्स में उद्यमियों का उच्च मनोबल दिखाता है और अर्थव्यवस्था में ऐसी इकाइयों को शुरू करने और विकास के लिए अनुकूलता को दर्शाता है।

2.5.2 एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 से पहले, डीआईसी के साथ लघु पैमाने के उद्योगों द्वारा पंजीकरण की एक

प्रक्रिया थी, इसके बाद एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार, एमएसएमई कोई उद्यम शुरू करने से पहले जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) में उद्यमी ज्ञापन (पार्ट I) दाखिल करते थे। परियोजना के आरंभ से पहले, लघु उद्योग इकाइयों द्वारा डीआईसी में पंजीकरण की प्रणाली थी। 2007 और 2015 के बीच कुल 21,96,902 ईएम– II दर्ज हुए। ईएम– II दर्ज होने से प्राप्त सूचना का विश्लेषण http://www.dcmsme.gov.in/publications/EMII-2014-15.pdf पर उपलब्ध है।

2.5.3 अतः, सितंबर, 2015 से व्यवसाय करने की आसानी को प्रोत्साहित करने को ध्यान में रखते हुए, स्व–घोषित सूचना के आधार पर उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) के अंतर्गत एक ऑनलाइन दाखिला प्रणाली मौजूद है। दिसंबर 2017 के अंत तक, 38.99 लाख एमएसएमई यूएएम पर पंजीकरण करवा चुके हैं, जिसकी विस्तृत सूचना http://udyogaadhaar.gov.in/UA/UdyogAadhar-New.aspx पर उपलब्ध है।

2.5.4 यूएएम फाइलिंग का विश्लेषण भी एमएसएमई विनिर्माण और सेवाओं का एक ब्रेक–अप प्रदान करता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि विनिर्माण में शामिल लोगों की तुलना में सेवा एमएसएमई का एक बडा हिस्सा यूएएम फाइलिंग में होता है। चित्र 2–10 में ब्यौरा दिया गया है।

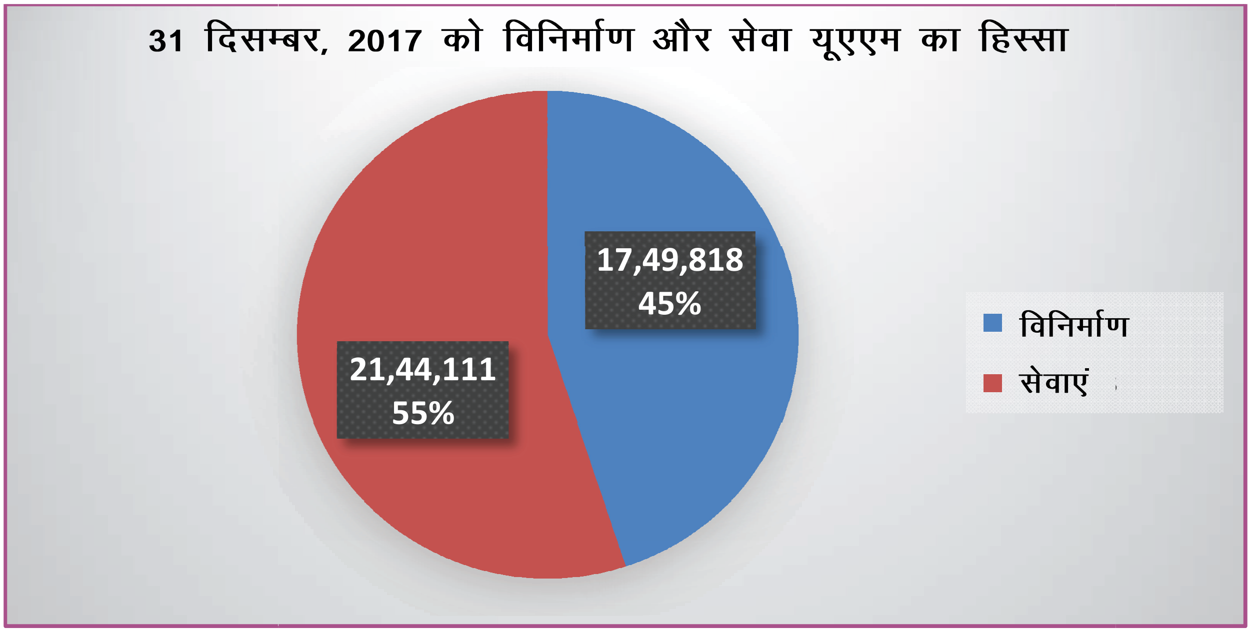

चित्र 2–10: भरे गये यूएएम की हिस्सेदारी – विनिर्माण और सेवा

2.5.5 चित्र 2–11 में कुल फाइल किये गए यूएएम में से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वितरण का पता चलता है। जैसा कि देखा जा सकता है। वर्ष 2015 से यूएएम फाइल करने वाले उद्यमों में से सूक्ष्म उद्यमों की काफी बढ़त (90%) है जबकि शेष ज्यादातर लघु उद्यम (10%) है, मध्यम उद्यमों की संख्या दर्ज कुल यूएएम के 0.5% से कम है।

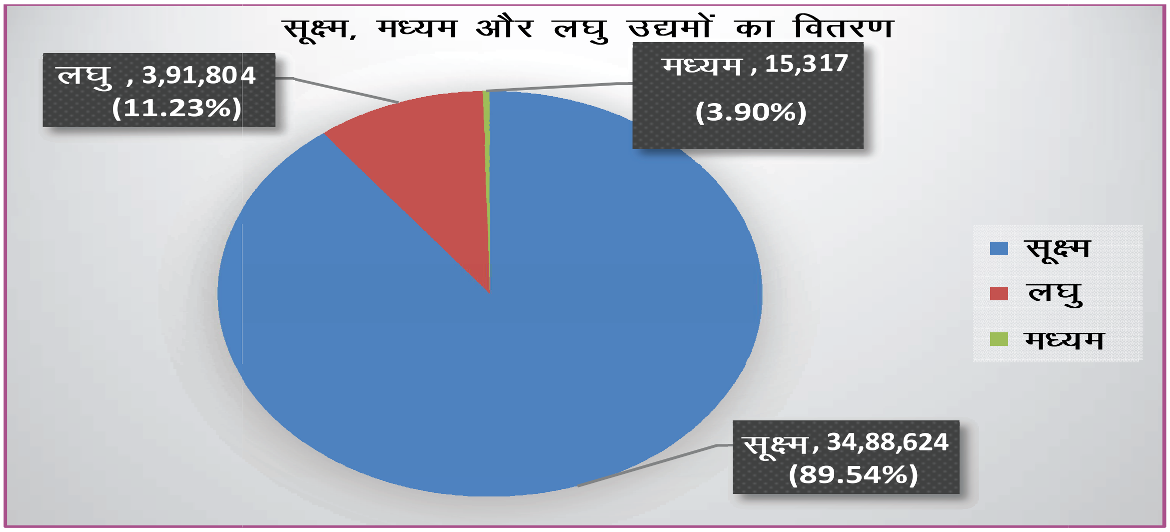

चित्र 2.11: यूएएम फाइलिंग के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वितरण

2.5.6 यूएएम उद्यम स्वामियों की सामाजिक श्रेणी से संबंधित सूचना भी एकत्रित करते हैं। चित्र 2–12, 2015 के बाद से यूएएम दाखिल करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग के वितरण को दर्शाता है।

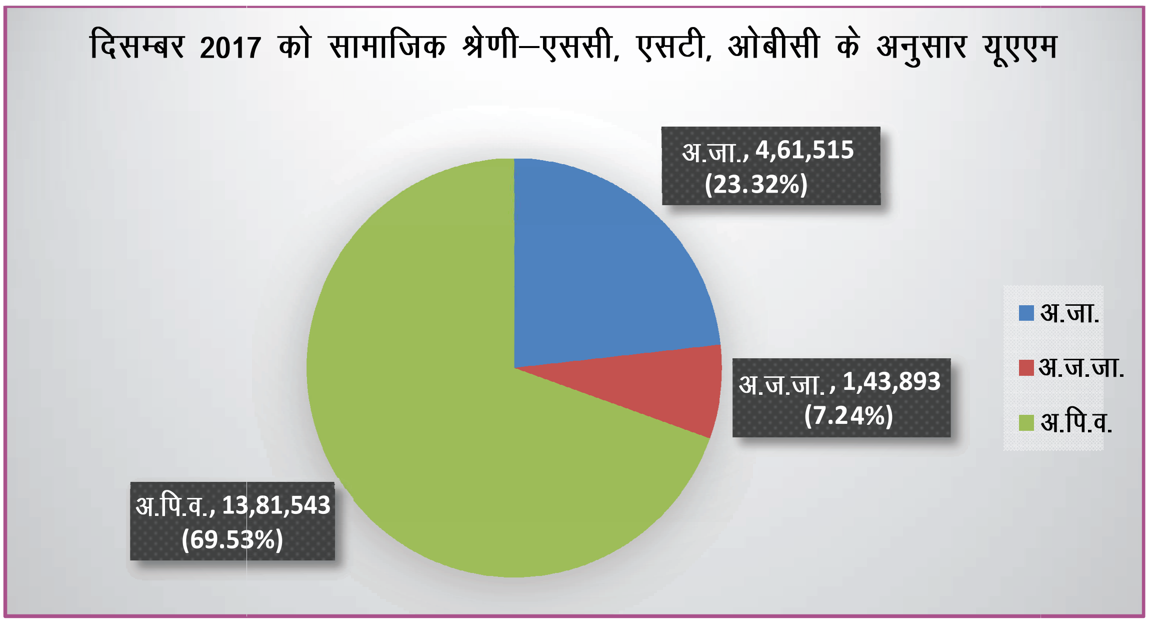

चित्र 2.12: सामाजिक श्रेणी के अनुसार यूएएम – एससी/एसटी/ओबीसी

2.5.7 यूएएम फाइलिंग का विश्लेषण यूएएम के भौगोलिक प्रसार को असमानता को दर्शाता है। सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में यूएएम के भौगोलिक वितरण को चित्र 2–1 दर्शाता है। चित्र 2–1 से पता चलता है कि ऊपर के पांच राज्यों (बिहार, उ.प्र., तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र) में कुल दाखिल यूएएम के दो तिहाई मिलते हैं, हालांकि ये एमएसएमई गणना (2006–17) या एनएसएस 73वें दौर, 2015–16 (अर्थात उ.प्र., पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आदि) के अनुसार एमएसएमई के सबसे अधिक संकेंद्रण वाले सर्वोच्च पांच राज्य नहीं हैं। एमएसएमई क्षेत्र के अंदर अधिक समतापूर्ण विकास को प्रोत्साहित करना भी मंत्रालय के लिए

एक महत्वपूर्ण चुनौती है और इसे हल करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं।

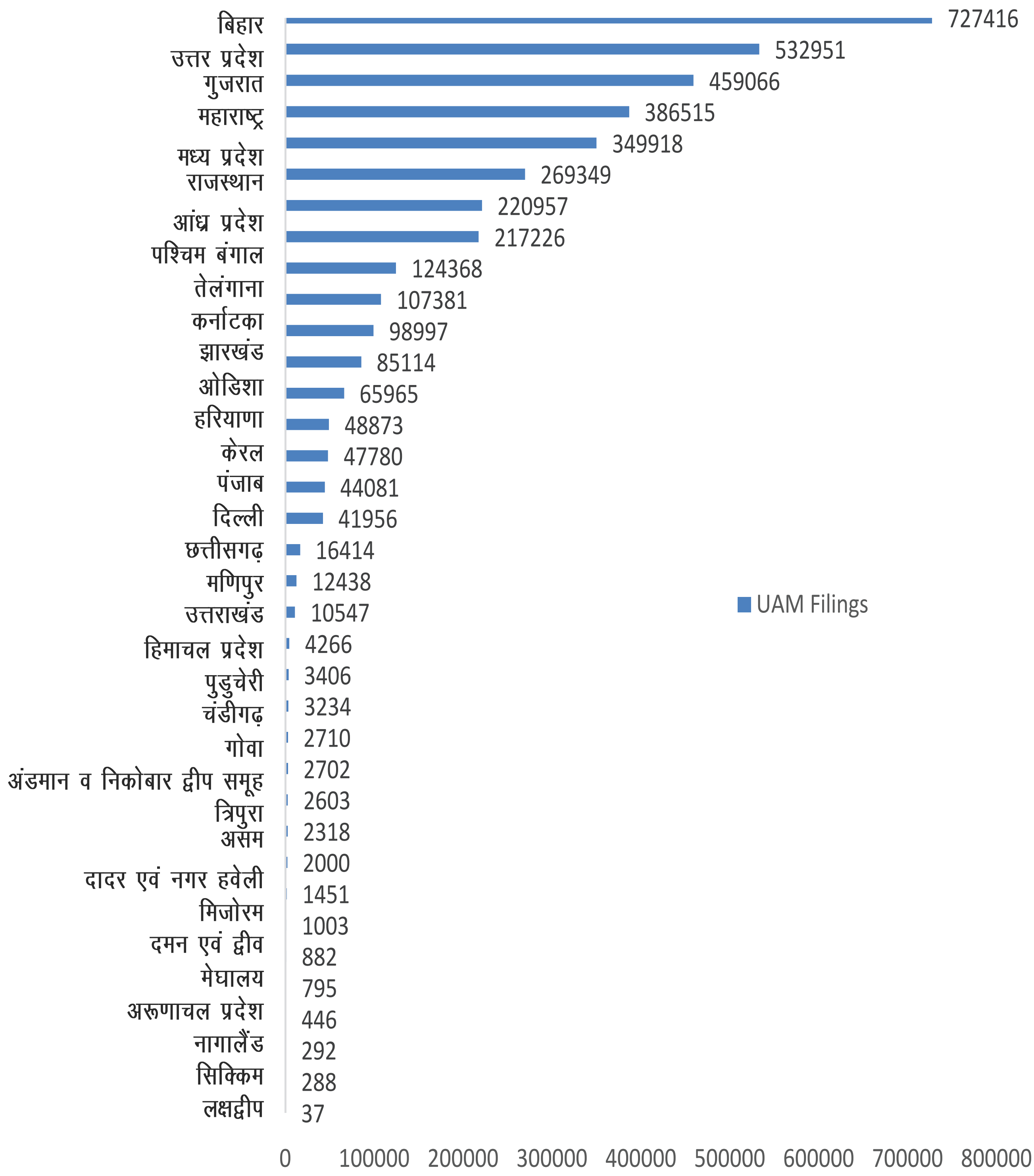

चित्र 2.1 : दाखिल किए गए यूएएम का राज्यवार वितरण

अनुबंध –I

तालिका 1: एमएसएमई का राज्यवार अनुमानित वितरण (एनएसएस का 73वां दौर)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उद्यमियों की अनुमानित संख्या (संख्या लाख में)			
		सूक्ष्म	लघु	मध्यम	एमएसएमई
1	आंध्र प्रदेश	33.74	0.13	0.00	33.87
2	अरुणाचल प्रदेश	0.22	0.00	0.00	0.23
3	असम	12.10	0.04	0.00	12.14
4	बिहार	34.41	0.04	0.00	34.46
5	छत्तीसगढ़	8.45	0.03	0.00	8.48
6	दिल्ली	9.25	0.11	0.00	9.36
7	गोवा	0.70	0.00	0.00	0.70
8	गुजरात	32.67	0.50	0.00	33.16
9	हरियाणा	9.53	0.17	0.00	9.70
10	हिमाचल प्रदेश	3.86	0.06	0.00	3.92
11	जम्मू और कश्मीर	7.06	0.03	0.00	7.09
12	झारखंड	15.78	0.10	0.00	15.88
13	कर्नाटक	38.25	0.09	0.00	38.34
14	केरल	23.58	0.21	0.00	23.79
15	मध्य प्रदेश	26.42	0.31	0.01	26.74
16	महाराष्ट्र	47.60	0.17	0.00	47.78
17	मणिपुर	1.80	0.00	0.00	1.80
18	मेघालय	1.12	0.00	0.00	1.12
19	मिजोरम	0.35	0.00	0.00	0.35
20	नागालैंड	0.91	0.00	0.00	0.91
21	ओडिशा	19.80	0.04	0.00	19.84
22	पंजाब	14.56	0.09	0.00	14.65
23	राजस्थान	26.66	0.20	0.01	26.87
24	सिक्किम	0.26	0.00	0.00	0.26
25	तमिलनाडु	49.27	0.21	0.00	49.48
26	तेलंगाना	25.94	0.10	0.01	26.05
27	त्रिपुरा	2.10	0.01	0.00	2.11
28	उत्तर प्रदेश	89.64	0.36	0.00	89.99
29	उत्तराखंड	4.14	0.02	0.00	4.17
30	पश्चिम बंगाल	88.41	0.26	0.01	88.67
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.19	0.00	0.00	0.19

32	चंडीगढ़	0.56	0.00	0.00	0.56
33	दादरा और नगर हवेली	0.15	0.01	0.00	0.16
34	दमन और दीव	0.08	0.00	0.00	0.08
35	लक्षद्वीप	0.02	0.00	0.00	0.02
36	पुडुचेरी	0.96	0.00	0.00	0.96
कुल		**630.52**	**3.31**	**0.05**	**633.88**

अनुबंध–II

तालिका 2: राज्यवार कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	रोजगार (संख्या लाख में)		
		महिला	पुरुष	कुल
1	आंध्र प्रदेश	21.01	34.98	55.99
2	अरुणाचल प्रदेश	0.11	0.29	0.41
3	असम	1.78	16.37	18.15
4	बिहार	4.79	48.26	53.07
5	छत्तीसगढ़	4.07	12.79	16.86
6	दिल्ली	2.41	20.59	23.00
7	गोवा	0.41	1.20	1.60
8	गुजरात	13.71	47.44	61.16
9	हरियाणा	2.78	16.27	19.06
10	हिमाचल प्रदेश	1.13	5.29	6.43
11	जम्मू और कश्मीर	1.50	9.37	10.88
12	झारखंड	5.57	19.34	24.91
13	कर्नाटक	19.73	51.11	70.84
14	केरल	13.77	30.86	44.64
15	मध्य प्रदेश	10.13	38.61	48.80
16	महाराष्ट्र	17.97	72.77	90.77
17	मणिपुर	1.40	1.52	2.92
18	मेघालय	0.72	1.19	1.91
19	मिजोरम	0.28	0.34	0.62
20	नागालैंड	0.59	1.18	1.77
21	ओडिशा	8.37	24.87	33.26
22	पंजाब	4.24	20.55	24.80
23	राजस्थान	8.01	38.31	46.33
24	सिक्किम	0.14	0.31	0.45

25	तमिलनाडु	32.27	64.45	96.73
26	तेलंगाना	15.24	24.91	40.16
27	त्रिपुरा	0.44	2.51	2.95
28	उत्तर प्रदेश	27.27	137.92	165.26
29	उत्तराखंड	0.69	5.91	6.60
30	पश्चिम बंगाल	43.51	91.95	135.52
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.10	0.29	0.39
32	चंडीगढ़	0.12	1.17	1.29
33	दादरा और नगर हवेली	0.07	0.29	0.36
34	दमन और दीव	0.02	0.12	0.14
35	लक्षद्वीप	0.01	0.02	0.03
36	पुडुचेरी	0.57	1.27	1.84
कुल		264.92	844.68	1109.89

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्यरत सांविधिक निकाय तथा अन्य निकाय

3.1 खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) के अंतर्गत गठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तत्वावधान में एक सांविधिक निकाय है।

3.1.1 उद्देश्य : खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य।
- बिक्री–योग्य वस्तुओं के उत्पादन का आर्थिक उद्देश्य।
- लोगों में आत्म–निर्भरता व सुदृढ़ ग्रामीण सामुदायिक भावना उत्पन्न करने का व्यापक उद्देश्य।

3.1.2 कार्य : खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 61) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम में यथा उल्लिखित खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यों में निम्नलिखित बिन्दु शामिल हैं–

i. खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र से जुड़े अथवा इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण की योजना बनाना तथा उन्हें प्रशिक्षण देना।

ii. हाथ–कते सूत अथवा खादी अथवा ग्रामोद्योगों के उत्पादन में लगे व्यक्तियों अथवा संभावित व्यक्तियों को ऐसी दर पर, जैसा कि आयोग द्वारा निर्णय लिया जाए, प्रत्यक्ष रूप से अथवा विशिष्ट अभिकरणों के माध्यम से कच्चे माल और उपकरणों का भंडारण करना।

iii. कच्चे माल अथवा अर्ध–निर्मित माल के प्रसंस्करण हेतु सामान्य सुविधा केंद्र के सृजन को बढ़ावा देना तथा सहायता करना तथा उत्पादन को सरलीकृत करना या खादी व ग्रामोद्योगी उत्पादों का विपणन।

iv. खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों अथवा हस्त–निर्मित उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से यथासंभव व यथा आवश्यक विशिष्ट विपणन अभिकरणों के साथ संपर्क करना।

v. उत्पादकता को बढ़ाने, अतिश्रम को कम करने तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने तथा ऐसे अनुसंधान के प्राप्त परिणामों के प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करने की दृष्टि से गैर परंपरागत तथा विद्युत ऊर्जा के उपयोग सहित खादी और ग्रामोद्योग आयोग में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के अनुसंधान को बढ़ावा देना।

vi. प्रत्यक्ष अथवा अन्य अभिकरणों के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग की समस्या का अध्ययन करना।

vii. खादी या ग्रामोद्योग के विकास व प्रचालन में शामिल संस्थाओं व व्यक्तियों को सीधे अथवा विनिर्दिष्ट अभिकरणों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा आयोग के अनुसार उन्हें उन उत्पादों की सेवाओं की आपूर्ति हेतु डिजाइन, प्रोटोटाइप व अन्य तकनीकी जानकारी प्रदान करना, आयोग की दृष्टि में जिनकी अधिक मांग है।

viii. प्रत्यक्ष अथवा विशिष्ट अभिकरणों (एजेंसियों) के माध्यम से प्रयोग व उन पायलट परियोजनाओं का निष्पादन, जो कि खादी और ग्रामोद्योग के विकास हेतु आयोग की दृष्टि से समीचीन/उचित हों।

ix. उपरोक्त सभी मामलों अथवा किसी मामले के निष्पादन हेतु एक पृथक संगठन की स्थापना और रखरखाव करना।

3.1.3 संगठन :

3.1.3.1 खादी और ग्रामोद्योग आयोग का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है तथा नई दिल्ली, भोपाल, बंगलुरु, कोलकाता, मुंबई तथा गुवाहाटी स्थित इसके 06 आंचलिक कार्यालय हैं तथा देशभर में इसके 46 क्षेत्रीय कार्यालय हैं ।

3.1.3.2 खादी और ग्रामोद्योग आयोग का संगठनात्मक चार्ट (डिजाइन) नीचे तालिका में दिया गया है.

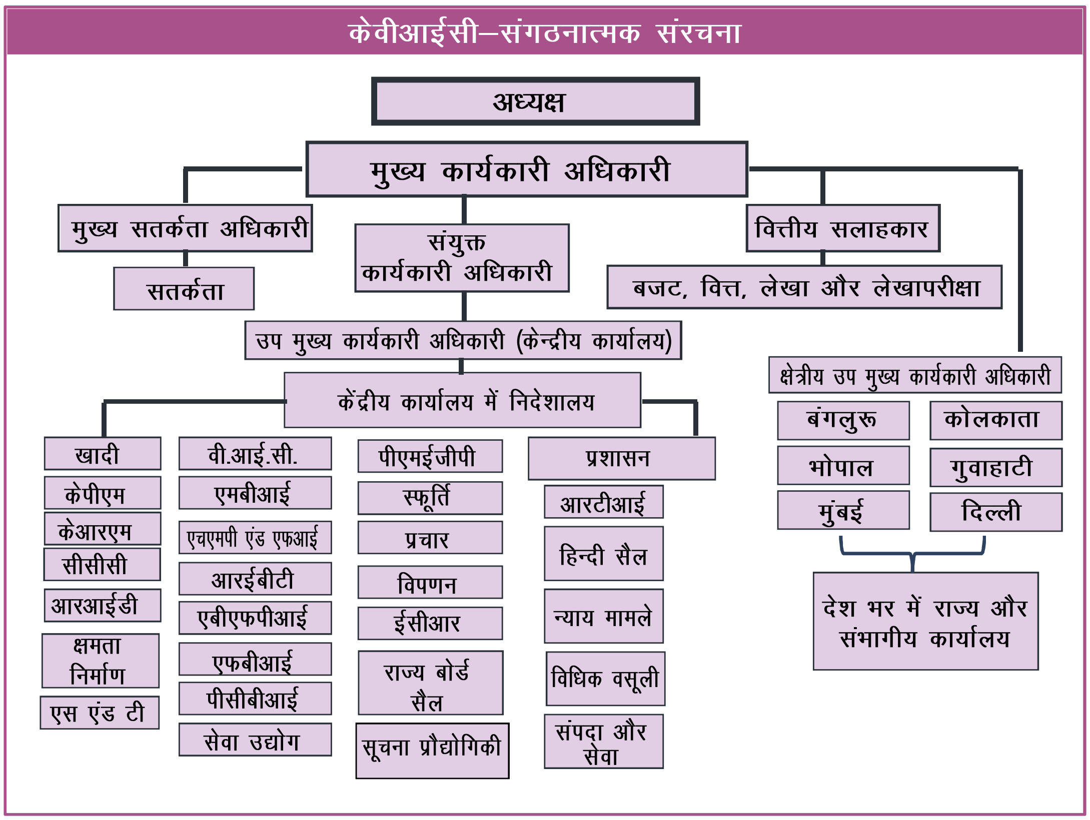

चित्र 3.1 : खादी और ग्रामोद्योग आयोग का संगठनात्मक चार्ट

3.1.3.3 खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने 38 विभागीय एवं गैर–विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन करता है। खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं तथा इकाइयों द्वारा उत्पादित खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों का विपणन खादी संस्थाओं द्वारा संचालित खादी ग्रामोद्योग भंडार व भवन द्वारा देशभर में स्थित इसके 8058 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास खादी संस्थाओं/एनजीओ/उद्यमियों के खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों को बेचने हेतु 07 विभागीय बिक्री केंद्र का संचालन करता है।

3.1.3.4 खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड्स,

4601 पंजीकृत संस्थाओं, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। खादी कार्यक्रम का कार्यान्वयन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के केवीआई बोर्ड्स से पंजीकृत संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

3.1.4 भारत का खादी क्षेत्र :

3.1.4.1 काफी अल्प पूंजी निवेश पर ग्रामीण कारीगरों के घरों पर ही रोजगार–सृजित करने की दृष्टि से खादी गतिविधि को एक अत्यंत प्रभावी साधन के रूप में जाना जाता है । स्वाधीनता के पश्चात, खादी और ग्रामोद्योग राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। इसलिए खादी को केवल एक वस्त्र के रूप में ही नहीं अपितु स्वतंत्रता व आत्म–निर्भरता के प्रतीक के रूप में भी एक विशिष्ट पहचान मिली।

3.1.4.2 खादी एवं पॉलीवस्त्र का उत्पादन विश्व में ग्रामीण उत्पादकता का सबसे बड़ा कार्यक्रम है । यह उपभोक्ताओं को उनकी राशि के अनुरूप गुणवत्तापरक उत्पादन उपलब्ध कराते समय ग्रामीण समुदायों को उनके उत्कृष्ट प्रयासों हेतु उन्हें विशेष महत्व देता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक सांविधिक निकाय है, जिसे खादी के उत्पादन एवं बिक्री को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है । कुल 2375 संस्थाएं एक वृहत नेटवर्क का निर्माण करती हैं, जो कि भारत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है । खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधीन, इस गतिविधि में 4.56 लाख से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जिसमें से अधिकतर सहभागिता(70 प्रतिशत से अधिक) महिलाओं की है।

3.1.4.3 खादी, खादी और ग्रामोद्योग का एक विशिष्ट कार्यक्रम है तथा कारीगरों को उनके घरों पर ही रोजगार उपलब्ध कराने हेतु एक प्रभावी साधन है। 2375 खादी संस्थाओं द्वारा इसे कार्यान्वित किया जा रहा है । विपणन विकास सहायता के माध्यम से प्रदत्त सहायता तथा व्याज पात्रता प्रमाणपत्र योजना, खादी संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे कुल 4.56 लाख परंपरागत कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है।

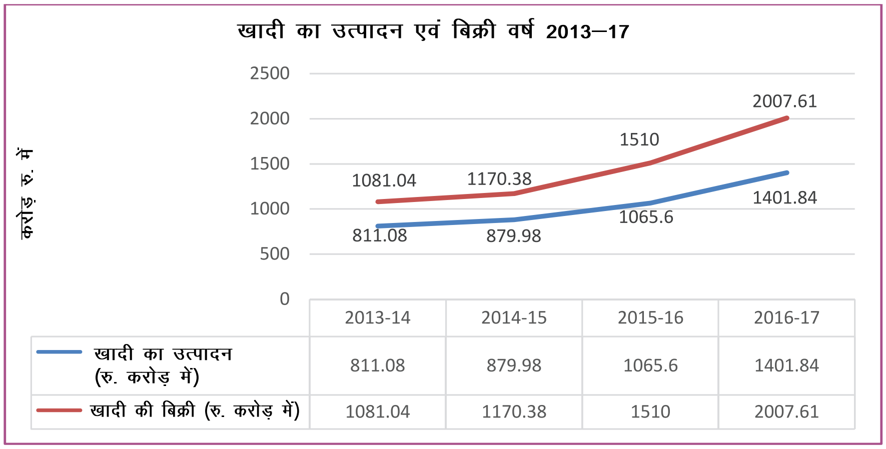

चित्र 3–2 : खादी का उत्पादन 2013.17 (केवीआईसी वार्षिक रिपोर्ट)

3.1.4.4 विगत पाँच वर्षो से खादी उत्पादन व बिक्री में निरंतर वृद्धि हुई है । वर्ष 2014–15 में कुल 879.98 रु करोड़ का उत्पादन बढ़कर वर्ष 2016–17 में 1401.84 रु करोड़ हो गया । ठीक इसी प्रकार, वर्ष 2014–15 में खादी की कुल 1170.38 रु करोड़ की बिक्री हुई थी, जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर 2007.61 रु. करोड़ हो गई।

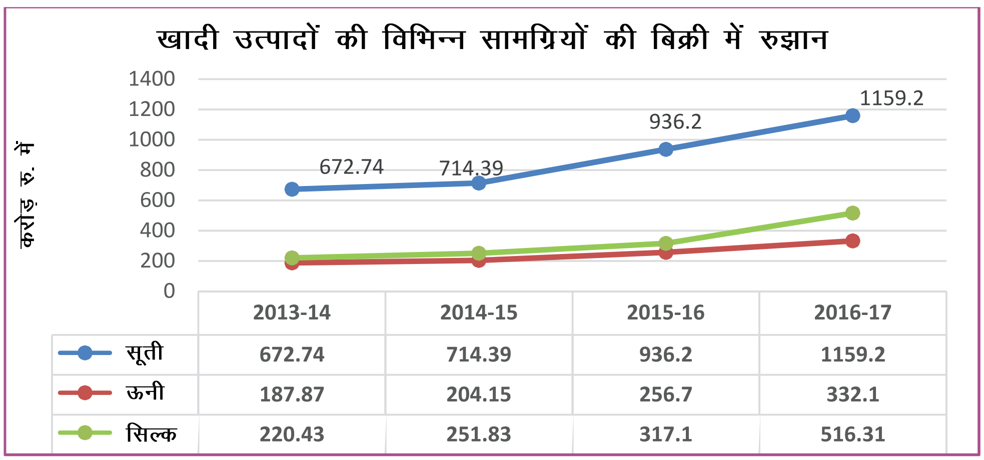

चित्र 3–3 : खादी के विभिन्न उत्पादों की बिक्री में रुझान (केवीआईसी वार्षिक रिपोर्ट)

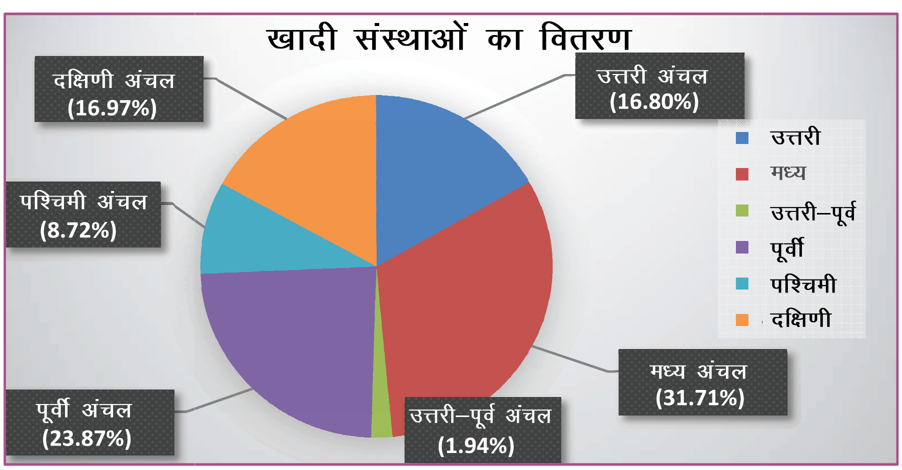

चित्र 3–4 : खादी संस्थाओं का वितरण (खादी और ग्रामोद्योग आयोग)

3.1.4.5 देशभर में कुल खादी की कुल 2375 संस्थाएं हैं, जिससे कुल 4,56,000 कारीगर जुड़े हैं। इस संबंध में पूर्ण जानकारी http://www.kviconline.gov.in/claims/artisanData/index-jsp पर उपलब्ध है)। अधिकांश खादी संस्थाएं देश के मध्य भाग में स्थित हैं (चित्र 3–4)।

3.1.4.6 ग्रामोद्योग में पिछले कुछ वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है। उत्पादन व बिक्री में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष 2014–15 में कुल 26689.39 करोड़ रु का उत्पादन हुआ था, जो कि वर्ष 2016–17 में 41110.26 करोड़ रु हो गया। ग्रामोद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की वर्ष 2014–15 में कुल 31865.52 करोड़ रु की बिक्री हुई थी, जबकि वर्ष 2016–17 में कुल 49991.61 करोड़ रु की बिक्री हुई । ग्रामोद्योग के अधीन 07 अलग–अलग क्षेत्र निम्नानुसार हैं :–

क्र. सं.	वर्गीकरण	उद्योग
1	खनिज आधारित उद्योग	मिट्टी के बर्तन बनाना (कुम्हारी) चूना
2	कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	दाल एवं अनाज प्रसंस्करण उद्योग गुड़ एवं खांडसारी उद्योग पामगुड़ उद्योग फल एवं वनस्पति प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण तेल उद्योग
3	बहुलक एवं रसायन आधारित उद्योग	चमड़ा उद्योग अखाद्य तेल व साबुन उद्योग कुटीर माचिस उद्योग प्लास्टिक उद्योग
4	वन आधारित उद्योग	औषधीय पौधे मधुमक्खी पालन उद्योग लघु वानिकी आधारित उद्योग
5	हाथ से तैयार कागज एवं रेशा उद्योग	हाथ से तैयार कागज उद्योग रेशा उद्योग
6	ग्रामीण अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी उद्योग	गैर–परंपरागत उद्योग बढ़ई गिरी व लोहारी इलेक्ट्रोनिक्स
7	एसईपी/सेवा उद्योग	

ग्रामोद्योग में उत्पादन, बिक्री तथा अर्जन संबंधी रूझान

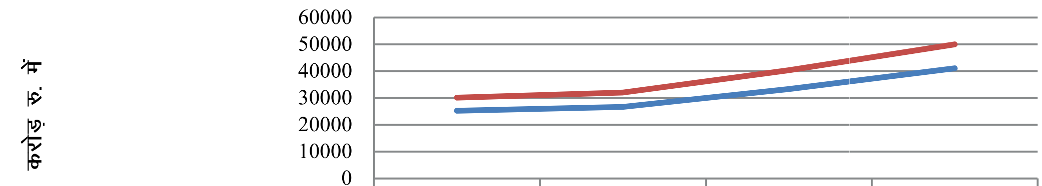

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
ग्रामोद्योग में उत्पादन,	25298	26689.39	33424.62	41110.26
ग्रामद्योग वस्तुओं की बिक्री	30073.16	31965.52	40384.56	49991.61

चित्र 3–5: ग्रामोद्योग में उत्पादन, बिक्री तथा अर्जन संबंधी रूझान (केवीआईसी की वार्षिक रिपोर्ट

केवीआईसी द्वारा ग्रामोद्योग उत्पादों का विपणन

3.1.5 खादी को प्रोत्साहित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा की गई हाल की कार्य नीतिक पहल।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देशभर में स्थित खादी और ग्रामोद्योगी इकाइयों में उत्पादन व बिक्री को बढ़ाने के लिए हाल ही में कई कार्यनीतिक पहल की है ।

(क) नई पहल :

- खादी संस्थाओं में उत्पादन एवं बिक्री लक्ष्यांक के निर्धारण हेतु उदारवादी नीति अपनायी गई है।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने, सहयोग योजना के अंतर्गत, निर्धन कारीगरों हेतु चरखा–वितरण के लिए रु 1.00 करोड़ की धनराशि इकट्ठा की है।

- काजीरंगा में 100 विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया तथा उन्हें 25 चरखे तथा 5 करघे वितरित किए गए।.
- सीएसआर के अंतर्गत, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 5.30 करोड़ रु की धनराशि प्रदान की, जिससे 1000 कारीगरों हेतु रोजगार के अवसर का सृजन किया गया ।
- उत्पादकता एवं महिला स्पीनरों (कत्तीनों) की पारिश्रमिक/मजदूरी में वृद्धि करने के उद्देश्य से उन्हें 500 नए मॉडल के 8 स्पीन्डल (तकुए) के चरखे उपहार स्वरूप प्रदान किए गए।
- अपने ग्राहकों को डिजाइनर उत्पाद सहित खादी के सभी उत्पाद आसानी से उपलब्ध कराने हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ''खादी लाऊंज'' के नाम से प्रीमियर खादी शोरूम खोलने की पहल की है। इस प्रकार के लाऊंज जयपुर, मुंबई व नई दिल्ली में भी खोले गए हैं।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ओएनजीसी को कूपन प्रदान किया तथा देशभर में ओएनजीसी के 35000 कर्मचारियों को खादी की बिक्री के लिए विशिष्ट प्रदर्शनी आयोजित की गई।
- खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे, नई दिल्ली में एक सबसे बड़ा चरखा स्थापित किया गया है ।
- प्रीमियर खादी उत्पादों की बिक्री के लिए लखनऊ, दिल्ली, विशाखापट्टनम, एयरपोर्ट इत्यादि स्थानों पर बिक्री केंद्र खोले गए हैं।
- केवीआई इकाइयों द्वारा उत्पादित खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करने के लिए फ्रेंचाइजी योजना के अंतर्गत पुणे तथा तिरुमला में 02 बिक्री केंद्र खोले गए।

मुंबई में दिनांक 16 नवंबर 2017 को रिटेल चेन के सीईओ के साथ बैठक व डिज़ाइनर्स कॉन्फ्रेंस में श्री अरुण कुमार पंडा, सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा श्री विनय कुमार सक्सेना, अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं श्री बी. एच अनिल कुमार, संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (खादी और ग्रामोद्योग आयोग)

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किए गए अन्य पहल.

- खादी संस्थाओं व उनके कारीगरों को विपणन विकास सहायता के संवितरण हेतु ऑनलाइन एप्लिकेशन प्रणाली की शुरुआत की गई है।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी गतिविधियों के निष्पादन हेतु नवीन खादी संस्थाओं का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने मैसर्स रेमण्ड लिमिटेड तथा मैसर्स आदित्य बिरला फैशन व रिटेल्स लिमिटेड के साथ एक करार किया है तथा उन्हें खादी उत्पादों के विपणन हेतु खादी मार्क पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।
- संस्थाओं को उनके सभी संसाधनों का यथासंभव उपयोग करते हुए, उत्पादन व बिक्री को बढ़ाने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जा रही है।
- आइसेक (आईएसईसी) के अंतर्गत, खादी संस्थाओं को एमडीए व ब्याज सब्सिडी का भुगतान व खादी कारीगरों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में डीबीटी मोड में किया जा रहा है ।
- **अनुसंधान एवं विकास** – खादी और ग्रामोद्योग आयोग, उत्पादों की उत्पादकता व गुणवत्ता में वृद्धि करने के उद्देश्य से जरूरतमन्द संस्थाओं को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करते हुए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सतत अन्वेषण व कार्यान्वयन हेतु एमगिरी, वर्धा, आईआईटी दिल्ली व आईआईटी, चेन्नई इत्यादि के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास कार्य का निष्पादन करता है।
- **नई खादी संस्थाओं का पंजीकरण**– खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से नई खादी संस्थाओं को सूचीबद्ध/पंजीकृत किया है। वर्ष 2016–17 के दौरान इस प्रकार की 62 नवीन खादी संस्थाओं को पंजीकृत किया गया है।
- **कारीगर कल्याण निधि न्यास** – कारीगर कल्याण न्यास का प्रचालन संबंधित राज्य की खादी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। सभी खादी संस्थानों के लिए एडबल्यूएफ़टी की सदस्यता अनिवार्य है। अभी तक 2086 खादी संस्थानों ने इसकी सदस्यता प्राप्त कर ली है।

3.1.6 विपणन गतिविधियां

- जयपुर, मुंबई व नई दिल्ली में तीन नवीन बिक्री केंद्र/लाऊंज ''खादी इंडिया'' की स्थापना की गई है।
- लखनऊ व विशाखापट्टनम स्थित हवाई अड्डे पर बिक्री केन्द्रों की स्थापना की गई है।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कॉर्पोरेट, पीएसयू व मंत्रालयों की सहायता से, अपने बाजार को विकसित करने की दिशा में कई प्रयास किए हैं ।
- खादी डेनिम उत्पाद 'स्वदेशी खादी फैशन' के प्रतीक के रूप में खादी फैब्रिक्स एवं परिधानों को युवाओं को आकर्षक बनाता रहा।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उद्यमियों/संस्थाओं द्वारा उत्पादित केवीआई उत्पादों की बिक्री के लिए 15 चयनित शहरों में केवीआईसी फ्रेंचाइज बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उत्कृष्ट शोरूमों में प्रीमियर खादी

डिजाइनर उत्पादों को उपलब्ध कराने हेतु प्रीमियर खादी शोरूम खोलने हेतु अथक एवं सराहनीय प्रयास किया है।

3.1.7 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की योजनाओं का कार्यान्वयन।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजनाओं हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक कार्यान्वयन/नोडल अभिकरण है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की सूची नीचे दी गई है ।

तालिका 3.1 : केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएं

क्र.सं.	योजना	केवीआईसी गतिविधियां
1.	खादी कारीगरों हेतु वर्कशेड योजना	खादी संस्थाओं से जुड़े बीपीएल श्रेणी के खादी कारीगरों के लिए खादी संस्थाओं के माध्यम से वर्कशेड के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2016–17 के दौरान 3272 लाभार्थियों सहित 39715 कारीगरों को योजना के तहत वर्कशेड की स्थापना के माध्यम से सहायता दी गई थी।
2	मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना और विपणन बुनियादी ढांचे के लिए सहायता	यह योजना खादी क्षेत्र की रूग्ण/समस्याग्रस्त संस्थाओं को आवश्यकता आधारित सहायता की सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार की गई थी, जिनके उत्पादन, बिक्री और रोजगार में गिरावट आई है, जबकि उनमें सामान्य होने और उनमें अन्य चिन्हित विपणन अधोसंरचना के सृजन को सहायता करने की क्षमता होती है। इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2016–17 के दौरान, उनके बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने और चयनित 117 खादी बिक्री दुकानों के नवीकरण के लिए 35 कमजोर खादी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

क्र.सं.	योजना	केवीआईसी गतिविधियां
3.	खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी)	एक व्यापक खादी सुधार कार्यक्रम को लागू करने के लिए फरवरी, 2010 में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से तीन साल की अवधि में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता का करार किया है, जिसे एडीबी और केवीआईसी के परामर्श तैयार किया गया है। • जुलाई, 2013 में खादी मार्क विनियमन के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। • ऋण की राशि को 105 यूएस डॉलर तथा 31.12.2017 तक की समय सीमा के साथ पुनर्गठित किया गया था। • केआरडीपी के तहत प्रत्यक्ष सुधार सहायता (डीआरए) 327 खादी संस्थानों को प्रदान की गई और 31.03.2017 तक सामान्य और विशेष, दोनों श्रेणी सहित 100 खादी संस्थानों को सहायता प्रदान की गई। • कुल 2163 खादी संस्थाओं ने खादी मार्क प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। • 18324 एनएमसी और 4561 उन्नत करघों को 327 खादी संस्थाओं को स्वीकृत किया गया है और केआरडीपी के तहत 100 खादी संस्थाओं द्वारा पारंपरिक सहित 8628 एनएमसी और 1532 उन्नत करघों की खरीद की गई है तथा इस कार्यक्रम के तहत कारीगरों, अर्थात कत्तीनों और बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। • 3508 व्यक्तियों में कत्तीनों/बुनकरों और कर्मचारियों को शामिल किया गया है जिन्हें विभिन्न विषयों के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है। • 197 बिक्री केन्द्रों को खादी संस्थाओं द्वारा नवीकृत किया गया है।
4.	ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) योजना	भारत सरकार ने खादी संस्थाओं के लिए वित्तीय संस्थानों/बैंकों से निधि की अतिरिक्त आवश्यकताओं को जुटाने के लिए 1977–78 में ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आइसेक) योजना शुरू की थी। आइसेक योजना खादी और पॉलीवास्त्र कार्यक्रम के लिए निधि का प्रमुख स्रोत है। आइसेक योजना केवीआईसी/ केवीआईबी के अंतर्गत सभी पंजीकृत खादी संस्थाओं के लिए के लिए लागू है जो खादी और पॉलीवास्त्र कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं। योजना के तहत केवीआई की अपेक्षा उन संस्थाओं को कार्यशील पूंजी 4 प्रतिशत के रियायती ब्याज पर दी जाती है। इस योजना के तहत, संस्था को 4% वार्षिक ब्याज बैंक को चुकाना पड़ता है तथा शेष का भुगतान खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा भारत सरकार से प्राप्त बजटीय स्रोत निधि ब्याज से वास्तविक लेंडिंग रेट से 4% घटाकर किया जाता है। विवरण अध्याय–4 में प्रदान किया गया है।
5.	एमपीडीए	वर्ष 2016–17 के दौरान 327.04 करोड़ रु. की राशि केवीआईसी द्वारा खादी संस्थाओं और खादी कारीगरों को एमडीए (खादी) प्रोत्साहन के तौर पर संवितरित की गई है। विवरण अध्याय–4 में प्रदान किया गया है।

क्र.सं.	योजना	केवीआईसी गतिविधियां
6.	आम आदमी बीमा योजना	आम आदमी बीमा योजना (पूर्ववर्ती खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना) एक समूह बीमा योजना है जो खादी कारीगरों को प्राकृतिक मृत्यु, मृत्यु और दुर्घटनावश स्थायी/आंशिक विकलांगता की स्थिति में बीमा लाभ प्रदान करती है। यह योजना खादी कारीगरों के दो बच्चों को, जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ रहे हैं, और जो आईटीआई में अध्ययन कर रहे हैं, उनको प्रति तिमाही 300/– रु.की शैक्षणिक छात्रवृत्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के प्रदान करती है। विवरण अध्याय–4 में प्रदान किया गया है।

3.1.8 खादी उद्योग में वृद्धि

खादी और ग्रामोद्योग गतिविधियां ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए आजीविका का प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर देश भर में फैले कत्तिन, बुनकर और अन्य कारीगर शामिल हैं। वर्ष 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग का तुलनात्मक कार्यनिष्पादन निम्न तालिका में दिया गया है, जो इसके जबरदस्त वृद्धि को दर्शाता है।

तालिका 3.2 : खादी और ग्रामोद्योग का तुलनात्मक कार्यनिष्पादन

(रु. करोड़ में; रोजगार : लाख व्यक्ति में)

क्र.सं.	उत्पादन	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (31.12.2017 तक)
I.	**उत्पादन**				
क.	खादी	879.98	1065.60	1520.83*	1069.46*
ख.	ग्रामोद्योग	26689.39	33424.62	41110.26	44656.23
	कुल	**27569.37**	**34490.22**	**42631.09**	**45725.69**
II.	**बिक्री**				
क.	खादी	1170.38	1510.00	2146.60*	1326.33*
ख.	ग्रामोद्योग	31965.52	40384.56	49991.61	54424.07
	कुल	**33135.90**	**41894.56**	**52138.21**	**55750.40**
III.	**रोजगार**				
क.	खादी	11.06	11.07	4.56*	4.56*
ख.	ग्रामोद्योग	123.19	126.76	131.84	133.23
	कुल	**134.25**	**137.83**	**136.40**	**137.79**

***वर्ष 2016–17 और 2017–18 के दौरान खादी में शामिल किए गए पॉलीवस्त्र आंकड़े।**

दिनांक 19.08.2017 को 'वर्ल्ड हनी बी डे' के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द जी की उपस्थिति में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रपति भवन से 'स्वीट क्रांति' की शुरुआत की।

3.1.9 खादी क्षेत्र के सामने आयी चुनौतियां :

- खादी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैंडलूम, मिल में बने, ब्रांडेड देशी सेगमेंट से है, और नकली, जाली, तथा एक जैसे दिखने वाले उत्पादों को पूरे देश में खादी नाम पर बेचा जा रहा है।
- खादी को इसकी समृद्ध विरासत और भावनात्मक मूल्य के लिए जाना जाता है जो हमें उत्पादों और ब्रांडों से परिपूर्ण सम्पूर्ण स्वदेशी वस्त्र खंड प्रदान करता है। बाजार उन्मुख, फैशन के प्रति जागरूक युवाओं के लिए तैयार आधुनिक उत्पादों को विकसित करना एक चुनौती है, साथ ही साथ मुनाफा कमाने का एक मौका भी है।
- नियमित बिक्री और उच्च आमदनी कारीगरों को समय पर उनका मेहनताना देना जरूरी है ताकि उनकी आमदनी में निरन्तरता बनी रहे और वे कार्य से जुड़े रहें।
- खादी संस्थाओं के उपकरणों एवं कार्यों का आधुनिकीकरण और भंडारों का नवीनीकरण अन्य बड़ी चुनौतियां हैं। केवीआईसी को इस क्षेत्र के समग्र विकास, उत्पादकता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सौंपा गया है।

3.1.10 केवीआईसी को बजटीय सहायता

3.1.10.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु केवीआईसी को निधियाँ प्रदान करता है। इन निधियों को मुख्य रूप से अनुदान के माध्यम से प्रदान किया जाता है और केवीआईसी इसके बदले में इसकी कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां आवंटित करती है, अर्थात् राज्य केवीआईबी; संस्था पंजीकरण अधिनियम–1860 के तहत पंजीकृत पंजीकृत संस्थान तथा राज्य सरकारों सहकारी समितियों के सहकारी अधिनियमों के अधीन पंजीकृत सहकारी समितियां, और जिला उद्योग केंद्र आदि। पेंशन भुगतान सहित आयोग के प्रशासनिक व्यय को गैर–योजना सरकारी बजटीय सहायता से किया जाता है।

3.1.10.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान बजटीय स्रोतों (दोनों योजना और गैर–योजना के अधीन) से प्रदान की गई निधियों का ब्योरा और बजट अनुमान–2017–18 में निर्धारित की गई निधियों के विवरण को निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

तालिका 3.3 : केवीआईसी को बजटीय सहायता **(रु.करोड़ में)**

वर्ष	आवंटन (संशोधित अनुमान		जारी निधि	
	योजना	गैर.योजना	योजना	गैर.योजना
2014-15	1452.00	229.09	1384.40	227.31
2015-16	1579.65	244.71	1520.49	244.18
2016-17	1647.40	258.74	1591.08	258.74
2017-18 ((बजट अनुमान)	**1866.68**		**1522.55**	

नोट : वर्ष 2017–18 के आंकड़े 31 दिसंबर, 2017 तक हैं।

3.2 कयर बोर्ड

कॅयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ाने एवं इस परंपरागत उद्योग में शामिल कार्यकर्ताओं के रहन–सहन के स्तर को सुधारने के लिए कॅयर उद्योग अधिनियम 1953 के अधीन स्थापित कॅयर बोर्ड एक सांविधिक निकाय है।

3.2.1 उद्देश्य

3.2.1.1 भारत, विश्व का सर्वाधिक कॅयर उत्पादन करने वाला देश है जो विश्व में उत्पन्न होने वाले कुल कॅयर रेशे का 80% से अधिक उत्पादन करता है। भारत में विविध कॅयर क्षेत्र हैं जिसमें घरेलू निर्माता, सहकारी समितियां, गैर–सरकारी संगठन, उत्पादनकर्ता एवं निर्यातकर्ता इत्यादि शामिल हैं। यह सुन्दर हस्त–निर्मित वस्तुओं, हस्तशिल्प एवं नारियल के छिलके से बने उपयोगी उत्पादों को बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है जो कि अन्यथा एक कचरा है। कॅयर उद्योग 7.00 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है जिनमें से अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, और ये आर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित है। रेशा निकालने संबंधी कार्य एवं कताई क्षेत्र के कॅयर कार्यकर्ताओं में करीब 80 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। कॅयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ाने एवं इस परंपरागत उद्योग में शामिल कार्यकर्ताओं के जीवन स्तर को सुधारने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

3.2.2 कार्य

कॅयर उद्योग के विकास के लिए कॅयर बोर्ड के कार्यों में, अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल हैं।

- कॅयर यार्न और कॅयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और उस प्रयोजन के लिए प्रचार–प्रसार करना।
- कॅयर उत्पादों के निर्माता के रूप में कॅयर तकुआ को पंजीकृत करके और कॅयर उत्पादों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार की देखरेख में भूसी, कॅयर यार्न और कॅयर उत्पादों की देखरेख को विनियमित करना

- वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान को सहायता व प्रोत्साहन देना और एक या एक से अधिक शोध संस्थानों का रखरखाव और सहयोग करना।
- कॅयर उद्योगों के निर्माताओं और डीलरों तथा अन्य व्यक्तियों से आंकड़ों को एकत्रित करना, जो कॅयर उद्योग से संबंधित किसी भी मामले और आंकड़ों के प्रकाशन हेतु इस प्रकार एकत्रित किए जा सकते हैं।
- रेशा, कॅयर यार्न और कॅयर उत्पादों के निरीक्षण हेतु आवश्यक होने पर ग्रेड मानकों का निर्धारण करना।
- भारत और अन्य जगहों में नारियल की भूसी, कॅयर फाइबर, कॅयर यार्न और कॅयर उत्पादों के विपणन में सुधार करना और अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकना।
- विद्युत की सहायता से कॅयर उत्पादों के उत्पादकों हेतु कारखानों की स्थापना करना अथवा स्थापना में सहायता करना।
- भूसी, कॅयर रेशा और कॅयर यार्न के उत्पादकों और कॅयर उत्पादों के निर्माण के बीच सहकारी संगठन को बढ़ावा देना।
- कॅयर फाइबर और कॅयर यार्न और कॅयर उत्पादों के उत्पादकों हेतु लाभप्रदता सुनिश्चित करना।
- कॅयर उद्योग के विकास से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देना।

3.2.3 संगठन1

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ.2677(अ.) दिनांक 30.9.2015 के तहत 3 वर्षों की अवधि हेतु 18–सदस्यीय बोर्ड का पुनर्गठन किया। राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ.3284(अ) दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 के तहत उक्त अधिसूचना में संशोधन किया गया है और एक अन्य सदस्य को बोर्ड में श्रेणी (ई) के तहत दिनांक 29 सितंबर, 2018 तक की अवधि हेतु नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 3351(अ.) दिनांक 16.10.2017 के तहत अधिसूचना संख्या का.आ.2677(अ.) दिनांक 30 सितंबर, 2015 में संशोधन किया है, और 10 अतिरिक्त सदस्यों को बोर्ड में श्रेणी (बी), (सी), (डी) तथा (जी) के अंतर्गत दिनांक 29 सितंबर, 2018 तक की अवधि के लिए नियुक्त किया है।

- श्री सीपी राधाकृष्णन, पूर्व संसद सदस्य कॅयर बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
- अध्यक्ष, कयर बोर्ड को मिलाकर कॅयर बोर्ड में वर्तमान में 30 सदस्य हैं।
- कॅयर बोर्ड का मुख्यालय कॅयर हाउस, एमजीआर रोड, कोच्ची, केरल में स्थित है।
- कॅयर बोर्ड भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थापित 30 शोरूम और सेल्स डिपो और 1 उप–डिपो सहित 51 प्रतिष्ठानों को संचालित कर रहा है। बोर्ड के अधीन कुल कर्मचारियों की संख्या 320 है।

3.2.4 भारत में कॅयर उद्योग

3.2.4.1 कॅयर, भूसी से निकाला गया मोटा रेशा है, जो नारियल की रेशेदार बाहरी परत होती है। नारियल रेशे से बनी रस्सी और डोरियों का उपयोग प्राचीन काल से होता रहा है। भारतीय नाविक जो मलाया, जावा, चीन और अरब की खाड़ी में सैकड़ों वर्षों पूर्व समुद्री यात्रा करते थे, अपने जहाज के रस्से के रूप में वे कॅयर का

इस्तेमाल करते थे। कॅयर मैट्स, मैटिंग और अन्य फर्श कवरिंग का उत्पादन करने वाला कॅयर, भारत में एक कारखाने के रूप में शुरू किया गया था, और लगभग एक सौ पचास साल पहले वर्ष 1859 में अल्लेप्पी में कॅयर का पहला कारखाना स्थापित किया गया था।

3.2.4.2 कॅयर उद्योग एक कृषि आधारित पारंपरिक उद्योग है, जो केरल राज्य में प्रारम्भ हुआ और तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा आदि जैसे अन्य नारियल उत्पादक राज्यों में इसे उगाया जाता है। यह एक निर्यात उन्मुख उद्योग है जिसमें तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से मूल्य वृद्धि के जरिए निर्यात बढ़ाने की अत्यधिक संभावना है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री गिरिराज सिंह दिनांक 14.11.2017 को नई दिल्ली में प्रगति मैदान में 37वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) में कयर बोर्ड पवेलियन का उद्घाटन करने के बाद निहारते हुए

3.2.4.3 कुल विश्व कॅयर रेशा उत्पादन 10,64,000 टन (एफएओ सांख्यिकी बुलेटिन 2015) है। विकासशील जगत के कुछ क्षेत्रों में कॅयर रेशा उद्योग विशेष तौर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में कॅयर का उत्पादन मुख्य रूप से केरल राज्य के तटीय क्षेत्र में किया जाता है, और विश्व में सफेद कॅयर रेशा की आपूर्ति का 55% उत्पादन केरल में होता है। तमिलनाडु भारत में भूरे रेशे का अग्रणी उत्पादक है। भारत दुनिया में कॅयर का प्रमुख निर्यातक है।

तालिका 3.4 : पिछले 5 वर्षों के दौरान कॅयर का निर्यात (मात्रा और मूल्य)

वर्ष	मात्रा (मी.टन)	मूल्य (रु.लाख में)
2013-14	537040.38	147603.84
2014-15	626666.00	163033.77
2015-16	752020.00	190142.52
2016-17	957045.00	228164.82
2017-18 (31.12.2017 तक)	254039.00	58129.85

3.2.4.4 भारत से 5 शीर्ष कॅयर आयातक देश को निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं :

तालिका 3.5 : भारत से 5 शीर्ष कयर आयातक

क्रम सं	देश	मात्रा (टन में)	प्रतिशत (%)	मूल्य (रु. लाख में)	प्रतिशत (%)
1	चीन	439884.57	45.96	66655.52	29.21
2	यूएसए	133536.72	13.95	53286.56	23.35
3	नीदरलैंड	82487.53	8.62	18148.78	7.95
4	यू के	17668.15	1.85	11076.22	4.85
5	दक्षिण कोरिया	57545.12	6.01	9486.28	4.16

3.2.5 मुख्य कार्यकलाप एवं उपलब्धियाँ

3.2.5.1 मंत्रालय देश में कयर क्षेत्र के विकास के लिए अधिक महत्व देता आ रहा है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान 5,56,900 मी.टन फाइबर उत्पादन की तुलना में 7.29 लाख व्यक्तियों के संचयी रोजगार के साथ पर दिनांक 31 दिसंबर, 2017 तक की स्थिति में कयर रेशे का उत्पादन 3,25,900 मी. टन था ।

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18*
कयर रेशा उत्पादन (मी.टन)	5,39,815	5,42,000	5,49,300	5,56,900	3,25,900

*31 दिसंबर, 2017 तक अनंतिम आंकड़े

कयर भू वस्त्र
भूमि क्षरण नियंत्रण के लिए

3.2.5.2 पिछले दो वर्षों और चालू वर्षों के दौरान, कयर व कयर उत्पादों का अनुमानित उत्पादन नीचे दिया गया है:–

तालिका 3.6 : वर्ष 2015–18 के दौरान कयर उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि

मद	2015-16 (मात्रा मी.टन में)	2016-17 (मात्रा मी.टन में)	2017-18* (मात्रा मी.टन में)
कयर फाइबर	549300	556900	325900
कयर यार्न	329600	334200	195600
कयर उत्पाद	217500	220500	129050
कयर रस्सी	65920	66850	39150
कर्ल्ड कयर	65850	66800	39100
रबड़युक्त कयर	87900	89100	52150

*31 दिसंबर, 2017 तक अनंतिम

3.2.5.3 कयर और कयर उत्पादों के अनुमानित उत्पादन में मामूली वृद्धि लगातार हुई है। कयर उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या वही रूझान दिखाया गया है।

कयर उद्योग में रोजगार के राज्यवार रूझान

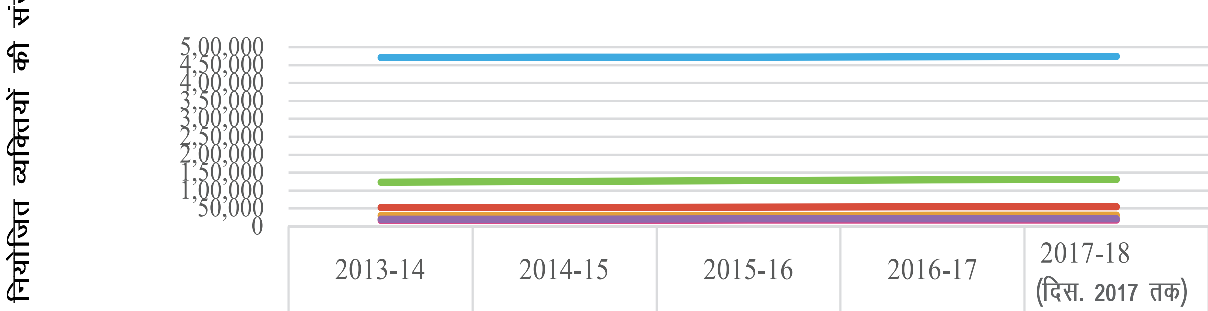

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (दिस. 2017 तक)
केरल	4,69,968	4,70,788	4,72,100	4,72,961	474256
तमिलनाडु	1,23,597	1,25,937	1,27,420	1,29,803	130608
कर्नाटक	29,920	30,338	30,440	30,872	30963
आंध्र प्रदेश	52,712	52,946	53,825	54,477	54636
ओडिशा	16,923	17,210	17,535	17,760	17858
अन्य	20,330	20,542	20,650	20,876	20946

चित्र 3.5–कयर उद्योग में रोज़गार का राज्य.वार रूझान (कयर बोर्ड)

नवप्रवर्तनकारी कयर उत्पाद – कयर लकड़ी

3.2.6 कयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित स्कीमें

3.2.6.1 कयर उद्यमी योजना – यह एक ऋण संबद्ध केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य कयर उद्योग का आधुनिकीकरण और नारियल हस्क के उपयोग को बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अधिक रोज़गार उपलब्ध करना है। वर्ष 2017–18 के दौरान, 6.32 करोड़ रु. (दिसंबर, 2017 तक के दौरान) 319 इकाइयों की स्थापना के लिए मार्जिन राशि के रूप में खर्च की गए हैं। इस वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान 450 से अधिक ईकाईयां स्थापित की जाएंगी ।

3.2.6.2 कयर विकास योजना – इस योजना में विभिन्न कार्यक्रम, जैसे कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जागरुकता कार्यक्रम, कार्यशाला, संगोष्ठी, प्रदर्शनी दौरा आदि कयर क्षेत्र के उद्यमियों को अधिक आकर्षित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। कयर उद्योग के लिए आवश्यक कुशल जनशक्ति सृजित करने के उद्देश्य से बोर्ड मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उम्मीदवारों को प्रति महीने रु.1,000/– की राशि वृत्तिका के रूप में प्रदान की जाती है। वर्ष 2017–18 (दिसंबर 2017 तक) के दौरान कयर बोर्ड ने विभिन्न राज्यों में बोर्ड के प्रादेशिक/उप प्रादेशिक कार्यालयों के माध्यम से 10 कार्यशालाएँ, 7 उद्यमिता विकास कार्यक्रम 19 जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं ।

3.2.6.3 महिला कयर योजना – महिला कयर योजना कयर उद्योग में एक महिला–उन्मुखी स्वरोज़ागर योजना है– जो नारियल उत्पादक क्षेत्रों में ग्रामीण महिला कारीगरों के लिए स्व–रोज़गार के अवसर प्रदान करती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति परिवार एक कारीगर योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है। देश में कयर फाइबर उत्पादक क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को कयर यार्न की कताई में /विभिन्न कयर प्रसंस्करण कार्यकलापों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना में 2 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के बाद महिलाओं द्वारा संचालित मोटरयुक्त रट/मोटरयुक्त परंपरागत रट और अन्य कयर प्रसंस्करण उपकरणों के लिए 75% सब्सिडी जो अधिकतम सीमा 7,500/– रु. है, वितरित करने पर विचार किया जा रहा है ।

3.2.7 कयर क्षेत्र के लिए चुनौतियाँ

- भारत में कयर उद्योग परंपरागत रूप से एक निर्यातोन्मुखी और श्रम गहन उद्योग है। यद्यपि भारतीय कयर विश्व बाज़ार में अपनी सर्वोच्चता जारी रखे हुए है। इस उद्योग के उत्पाद अन्य सस्ते उत्पादों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं ।

- इनपुट की लागत अपेक्षाकृत उच्च स्तर के साथ एक कृषि उत्पाद से विनिर्मित होने के नाते कयर सामान कृत्रिम और अन्य प्रतिस्पर्धी वस्तुओं की तुलना में अधिक महंगा है। देश के कई भागों में कयर के उत्पादन और प्रसंस्करण की पद्धति अप्रचलित ही जारी है।

- अत्याधुनिक उत्पादन तकनीकों, मशीनरी आदि के साथ कयर उद्योग का आधुनिकीकरण करना समय की मांग है। यद्यपि फर्श कवर सामग्री के क्षेत्र में कयर के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होने पर भी कयर पिथ, कयर भूवस्त्र और कयर लकडी जैसे उत्पादों को विकासशील देशों में बहुत अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं।

- इन देशों में पर्यावरण–अनुकूल पहलुओं और कयर उत्पादों के नए अनुप्रयोग क्षेत्र पर जागरूकता सृजन के जरिए पर्याप्त बाजार संवर्धन कयर क्षेत्र में दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। इस दिशा में 'ईकोमार्क' और पर्यावरण अनुकूल सामग्री श्रेणी के अन्तर्गत कयर उत्पादों को लाना आदर्श कदम होगा। कयर उत्पाद 100% पर्यावरण अनुकूल और बायोडिग्रैडबल होने के नाते वनोन्मूलन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वर्तमान गंभीर मुद्दों के लिए समाधान प्रदान करता है।

3.2.8 अनुसंधान और विकास (आर–डी) – कयर उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों को कयर बोर्ड के दो अनुसंधान संस्थानों नामतः केन्द्रीय कयर अनुसंधान संस्थान, अलेप्पी, केरल और केन्द्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरू, कर्नाटक के ज़रिए किया जाता है। बोर्ड के अनुसंधान और विकास प्रयासों के परिणामस्वरूप उच्च उत्पादकता, पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रसंस्करण नए अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों, उत्पाद विकास आदि के साथ विभिन्न मशीनरी वस्तुओं का विकास हुआ है।

3.2.9 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कयर बोर्ड को बजटीय सहायता

3.2.9.1 भारत सरकार कयर बोर्ड को योजना और गैर–योजना शीर्षों के अन्तर्गत अपने विभिन्न कार्यकलाप शुरु करने के लिए निधि प्रदान करती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान कयर बोर्ड को प्रदान की गई बजटीय सहायता का ब्योरा नीचे दिया गया है:

तालिका 3.7 : कयर बोर्ड को बजटीय सहायता

वर्ष	आबंटन (संशोधित अनुमान) (रु. करोड़ में)		जारी की गई निधि (रु. करोड़ में)	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
2013-14	57.07	19.20	45.10	19.17
2014-15	41.90	26.75	38.58	26.60
2015-16	34.90	23.95	31.55	23.73
2016-17	42.30	30.75	35.04	35.70
2017-18*	63.00		49.73	

* दि. 31.12.2017 तक जारी

3.3 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) एक आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित कंपनी होने के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उद्यम है। एनएसआईसी देश के लघु उद्योगों और उद्योग से जुड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोन्नत करने, उन्हें सहायता देने तथा उनके विकास में तेजी लाने के मिशन को पूरा करने के काम में लगा हुआ है। एनएसआईसी लाभ अर्जित कर लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी है।

3.3.1 उद्देश्य

3.3.1.1 एनएसआईसी का मिशन ''मार्केटिंग, वित्त, प्रौद्योगिकी तथा अन्य सेवाओं के अंतर्गत एकीकृत सहायता प्रदान कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोन्नत करना तथा सहायता देना है''।

3.3.1.2 एनएसआईसी का विजन ''देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास में तेजी लाते हुए एक अग्रणी संगठन बनना'' है।

3.3.2 कार्य

3.3.2.1 एनएसआईसी अपने मिशन को पूरा करने के लिए तीन विभिन्न श्रेणियों में अपना कार्य निष्पादित करता है।

यह अनेक स्कीमें चलाता है और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की स्कीमों के लिए एक कार्यान्वयन साझेदार है। इन स्कीमों/कार्यकलापों में शामिल हैः

- मार्केटिंग सहायता
- बैंक क्रेडिट सुविधा
- कार्य निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग
- कच्चा माल सहायता
- एकल बिन्दु पंजीकरण
- सूचनात्मक सेवाएं
- एनएसआईसी कंसोर्शिया एवं टेण्डर मार्केटिंग स्कीम
- मार्केटिंग आसूचना
- बिल डिस्काउंट
- ढांचागत सुविधा
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब

3.3.2.2 एनएसआईसी अपने एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्रों (एनटीएससी) के माध्यम से एमएसएमई को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और देश भर में इसके अनेक टीआईसी तथा एलबीआई केन्द्र फैले हुए हैं। इन केन्द्रों द्वारा मुहैया करायी जा रही तकनीकी सेवाओं में हाई–टेक में कौशल विकास करना तथा पारम्परिक ट्रेडों में कौशल प्रदान करना व सामग्री तथा उत्पादों का परीक्षण करना है।

3.3.2.3 एनएसआईसी द्वारा उन बेरोजगार लोगों को उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्व–रोजगार के अवसर प्रदान करने का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है जो किसी विनिर्माण/सेवा के क्षेत्र में नया लघु उद्यम

स्थापित करना चाहते हैं अथवा रोजगार के अवसर पाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए, एनएसआईसी ने उन निजी साझेदारों के साथ फ्रैंचाइजी करार करने की एक नयी पहल आरंभ की है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में प्रशिक्षण व इंक्यूबेशन केन्द्र (एनएसआईसी–टीआईसी) स्थापित करने के इच्छुक हैं।

3.3.3 संगठनात्मक ढांचा

3.3.3.1 निगम को नीतिगत दिशा–निर्देश, निदेशक मंडल द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दो पूर्णकालिक निदेशक, सरकार द्वारा नामित दो निदेशक तथा 03 गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक हैं।

3.3.3.2 एनएसआईसी देश भर में फैले अपने 165 कार्यालयों एवं 07 तकनीकी केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से अपने क्रियाकलापों का प्रचालन करता है। अफ्रीकी देशों में प्रचालनों का प्रबंधन करने के लिए एनएसआईसी जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका स्थित अपने कार्यालय से प्रचालन कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, एनएसआईसी ने बड़ी संख्या में व्यावसयिक जन–शक्ति के साथ प्रशिक्षण–तथा इंक्यूबेशन केन्द्र स्थापित किए हैं। एनएसआईसी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की जरूरत के अनुसार सहायता का पैकेज उपलब्ध कराता है।

3.3.4 मुख्य क्रियाकलाप और उपलब्धियां

3.3.4.1 मार्केटिंग सहायता

मार्केटिंग को व्यवसाय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना गया है। एनएसआईसी एक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है और इसने देश तथा विदेश दोनों में इन उद्यमों को उनके मार्केटिंग प्रयासों में सहायता देने के लिए स्कीमें बनाई हैं। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

क. **कच्चा माल वितरण** – कच्चा माल सहायता स्कीम का उद्देश्य कच्चे माल (देशी और आयातित दोनों) की खरीद के लिए वित्तपोषण द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की सहायता करना है। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्राप्त होता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अपने वितरण ढॉचे के द्वारा सारे देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार रियायती दरों पर कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए बड़े विनिर्माताओं के साथ करार करता है। वर्ष 2016–17 के दौरान इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से विशेष रूप से आबंटित लौह और इस्पात मैसर्स नालको से एल्युमिनियम मैसर्स सीपीसीएल से, पैराफिन वैक्स मैसर्स कोल इंडिया लिमिटेड से कोयला मैसर्स आईओसीएल से पॉलिमर उत्पाद अर्थात् पीपी, एचडीपीई और एलएलडीपीई तथा मैसर्स सेसा स्टेरलाइट से तांबे की आपूर्ति कराके राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज) की कच्चे माल की जरूरतों को पूरा किया है। निगम ने गुवाहाटी में एक गोदाम (एजेंसी) खोलकर, उनके पैराफिन वैक्स के निपटान के लिए एक अन्य मुख्य उत्पादक अर्थात् नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) को अपने साथ जोड़ा है। इसको मिलाकर निगम के पास कुल 37 वितरण केंद्र हैं। वर्ष 2016–17 के दौरान एनएसआईसी द्वारा कुल 11,35,788 मीट्रिक टन कच्चे माल का वितरण किया गया और वित्तीय वर्ष 2017–18 (31 दिसम्बर, 2017 तक) में कुल 8,45,031 मीट्रिक टन कच्चे माल का वितरण किया गया है।

ख. **कंसोर्शिया और निविदा विपणन**– सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसईज़) को अपनी व्यक्तिगत हैसियत

से बड़े–बड़े आदेश प्राप्त करने और उनका क्रियान्वयन करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें बड़े उद्यमों की तुलना में समान अवसर नहीं मिल पाते। इसे देखते हुए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, एक जैसे उत्पादों का उत्पादन करने वाली लघु इकाइयों के कंसोर्शिया बनाता है, जिससे उनकी क्षमता का एकीकरण हो जाता है, जो आपूर्तिकर्ताओं के रूप में सूक्ष्म और लघु उद्यमों और खरीदारों को भी सुविधा होती है। निगम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के कंसोर्टिया की ओर से निविदाओं के लिए आवेदन करता है और बड़ी मात्रा में आदेश प्राप्त करता है। तब यह आदेश उत्पादन क्षमता के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बीच वितरित कर दिए जाते हैं। निविदा विपणन योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम निविदा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण अर्थात् भागीदारी करने से लेकर निविदाओं के पूरा होने तक एमएसई को सुविधा प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, 189.64 करोड़ रुपए के मूल्य की 900 निविदाओं का निष्पादन किया गया। वर्ष 2017–18 के दौरान (31 अक्तूबर, 2017 तक) निगम ने 4 नए कंसोर्शिया बनाए। निगम ने 191.67 करोड़ रुपये के 511 टेण्डरों में भाग लिया और इसे 124.72 करोड़ रुपये के निविदा हुए तथा 164.03 करोड़ रुपये मूल्य के टेण्डर निष्पादित किए गए हैं।

ग. **प्रदर्शनिया:** भारतीय एमएसई की सक्षमताएं प्रदर्शित करने के लिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की विपणन सहायता स्कीम के तहत रियायती शर्तों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, मेलों, क्रेता–विक्रेता बैठकों, गहन अभियानों और विपणन संवर्धन कार्यक्रमों में भाग लेने की सुविधा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उपलब्ध कराता है। इनमें भाग लेने से एमएसएमई को अंतर्राष्ट्रीय कार्य–विधियों की जानकारी प्राप्त होती है जिनसे उनका व्यावसायिक कौशल बढ़ता है। इन समारोह में भाग लेकर एमएसएमई को नए बाजारों को हासिल करने में भी सुविधा मिलती हैं और उन्हें स्तर पर प्रतिस्पार्धात्मक बनाता है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान एनएसआईसी ने भारत में 202 प्रदर्शनियों तथा 20 अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया/आयोजन/सह–प्रयोजन किया जिनमें 3014 यूनिटों ने भाग लिया। वित्तीय वर्ष 2017–18 (31 दिसम्बर, 2017 तक), एनएसआईसी ने देश में 83 प्रदर्शनियों तथा 13 अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया/आयोजन/ सह–प्रयोजन किया, जिनमें 904 यूनिटों ने भाग लिया।

घ. **क्रेता-विक्रेता बैठकें** – एमएसई को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, ताकि वे बड़े–बड़े क्रेताओं के विक्रेता बन सकें, एनएसआईसी ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 70 क्रेता–विक्रेता बैठकें/विक्रेता विकास कार्यक्रम संचालित किए और वित्तीय वर्ष 2017–18 (दिसंबर 2017 तक) में 19 क्रेता–विक्रेता बैठकें/विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए।

3.3.4.2 क्रेडिट सहायता

क. एनएसआईसी बैकों के साथ टाई–अप व्यवस्थाएं करके एमएसएमई की क्रेडिट संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। एनएसआईसी ने एमएसएमई क्षेत्र को क्रेडिट सहायता दिलाने के लिए विभिन्न बैकों के साथ टाई–अप व्यवस्थाएं की हैं। एनएसआईसी कच्चे माल की खरीद तथा मार्केटिंग के लिए वित्तीय सहायता करता है। इस प्रकार यह बड़े–बड़े निर्माताओं से कच्चा माल खरीदने की व्यवस्थाएं करके और उन्हें एमएसएमई से सामान आपूर्ति कराकर सहायता करता है। एनएसआईसी कच्चे माल की खरीद के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान कर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 6,425 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा प्रदान की गई। वित्तीय वर्ष 2017–18 में (31 दिसंबर 2017 तक) 4139 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा प्रदान की गई है।

ख. इसके अतिरिक्त, एनएसआईसी ने ऑनलाइन वित्त सुविधा केन्द्र की पहल आरंभ की है जिसके अंतर्गत एनएसआईसी के पोर्टल तथा बैंक के पोर्टल के बीच वेब संपर्क स्थापित करके एमएसएमई को क्रेडिट दिलाने की सुविधा दी गई है। कोई भी एमएसएमई www.nsic.ffconline.in पर सीधे लॉग–इन करके अथवा अपने ऋण प्रस्ताव के साथ एनएसआईसी के किसी भी नजदीकी वित्त सुविधा केन्द्र पर संपर्क कर यह सुविधा प्राप्त कर सकता है। वित्त सुविधा केन्द्र पर उपलब्ध अधिकारी, यूनिट को अपनी हैण्ड होल्डिंग सहायता से उसके ऋण प्रस्ताव को दस्तावेजों के साथ उन तीन वरीयता बैकों ऑन लाइन जमा करने में मदद करेगा जिसे एमएसएमई यूनिट चुनाव करती है और जो एनएसआईसी के एमओयू करार के अंतर्गत शामिल हैं। इस समय जालंधर, पीनिया, लुधियाना, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, चैन्नई तथा कानपुर में ऐसे 07 वित्तीय सुविधा केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।

3.3.4.3 अन्य सहायता सेवाएं

3.3.4.3.1 एनएसआईसी सरकारी खरीद के लिए एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम का संचालित कर रहा है ताकि एसएमई सरकारी टेण्डरों में भाग लेने व अपनी क्षमता का निर्माण कर सकें और सरकारी लोक खरीद प्रक्रिया में योगदान कर सकें। कंसोर्शिया एवं टेण्डर मार्केटिंग स्कीम के माध्यम से सरकारी विभागों/संस्थाओं के टेण्डरों में भाग लेने के लिए एमएसएमई को भी सशक्त बनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 4,964 नयी यूनिटों को जोड़ा गया है और 5763 यूनिटों का नवीनीकरण किया गया है। 31 मार्च, 2017 को एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत 21,109 कार्यशील यूनिटें पंजीकृत थीं। वित्तीय वर्ष 2017–18 में (31 दिसंबर 2017 तक) 2952 नयी यूनिटें जोड़ी गई और 4271 यूनिटों का नवीनीकरण किया गया। एसपीआरएस स्कीम के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2017 तक पंजीकृत यूनिटों की संचयी संख्या 21,922 है।

3.3.4.3.2 एनएसआईसी एमएसएमई ग्लोबल मार्ट वेब पोर्टल (www.msmemart.com) के माध्यम से ई–मार्केटिंग सेवाओं की सुविधा दे रहा है। एनएसआईसी पूरे देशभर में एमएसएमई को ई–मार्केटिंग का पोर्टल मुहैय्या करा रहा है ताकि वे अपना कारोबार बढ़ा सकें। इस पोर्टल पर उन पंजीकृत सदस्यों का व्यापक डाटा उपलब्ध है जो कि सुस्थिर साझेदारी, सब–कांट्रेक्ट तथा लोक खरीद में प्रतिभागिता करने के अर्थों में कारोबार के अवसर पाने की तलाश में हैं। वित्तीय वर्ष 2016.17 में बी 2 बी पोर्टल के अंतर्गत 6160 यूनिट पंजीकृत थीं और वित्तीय वर्ष 2017.18 (31 दिसंबर 2017 तक) में इस बी 2 बी पोर्टल के अंतर्गत 5930 पंजीकृत की गईं।

3.3.4.3.3 उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान कर एनएसआईसी अपने 07 तकनीकी सेवा केन्द्र के माध्यम से उद्योगों से अद्यतन जानकारी प्राप्त कर उनसे संपर्क बनाकर कौशल विकास क्षेत्र में भी सुविधा प्रदान करता है ताकि उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर उन्हें मजबूत बनाया जा सके। ये केन्द्र राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, ओखला (नई दिल्ली), हैदराबाद (तेलंगाना), हावड़ा (पश्चिम बंगाल), राजकोट (गुजरात), चेन्नई (तमिलनाडु), राजपुरा (पंजाब) और अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) में स्थापित हैं। इन केन्द्रों पर मैकेनिकल डिजाइन, इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और मेकाट्रानिक्स जैसे क्षेत्रों में उद्योगोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ–साथ रोबोटिक्स, पीएलसी और एससीएडीए, अंतः स्थापित प्रौद्योगिकी (एमबेडिड), सौर ऊर्जा, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राफ्ट्समैन (मैक.) रेफरिजरेशन एवं वातानुकूलन, एचवीएसी, टूल डिजाइन और विनिर्माण, रेविट एमईपी, सीएडी/सीएएम–क्रियो, यूनिग्राफिक्स, केटिया, सोलिड वक्र्स, सीएनसी प्रोग्रामिंग एण्ड ऑपरेशन, रेबिट आर्किटेक्चर, इन्टिरियर डिजाइन ओ–लेवल एडंवास सॉफ्टवेयर, वेब टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग शामिल हैं। ये तकनीकी केंद्र एनएबीएल की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रों में परीक्षण भी करते हैं जैसे कि इलैक्ट्रिकल केबल और कंडक्टर परीक्षण, इंजिन परीक्षण, पम्प परीक्षण, भवन सामग्री, प्लास्टिक्स,

इलैक्ट्रिकल औज़ार, कैलिब्रेशन आदि।

3.3.4.3.4 एनएसआईसी रैपिड इंक्यूबेशन केन्द्र के माध्यम से भावी उद्यमियों को तथा स्टार्ट–अप कंपनियों को सहायता प्रदान कर रहा है ताकि वे उत्पाद का निर्माण कर सके। इन इंक्यूबेशन केन्द्रों पर वर्किंग प्रोजेक्टों पर हैण्ड ऑन प्रशिक्षण देने की सुविधा प्रदान की जाती है और कारोबार के सैद्धान्तिक पहलुओं जैसे कि मार्केटिंग, कारोबार विकास, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने आदि के विषयों को भी शामिल किया जाता है। एनएसआईसी ने देवरिया (उत्तर प्रदेश), राजकोट (गुजरात), काशीपुर (उत्तराखण्ड), नैनी (उत्तर प्रदेश), नवादा (बिहार), चेन्नई (तमिलनाडु), में मंत्रालय की नवप्रवर्तन उद्यमिता तथा कृषि उद्योग उन्नयन स्कीम (एस्पायर) के अंतर्गत 06 आजीविका विकास इंक्यूबेटर स्थापित किए हैं। एनएसआईसी ने हरियाणा राज्य सरकार के साथ भी फरीदाबाद स्थित नीमका में टेक्नोलॉजी सह–इंक्यूबेशन केन्द्र स्थापित किया है।

3.3.4.4 उद्यमिता उन्मुख कार्यक्रम – उद्यमिता उन्मुख कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात केवल नौकरी पाने के लिए भटकने के बजाय नया उद्यम स्थापित करने के लिए जानकारी उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका एवं महत्व के बारे में अवगत कराने, उद्यम स्थापित करने की प्रक्रिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने, बाजार की संभावनाओं का पता लगाने तथा विभिन्न सांविधिक अपेक्षाओं जैसे कि आयकर, वैट आदि के मुद्दों की जानकारी दी जाती है। ब्यौरा http://www.nsic.co.in/eop1014.asp. पर उपलब्ध हैं।

3.3.4.5 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत, उद्यम स्तर पर क्रियाकलापों का फोकस उद्यमियों पर होता है। इसका उद्देश्य भारतीय लघु उद्यमों एवं लक्षित देशों में उद्यमों के बीच दीर्घकालिक एवं स्थिर उद्यम से उद्यम सहयोग शुरू करना है। इस उद्देश्य को व्यावसायिक शिष्टमंडलों का आदान–प्रदान करके तथा दोनों देशों के उद्यमों के बीच बारी–बारी से बिजनेस बैठकें आयोजित करके प्राप्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मुख्य विशेषताओं में विभिन्न देशों के साथ बिजनेस/प्रौद्योगिकी मिशनों का आदान प्रदान, उद्यम से उद्यम सहयोग, प्रौद्योगिकी ट्रांसफर एवं स्थिर सहयोग के अन्य प्रकारों में सहायता करना, नए मार्केटों और सहयोग के क्षेत्रों को तलाश करना, विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेकर नए निर्यात मार्केटों की पहचान, अन्य विकासशील देशों के साथ भारतीय अनुभवों का साझा करना आदि शामिल है।

3.3.5 एनएसआईसी का व्यवसाय कार्य–निष्पादन

3.3.5.1 दोनों वर्षों 2015–16 और 2016–17 में कुल व्यवसाय 20,000 करोड रूपये से अधिक रहा है और कर–पूर्व लाभ निरंतर बढ़ा है जो 2016–17 के दौरान 165.07 करोड़ रूपये रहा।

3.3.5.2 वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 और 2017–18 (दिसम्बर, 2017 तक) के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित कर पूर्व और करोपरांत लाभ तथा सकल मार्जिन नीचे सारणी 3–8 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.8 एनएसआईसी का वित्तीय कार्य–निष्पादन (लाख रु. में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (दिस. तक)
कर पूर्व निवल लाभ	33,577	37,710	36,744	23497.42
घटाकरःकर के लिए प्रावधान	13,256	15,695	16,507	11723.05
करोपरांत निवल लाभ	4,399	5,549	5,867	4057.11
कुल लाभ सेवाकरयुक्त	8,860	10,146	10,640	7665.94

3.3.5.3 सरकारी खरीद – वर्ष 2016–17 के दौरान सरकारी खरीद योजना से सृजित राजस्व 14.07 करोड़ रूपये था और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2017 तक इन योजनाओं के अंतर्गत 8.41 करोड़ रूपये था।

3.3.5.4 एनएसआईसी ने वर्ष 2016–17 में भारत सरकार को 31.26 करोड़ रूपये अर्थात 2016–17 के लिए करोपरांत लाभ का 30% लाभांश का भुगतान किया।

3.4 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी)

3.4.1 मौजूदा जमनालाल बजाज केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (जेबीसीआरआई), वर्धा का जीर्णोद्वार, अक्तूबर, 2008 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्र स्तरीय संस्थान के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली की सहायता से किया गया जिसे महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) कहा गया है।

3.4.2 उद्देश्य. इसके संगम ज्ञापन में यथा वर्णित इस संस्थान के मुख्य उद्देशयों में निम्नलिखित शामिल है:

- स्थायी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण को तीव्र बनाना ताकि केवीआई सेक्टर मुख्य धारा के साथ सह –अस्तित्व में रहे।
- व्यवसायविदों और विशेषज्ञों को ग्राम स्वराज की ओर आकर्षित करना।
- परंपरागत कारीगरों को सशक्त बनाना।
- प्रायोगिक अध्ययन/फील्ड परीक्षणों के जरिए अभिनव परिवर्तन।
- स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करके वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास।

3.4.3 कार्य– एमगिरी के क्रियाकलाप इसके 6 प्रभागों द्वारा किए जा रहे हैं जिनमें से प्रत्येक का प्रमुख एक वरिष्ठ वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद है।

i. **रसायन उद्योग प्रभाग:** इस प्रभाग का मुख्य फोकस, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खाद्यों और ग्रामीण रसायन उद्योगों के अन्य उत्पादों के क्षेत्र में गुणवत्ता जानकारी और स्थायित्व को बढ़ावा देना है। यह एक व्यापक गुणवत्ता परीक्षण सहायता भी उपलब्ध कराता है और इस क्षेत्र के कुटीर और लघु स्तरीय इकाइयों को सुविधा प्रदान करने के लिए फील्ड योग्य किट्स, तकनीक और प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है।

ii. **खादी और वस्त्र प्रभाग:** इस प्रभाग द्वारा मुख्यत: किए गए क्रियाकलाप, नई प्रौद्योगिकियां आरंभ करके और गुणवत्ता आश्वासन सहायता उपलब्ध कराकर खादी संस्थानों में विनिर्मित उत्पादों की उत्पादकता, मूल्य वर्धन और गुणवत्ता में सुधार करना है।

iii. **बायो प्रौसेसिंग और हर्बल प्रभाग:** यह प्रभाग, ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए जैविक खादों, जैव–ऊर्वरकों और जैव–पेस्टीसाइडस कृमिनाशियों का उत्पादन और उपयोग सुसाध्य बनाने के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज और सरल गुणवत्ता आश्वासन पद्धतियां तैयार करता है।

iv **ऊर्जा और ढांचागत प्रभाग:** इस प्रभाग के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह ग्रामीण उद्योगों की लेखा–परीक्षा करने के लिए भी, ताकि उन्हें ऊर्जा दक्ष बनाया जा सके, ऊर्जा के सामान्यत: उपलब्ध

नवीकरण योग्य संसाधनों का उपयोग करके उपयोगकर्ता अनुकूल और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियां विकसित करें।

v. **ग्रामीण शिल्प और इंजीनियरी प्रभाग** : यह प्रभाग, ग्रामीण कारीगरों के कौशलों, सृजनात्मकता और उत्पादकता उन्नत करने में सहायता करने और उनके उत्पादों का मूल्य वर्धन तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है।

vi. **प्रबंधन एवं प्रणाली प्रभागः** यह प्रभाग उनकी वैश्विक प्रतियोगितात्मकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्योगों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित समाधन उपलब्ध कराता है।

3.4.4 संगठन — एमगिरी में एक आम परिषद (जीसी) है, जिसमें अधिकतम 35 सदस्य है और जीसी के अध्यक्ष माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार हैं और एक कार्यकारिणी परिषद (ईसी) है जिसमें अधिक से अधिक 15 सदस्य होते हैं जिसका अध्यक्ष सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार है। इस संस्थान का निदेशक, जीसी तथा ईसी दोनों के सदस्य सचिव है।

3.4.5 2016—17 में प्रमुख क्रियाकलाप और उपलब्धियां

3.4.5.1 संस्थान के कर्मचारियों ने, वैज्ञानिक समुदाय के बीच अनुसंधान कार्य और जानकारी साझेदारों के प्रस्तुतीकरण के लिए 23 राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं में भाग लिया।

3.4.5.2 एमगिरी ने एमगिरी की प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और सेवाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 7 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की प्रदर्शनियों, एक्पोज और आईआईटीएफ 2016 में भाग लिया।

3.4.5.3 दिसम्बर, 2017 तक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नलों में दो (2) अनुसंधान पेपर प्रकाशित किए गए हैं।

3.4.5.4 2015—2017 की अवधि के दौरान, एमगिरी ने अनेक प्रौद्योगिकियां विकसित की जिनमें से 11 निम्नलिखित रूप में सूचीबद्ध की जा सकती हैः

- जड़ी—बूटियों (अर्जुन और पलाश) पर आधारित कणिका रूप में स्वास्थ्य पेय।
- ऑक्सीजन सृजन और कार्बनडाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए स्पीरूलीना तैयार करने हेतु सस्ता माध्यम।
- गौमूत्र और अपशिष्ट मानव बाल पर आधारित प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर (एमीनो एसिड)।
- लैक्टोबैसिलस कोगुलेंस पर आधारित प्रो बायोटिक शहद।
- सौर ब्लंगर।
- लघु टैरा कोटा वस्तुओं के लिए उपयुक्त सौर कुम्भकार (पोटर) चक्र।
- हैवी ड्यूटी ऊर्जादक्ष कुम्भकार चक्र।
- गैंग टर्नवूड लेथ मशीन।
- मोरींगा पत्तियों के लिए साइक्लोन अवशोषक।
- परमिल बत्ती और महुआ पुष्प सुखाने के लिए सौर अवशोषक।
- सौर संचालित अपशिष्ट संग्रहन वेहिकल्स।

3.4.5.5 ग्रामीण उद्योग सैक्टर के लिए फल छांटने की मशीन, चारकोल ब्रिकेटिंग मशीन के लिए कुक स्टोव मोल्ड्स, पीवी के मॉडल दाल मिल का सैट विद्युत प्रचालन में रूपांतरण, निम्न लागत वाली गारा–चक्की, लोहारी के लिए सौर ब्लोअर, स्लाइसर कम स्टिक निर्माण मशीन, डब्बा पैकिंग मशीन, रोविंग वाइडिंग मशीन, डोकरा क्राफ्ट के लिए उर्जा दक्ष बफिंग मशीन, सौर विद्युत संचालित ग्रैनुलेटर, झुर्री प्रतिरोधी क्रीम, मोरींगा शहद और स्पिरूलीना आधारित उत्पादों, राजगिरा पॉप अप मशीन आदि सहित 16 उन्नत मशीनों/उत्पादों/प्रक्रियाओं/सेवाओं पर कार्य पूरा कर लिया गया है। उपरोक्त के अलावा, खादी सेक्टर के लिए 30–30 वस्त्र एवं बुनाई डिजाइन तैयार किए गए और खादी सेक्टर के कारीगरों और उद्यमियों को प्राप्त होने के लिए www.greenkhadidesings.com पर अपलोड कर दिए गए।

3.4.5.6 एमगिरी ने उद्यम विकास और कौशल उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकियों,उत्पादों, प्रक्रियाओं, डिजाइनों आदि के प्रसार के लिए पूरे देश के विभिन्न उम्मीदवारों और मौजूदा उद्यमियों, गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, फील्ड एजेंसियों, कारीगरों, छात्रों, किसानों, स्वयं सहायता समूहों आदि को 69 सत्रों में 451 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

3.4.5.7 एमगिरी ने भारतीय मानकों के अनुसार उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने और उसे बनाए रखने के लिए भिन्न–भिन्न 69 उत्पाद नमूनों के लिए केवीआई संस्थानों, उद्यमियों, छात्रों, किसानों आदि जैसी 21 विभिन्न एजेंसियों को गुणवत्ता परीक्षण और मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान की।

3.4.5.8 युवा विश्व (विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए), मझगांव मझशिविर (ग्रामीण सेक्टर के लिए ग्राम समस्याओं और सरकारी योजनाओं/परियोजनाओं पर आधारित), हैलो डाक्टर (स्वास्थ्य संबंधी सूचना), कृषिगत (कृषि संबंधी सूचना) आदि जैसे लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए कम्यूनिटी रेडियो (90.4FM) जो लोकप्रिय रूप से रेडियो एमगिरी के रूप में जाना जाता है, अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

3.4.6 एमगिरी को बजटीय सहायता

3.4.6.1 केन्द्र सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से एमगिरी को उसके क्रियाकलाप चलाने के लिए निधियां उपलब्ध कराती है। एमगिरी को पिछले चार वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई निधियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैः

तालिका 7 : एमगिरी को बजटीय सहायता

वर्ष	बजट आबंटन (सं.अ.) (रु. करोड़ में)	जारी की गई निधियां (रु. करोड़ में)
2014-15	11.50	7.23
2015-16	6.87	6.02
2016-17	10.15	9.42
2017-18	10.00	4.93*

*31.12.2017 तक जारी की गई निधियां

3.5 राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे)

निम्समे मूलतः तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन 1960 में नई दिल्ली में केन्द्रीय औद्योगिक विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (सीआईईटीआइ) के रूप में स्थापित किया गया था। यह संस्थान, लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एसआईईटी) के नाम से एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1962 में हैदराबाद में स्थानांतरित किया गया था। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अधिनियम के पश्चात, संस्थान ने अपने उद्देश्यों पर ध्यान दिया और अपनी संगठन संरचना का पुनः डिजाइन तैयार किया। नये अधिनियम के अनुरूप, इस संस्थान को राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) के रूप में नया नाम दिया गया। वर्तमान में यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्व में एसएसआई एवं एआरआई मंत्रालय), भारत सरकार के तत्वावधान में एक संगठन है।

3.5.1 उद्देश्य :

3.5.1.1 निम्समे का प्राथमिक उद्देश्य, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षक बनना था। आज, प्रौद्योगिकीय विकास और सदैव बदलते बाजार परिप्रेक्ष्य के साथ इस संगठन की सहभागिता में भी परिवर्तन हो गया है। केवल प्रशिक्षक होने से निम्समे ने अपने क्रियाकलापों का दायरा बढ़ाकर परामर्श, अनुसंधान, विस्तारण और सूचना सेवाएं कर दिया है।

3.5.1.2 औद्योगिकीकरण के जरिए आर्थिक विकास के राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप और उपलब्ध विशेषज्ञता के आधार पर इस संस्थान ने ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है जिन पर बल दिए जाने और जिसका अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता है। ये क्षेत्र हैं– उद्यमिता विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अंतरण, नीतिगत मुद्दे, गैर–सरकारी संगठन नेटवर्किंग, पर्यावरण कंसनर्स, कलस्टर विकास, प्रबंधन, परामर्श, गुणवता प्रबंधन सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और सूचना सेवाएं।

3.5.1.3 निम्समे का दीर्घकालीन मिशन निम्नलिखित में उत्कृष्टता लाना हैः

- सूचना प्रौद्योगिकी में नये आयाम बदलना।
- सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि के जरिए विषयगत मुद्दे प्रमुखता से दर्शाना।
- आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देना।
- ग्राहक उन्मुखी दृष्टिकोण और अभिनव इंटरवेंशनों की ओर जाना।
- कार्यक्रम मूल्यांकन।
- अनुसंधान प्रकाशनों पर जोर देना।

3.5.2 कार्य

उद्यम संवर्धन और उद्यमिता विकास, निम्समे के कार्यों का केन्द्रीय फोकस होने के कारण, इस संस्थान की सक्षमताएं निम्नलिखित पहलुओं की ओर अभिमुख होती हैः–

- उद्यम सृजन के समर्थ बनना;
- उद्यमिता विकास और स्थायित्व के लिए क्षमता निर्माण;
- उद्यम जानकारी का सृजन, विकास और प्रसार;

- नीति निर्धारण के लिए नैदानिक और विकास अध्ययन; और
- उद्यम सृजन के जरिए सुविधा वंचितों को सशक्त बनाना।

3.5.3 संगठन

3.5.3.1 संस्थान का शीर्ष निकाय शासी परिषद है जिसके अध्यक्ष माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वंतत्र प्रभार) हैं।

3.5.3.2 इस संस्थान के क्रियाकलाप, उत्कृष्टता की इसकी चार शाखाओं (उद्यम विकास; उद्यम प्रबंधन; उद्यमिता और विस्तारण; और उद्यम सूचना एवं संसूचन) के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं और प्रत्येक शाखा में विषय केन्द्रित केन्द्र और प्रकोष्ठ हैं। अकादमिक परिषद, समन्वय करने वाला केन्द्रीय निकाय है जो संदर्भ संबंधी भिन्नताओं की समस्या हल करते हुए आकलन और मूल्याकंन के लिए एक ढांचा उपलब्ध करा कर मात्रात्मक और गुणवत्तात्मक मापदंडों वाले अकादमिक क्रियाकलाप और कार्यक्रम तैयार करती है, निम्समे का संगठन चार्ट नीचे दिया गया है।

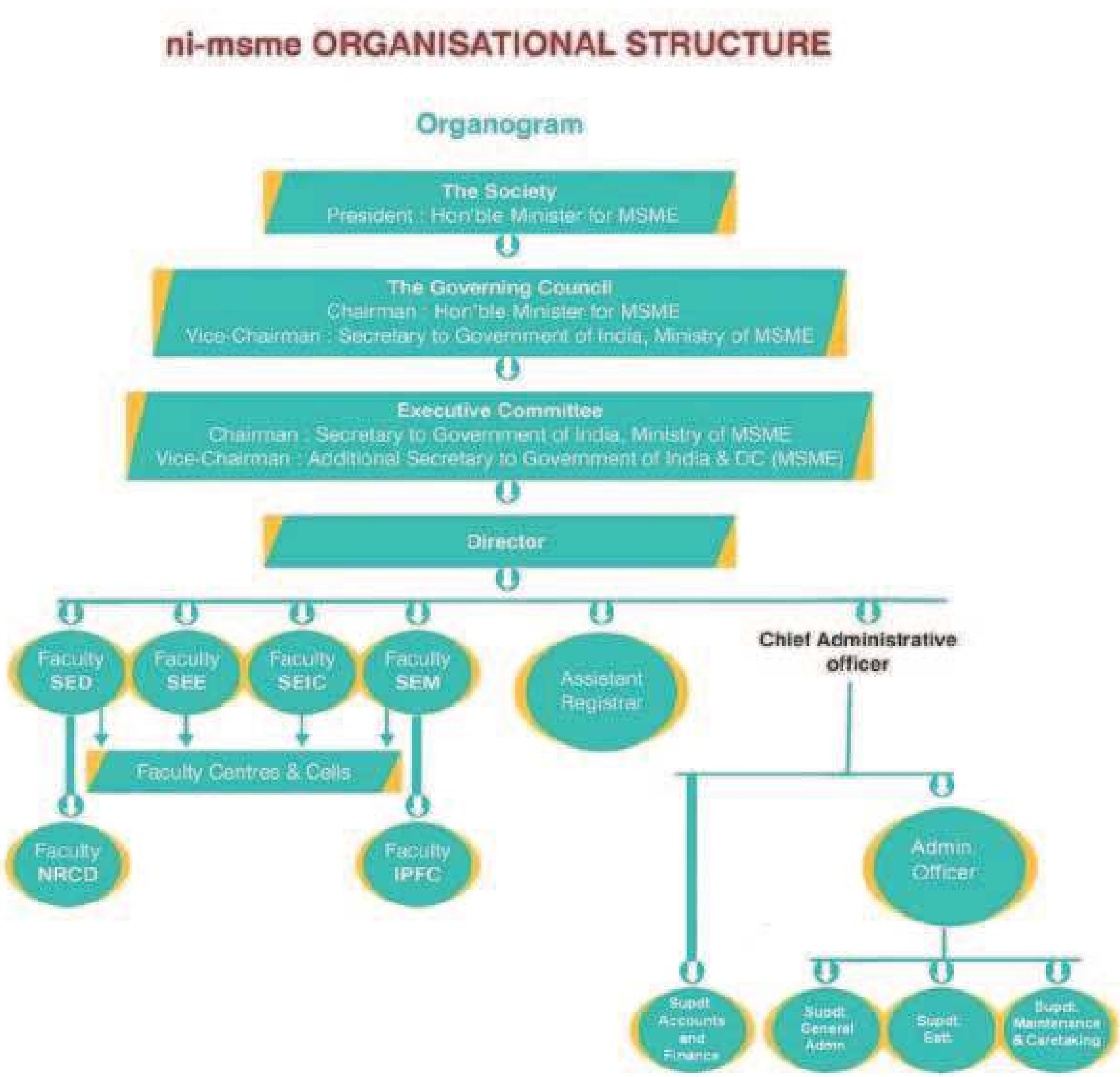

3.5.4 मुख्य कार्यकलाप एवं उपलब्धियाँ

3.5.4.1 वित्त वर्ष 2016–17 और 2017–18 में संस्थान का कार्यनिष्पादन (दिसंबर, 2017 के अंत में) नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :

कार्यक्रम	2016-17		2017-18	
	अप्रैल से दिसंबर, 2017 तक			
	कार्यक्रम	प्रशिक्षु	कार्यक्रम	प्रशिक्षु
उद्यमिता विकास कार्यक्रम				
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण संस्थानों केलिए सहायता के अधीन कार्यक्रम				
शीर्षस्थ संस्थान के रूप में निम्समे				
पूरा किया	135	4,050	26	780
अन्य कार्यक्रम				
राष्ट्रीय	896	32,809	603	19,508
अंतर्राष्ट्रीय	14	370	8	206
संगोष्ठी और कार्यशालाएं	62	3,063	32	1,662
परामर्श और अनुसंधान	29	0	51	--
कुल	**1,136**	**40,292**	**720**	**22,156**

3.5.4.2 निम्समे ने पिछले वर्ष से 12 जारी परामर्श परियोजनाओं पर सेवाएं प्रदान की हैं और वर्ष 2017–18 के दौरान 8 परामर्श परियोनाएं शुरू की गईं हैं।

3.5.4.3 निम्समे ने विभिन्न विषयों पर भी 7 प्रकाशन किए हैं। प्रकाशनों का ब्योरा नीचे दिया गया है –

क्रम सं.	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन की तिथि	भाषा
1.	एमएसएमई योजनाएँ	मई 2017	हिन्दी और अंग्रेज़ी
2.	2014–17 की उपलब्धियाँ	मई 2017	हिन्दी और अंग्रेज़ी
3.	एमएसएमई स्कीम	जुलाई 2017	हिन्दी और अंग्रेज़ी
4.	एसईडीएमई जर्नल	जून और सितंबर, 2017	अंग्रेज़ी

प्रमुख स्कीमें

4.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए (क) ऋण एवं वित्तीय सहायता (ख) कौशल विकास प्रशिक्षण, (ग) ढांचागत विकास, (घ) विपणन सहायता, (ङ) प्रौद्योगिकीय और गुणता उन्नयन एवं (च) अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य कर बहुत–सी स्कीमें चलाता है। सभी स्कीमों का संक्षिप्त ब्योरा नीचे दिया गया है :

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की स्कीमों की सूची

क. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण एवं वित्तीय सहायता

I.	**प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)**
विवरण	इस स्कीम का उद्देश्य नए स्व–रोजगार के उद्यमों/परिस्कीमओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार अवसर पैदा करना है। दूसरा उद्देश्य पारंपरिक तथा भावी कारीगरों और देश के ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े हिस्से को लगातार और टिकाऊ रोजगार प्रदान करना है ताकि ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोका जा सके। तीसरा उद्देश्य कारीगरों की मजदूरी अर्जित करने की क्षमता बढ़ाना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार के वृद्धि दर को बढ़ाने में योगदान करना है। यह स्कीम राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य स्तर पर इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) और जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) तथा बैंकों के माध्यम से किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 10 लाख रुपये है।
अपेक्षित लाभार्थी	18 की आयु से अधिक का कोई भी व्यक्ति सहायता पाने के लिए पात्र है। यदि परियोजना का आकार विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक है तो आवेदक को कम से कम आठवीं कक्षा पास होना चाहिए। पीएमईजीपी के अंतर्गत स्वीकृति के लिए केवल नई परियोजनाओं पर विचार किया जाता है। स्वयं सहायता समूह (गरीबी रेखा के नीचे मौजूद लोगों सहित बशर्ते उन्होंने किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत लाभ हासिल न किया हो), सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थान, उत्पादन सहकारी सोसाइटीज और चैरिटेबल ट्रस्ट भी इसके लिए पात्र हैं।
आबंटित निधियां (2017–18)	1004.49 करोड़ रु. (बजट अनुमान) कोठापेठा गाँव, गुंन्टूर जिला, आंध्र प्रदेश में तत्क्षण चपाती एवं पूड़ी निर्माण इकाई

II.	ऋण संबद्ध पूँजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस)
विवरण	स्कीम अर्थात ''सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण संबद्ध पूँजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस)'' का उद्देश्य सुस्थापित एवं उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए उनके द्वारा लिए गए संस्थानिक वित्त पर 15% पूँजीगत सब्सिडी (अधिकतम 15.00 लाख रु. की सीमा में) उपलब्ध कराकर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) में प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुसाध्य करना है। इस स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी के परिकलन के लिए पात्र ऋण की अधिकतम सीमा सुस्थापित एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए 1.00 करोड़ तक अनुमोदित संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश है। एमएसई अपर्याप्त निवेश तथा गुणता मानकों एवं आधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुँच बनाने में ज्ञान के अभाव के कारण विशेष रूप से वंचित हैं। बहुत–से एमएसई पुरानी प्रौद्योगिकी एवं संयंत्र तथा मशीनरी से चल रहे हैं। सीएलसीएसएस में इस मुद्दे के समाधान पर विचार किया जाता है। वर्तमान में, अनुमोदित मशीनरी/प्रौद्योगिकी वाले 51 क्षेत्रों/उपक्षेत्रों को इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाता है। यह स्कीम विनिर्माण में लगे नये तथा विद्यमान सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) पर लागू है। विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय 12 नोडल बैंकों/एजेंसियों के माध्यम से इस स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। पात्र एमएसई को प्राथमिक उधारदाता संस्थाओं (पीएलआई) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जहाँ से एमएसई ने प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए मियादी ऋण लिया। पूर्ण आवेदन पत्र संबद्ध नोडल एजेंसी को ऑनलाइन अप्लीकेशन एवं ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से पीएलवाई द्वारा अपलोड किया जाता है और वह सब्सिडी जारी करने के लिए विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय को ऑनलाइन आवेदन पत्र की सिफारिश करता है। आवेदन की प्रक्रिया के पश्चात् तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए सक्षम प्राधिकारी से उपयुक्त अनुमोदन एवं आंतरिक वित्त प्रभाग से सहमति दी जाती हैं जिसके पश्चात् नोडल एजेंसियों को निधियां जारी की जाती हैं तब पीएलआई को नोडल एजेंसियों द्वारा निधियां अंतरित की जाती है जहाँ एमएसई का खाता परिचालित होता है। यह स्कीम प्रौद्योगिकी उन्नयन में एमएसई को समर्थ करने में बहुत सफल रही है। बाद में इसके फलस्वरूप उत्पादकता सुधार, कारोबार एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है। उत्पाद गुणता में वास्तविक सुधार की भी रिपोर्ट की गई है। वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण पर सकरात्मक प्रभाव पड़ने के अलावा यह स्कीम विद्युत खपत एवं ईंधन खपत के संदर्भ में ऊर्जा को कम करने की ओर भी ले गयी है। इस स्कीम के प्रारंभ से 48618 एमएसई ने सब्सिडी ली है जो 31.12.2017 तक 2907.68 करोड़ रु. है। सीएलसीएसएस के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा प्राप्त मशीन
अपेक्षित लाभार्थी	यह स्कीम नये एवं विद्यमान एमएसई पर लागू है।
आबंटित निधियां (2017–18)	(बजट अनुमान) 441.30 करोड़ रु.

III. एमएसई के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि (सीजीटीएमएसई)–एमएसएमई के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण का प्रावधान	
विवरण	बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी सहित) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संपार्श्विक मुक्त ऋण देने के लिए गारंटी दी जाती हैं। इस स्कीम में प्रति आदाता इकाई 200 लाख रु. तक नये एवं विद्यमान सूक्ष्म और लघु उद्यमों को पात्र उधारदाता संस्थाओं द्वारा दी गई संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधा (मियादी ऋण और/या कार्यशील पूँजी) में कवर होता है। प्रदत्त गारंटी कवर 50 लाख रु. से अधिक तथा 200 लाख रु. ऋण एक्सपोजर के 50% पर एक समान गारंटी से 50 लाख रु. तक (सूक्ष्म, उद्यमों को प्रदत्त 5 लाख रु. तक ऋणों का 85%, महिलाओं के स्वामित्व वाली/उनके द्वारा चालित एमएसई के लिए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी ऋणों के लिए 80%) ऋण सुविधा के 75% तक है। स्वीकृत ऋण सुविधा का प्रतिवर्ष 1.0% के वार्षिक गारंटी शुल्क में मिश्रित (5 लाख रु. तक ऋण सुविधा के लिए 0.75% तथा महिलाओं, सूक्ष्म उद्यमों तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में इकाइयों के लिए 5 लाख रु. से अधिक और 200 लाख तक के लिए 0.85%) लिया जाता है। यह स्कीम बहुत सफल रही है यदि हम इस तथ्य पर विचार करते हैं कि स्कीम ने ऋण को सुसाध्य बनाया है जो 20 गुणा संग्रह निधि थी और इस प्रकार देश में उद्यमीय कार्यकलापों को प्रोत्साहित किया है। यह अपने प्रकार की गारंटी स्कीम है जिसने विगत 10 वर्षों में 29 लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर किया है। लाभार्थियों ने सीजीटीएमएसई वित्त पोषण के आगामी अनुमोदन वर्षों में अपने कारोबार तथा रोजगार सृजन की वृद्धि का अनुभव किया। सीजीटीएमएसई वित्तपोषण ने एमएसई क्षेत्र – प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल उन्नयन, बाजार विकास, स्कीम की निरंतरता, आर्थिक प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव में छः मुख्य क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। यह स्कीम पूर्वोत्तर में विशेष ध्यान देने से देश भर में भौगोलिक दृष्टि से स्वयं को फैलाने में सफल रही है। स्कीम के लाभ 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों तक भी पहुँच गए हैं जिनमें एमएसई परिचालित हो रहे हैं। लाभार्थी तीन शहरों तक फैले हुए हैं न कि बड़े औद्योगिक केन्द्रों तक सीमित है। सीजीटीएमएसई दावे निपटाने में बड़ी प्रभावी रही है जिनमें पहली किस्त के अधिकांश मामलों में तीन सप्ताहों के भीतर निपटाई गई। भावी वित्तीय सावधानी से भी, इसका वर्णन किया जा सकता है कि जोखिम कवरेज का पर्याप्त परिकलन किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं कि बैंक सीजीटीएमएसई स्कीम के अंतर्गत आवेदन जमा करने से पूर्व काफी परिश्रम करते हैं। ऋण लेने के लिए कड़े मानदंडों में एलएलपीए प्राइवेट लिमिटेड या स्वामित्व कंपनी, के रूप में उद्यम का पंजीकरण, व्यवसाय करने के लिए आवश्यक कर पंजीकरण तथा अनुमोदन हैं। नये व्यवसाय, विशेषकर वित्तीय अनुमोदनों के साथ विस्तृत स्कीम प्रस्तुत करने की आवश्यकता, व्यवसाय मॉडलों तथा प्रोमोटर प्रोफाइलों एवं विद्यमान व्यवसायों को अपने वित्तीय कार्य निष्पादन रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरणी प्रस्तुत करनी होती है। अद्यतन परिपत्रों के साथ–साथ स्कीमों का ब्योरा सीजीटीएमएसई की वेबसाइट : www.cgtmse.in पर उपलब्ध है। **स्थिति** : 31 दिसम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार संचयी 2968859 प्रस्तावों को 1,41,878.14 करोड़ रु. की कुल स्वीकृत ऋण राशि के लिए गारंटी कवर के लिए अनुमोदित किया गया है।
अपेक्षित लाभार्थी	यह स्कीम नये एवं विद्यमान एमएसई पर लागू है।
आवंटित निधियां (2017–18)	3002.00 करोड़ रु. (बजट अनुमान)

ख. कौशल विकास एवं प्रशिक्षण

I. नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर)

विवरण	इस स्कीम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :– (i) नए रोजगार का सृजन करना और बेरोजगारी घटाना; (ii) भारत में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना; (iii) बुनियादी आर्थिक विकास (iv) अधूरी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ननप्रवर्तित व्यावसायिक कठिनाई को कम कर सुगम बनाना, और (v) एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को सशक्त करने के लिए इनोवेशन को बढ़ावा देना। स्कीम के घटक हैं : (i) विभिन्न सरकारी/निजी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का एक डाटाबेस बनाना और बेहतरीन पद्धतियों तथा अनुभवों को साझा करने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करना। (ii) इंक्यूबेट्स की मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग के लिए जरूरी अपेक्षित कुशल मानव संसाधन विकसित करना। (iii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), केवीआईसी या कॅयर बोर्ड या भारत सरकार/राज्य सरकार का कोई किसी अन्य संस्थान/एजेंसी के अंतर्गत आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर (एलबीआई) स्थापित करना। (iv) तकनीकी/अनुसंधान संस्थानों, भारत सरकार के मंत्रालयों और प्राइवेट इंक्यूबेटर के माध्यम से बिजनेस (अ) आइडियाज प्रोग्राम का इंक्यूबेशन और वाणिज्यीकरण (vi) उन्नयन के लिए बिजनेस एक्सीलरेटर प्रोग्राम विचारों/इनोवेशन को सक्षम बनाने और इन्हें वाणिज्यिक उद्यमों में बदलने के लिए इनोवेटिव वित्त साधनों का प्रयोग कर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से स्टार्ट अप संवर्धन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना। **एलबीआई के उद्देश्य हैं :** (क) बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित करना ताकि पात्र युवाओं को विभिन्न कौशलों में पर्याप्त रूप से इंक्यूबेट किया जा सके और उन्हें अपना व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने का अवसर दिया जा सके। (ख) युवाओं को उद्यमिता और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना। (ग) अपने व्यवसाय उद्यम स्थापित करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से वित्त पोषण के साथ मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग प्रदान करना। (घ) नए निचले स्तर की प्रौद्योगिकी/आजीविका आधारित उद्यमों को बढ़ावा देना। **स्कीम में निम्नलिखित कार्यकलाप कवर हैं :** क. एनएसआईसी, केवीआईसी, कयर बोर्ड या कोई अन्य संस्था या भारत/राज्य सरकार की अन्य संस्था या एजेंसी द्वारा आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर मात्र संयंत्र एवं मशीनरी के लिए एलबीआई स्थापित करना (एनएसआईसी तथा अन्य के लिए 100 लाख रु. तथा पीपीपी के अंतर्गत पात्र एजेंसियों के लिए 50 लाख रु.)

	ख. प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर– 1. इंक्यूबेशन केंद्र • मौजूदा इंक्यूबेटर के लिए सहायता (इंक्यूटर कापेक्स के लिए 30 लाख रुपये) • नए इंक्यूबेटर की स्थापना (इंक्यूटर कापेक्स के लिए 100 लाख रुपये) 2. आइडियाज का इंक्यूबेशन (3 लाख रुपये प्रति आइडिया) 3. इनोवेटिव आइडिया से उद्यम का निर्माण (परिस्कीम लागत के 50% की दर से या 20 लाख प्रति सफल आइडिया, जो भी कम हो, की दर पर उद्यम निर्माण के लिए प्रति इंक्यूबेटर 1 करोड़ रुपये पर सीड कैपिटल निधि) 4. एक्सीलरेटर वर्कशॉप एनएसआईसी, केवीआईसी तथा कयर बोर्ड नोडल एजेंसियां ''रैपिड इंक्यूबेशन मॉडल'' की अनुकृति तैयार करने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त निजी साझेदार संस्थान एवं उद्यम भी एनएसआईसी, केवीआईसी या कयर बोर्ड, या भारत सरकार/राज्य सरकार की कोई अन्य संस्था/एजेंसी के साथ पीपीपी मोड के अंतर्गत आजीविका इंक्यूबेशन केन्द्र स्थापित कर सकते हैं। स्थितिः इस स्कीम को 2015–16 में शुरू किया गया था। 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार 62 आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर (टीबीआई) और 8 प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर (टीबीआई) के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं जिनमें से 33 एलबीआई चालू हो गए हैं। इन 70 इंक्यूबेटरों को दी जाने वाली कुल सहायता 106.20 करोड़ रु. है।
अपेक्षित लाभार्थी	(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अंतर्गत कार्यरत मौजूदा इंक्यूबेशन केंद्र या भारत सरकार/राज्य सरकारों के राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर के संस्थान (ख) नए इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना के लिए, उद्योग संघों सहित पात्र निजी संस्थान, शैक्षिक संस्थान, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं, विश्वविद्यालय, सरकारी उद्यमों और टेक्नोलॉजी पार्क, कृषि ग्रामीण क्षेत्र में इनोवेटिव/प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमिता के संवर्धन में प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड के साथ तकनीकी संस्थान
आबंटित निधियां (2017–18)	50.00 करोड़ रु.(बजट अनुमान)

ग. बुनियादी सुविधा

I.	परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की स्कीम (स्फूर्ति)
विवरण	इस स्कीम का उद्देश्य परंपरागत उद्योगों और कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित करना है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और उनकी दीर्घकालीन जीवनक्षमता, स्थायी रोजगार, ऐसे क्लस्टरों के उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाने, संबंधित क्लस्टरों के पारंपरिक कारीगरों को बेहतर कौशल से लैस करने, कारीगरों के लिए सामान्य सुविधाओं और बेहतर टूल्स तथा इक्विपमेंट का प्रावधान करने, स्टेकहोल्डरों की सक्रिय भागीदारी के साथ क्लस्टर शासन व्यवस्था को मजबूत कनाना और इनोवेटिव उत्पादों, बेहतर प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रक्रियाओं, बाजार आसूचना तथा सार्वजनिक–निजी भागीदारी के नए मॉडल बनाने के लिए सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम में तीन प्रकार के हस्तक्षेप शामिल हैं : i. **सॉफ्ट इंटरवेंशन** – सामान्य जागरूकता बनाने, परामर्श, कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए कार्यकलाप, एक्सपोजर दौरे, बाजार विकास पहलें, डिजाइन और उत्पाद विकास, इत्यादि। ii. **हार्ड इंटरवेंशन** – सामान्य सुविधा केंद्रों, कच्चे माल के भंडारों, उत्पादन अवसंरचना का उन्नयन, भंडारण सुविधाए टूल्स और प्रौद्योगिकी उन्नयन, आदि। iii. **सैद्धांतिक हस्तक्षेप** – ब्रांड निर्माण, नई मीडिया मार्केटिंग, ई–कॉमर्स पहलें, अनुसंधान व विकास, आदि के लिए एक क्रॉस कटिंग बेसिस पर हस्तक्षेप। किसी भी खास परियोजना के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता सॉफ्ट, किसी भी खास परिस्कीम के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता सॉफ्ट, हार्ड और थीमेटिक हस्तक्षेपों में सहायता करने के लिए अधिकतम 8 करोड़ रुपये तक होगी। <table><tr><th>क्लस्टरों का प्रकार</th><th>प्रति क्लस्टर बजट सीमा</th></tr><tr><td>हेरीटेज क्लस्टर (1000–2500 कारीगर)</td><td>8 करोड़ रुपये</td></tr><tr><td>प्रमुख क्लस्टर (500–1000 कारीगर)</td><td>3 करोड़ रुपये</td></tr><tr><td>मिनी क्लस्टर (500 कारीगरों तक)</td><td>1.5 करोड़ रुपये</td></tr></table> सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक सर्वोच्च तथा निगरानी निकाय के तौर पर स्कीम स्टीरिंग कमेटी का गठन किया है। केवीआईसी, कयर बोर्ड, निम्समे (हैदराबाद), आईईडी (उड़ीसा), आईआईई (गुवाहाटी), आईएमईडी, जम्मू और कश्मीर एवं केवीआईबी भी अपने–अपने क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए एजेन्सियां हैं। इसके अलावा कार्यान्वयन के लिए अन्य नोडल एजेन्सियों का पता लगाया जा रहा है। **स्थिति** : 2014 के दौरान 71 क्लस्टरों के विकास के लिए 149.44 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस स्कीम को नया रूप दिया गया। 78 क्लस्टरों को स्कीम संचालन समिति (एसएससी) द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन किया गया है और 72 डीपीआर को अंतिम अनुमोदन दिया गया है। कुल 32 कलस्टर उद्घाटन के लिए तैयार हैं जबकि सारी सीएफसी के कार्यकलापों को पूरा कर लिया गया है। 37 कलस्टरों को मार्च 2018 तक यानि 4 महीने के अंदर पूरा कर लिया जायेगा। इससे 59,900 कारीगरों को लाभ मिलने की आशा है। 72 कलस्टरों पर कुल 139.58 करोड रूपये की वित्तीय सहायता होगी। 60 क्लस्टरों में कुल 54091 कारीगरों के लाभान्वित होने की संभावना है और इन 60 क्लस्टरों के लिए कुल वित्तीय सहायता 118.63 करोड़ रुपये की होगी।
अपेक्षित लाभार्थी	गैर सरकारी संगठन (एनजीओ), केंद्र और राज्य सरकारों के संस्थान और अर्ध–सरकारी संस्थान, राज्य और केंद्र सरकार के क्षेत्र पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थान (पीआरआई), क्लस्टर विशिष्ट एसपीवी गठित करते हुए निजी क्षेत्र, क्लस्टर विकास करने की विशेषज्ञता वाले कारपोरेट और कारपोरेट रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) फाउंडेशन

आवंटित निधियां (2017–18)	75.00 करोड़ रु.

कंघमियम कयर जिओ टेक्सटाइल और मैटिंग क्लस्टर, तमिलनाडु

II. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी)

विवरण

मंत्रालय ने देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों और उनके समूहों में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा के साथ–साथ क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति के रूप में क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को अपनाया है।

स्कीम के उद्देश्य–

(i) एमएसई के स्थायित्व और विकास के लिए कुछ सामान्य मुद्दों जैसे प्रौद्योगिकी में सुधार, कौशल और गुणवत्ता, बाज़ार तक पहुँच, पूंजी के उपयोग इत्यादि के लिए सहायता देना।

(ii) एमएसई के क्षमता निर्माण के लिए स्वयं–सहायता समूह कनसोर्टिया के गठन, संघ के उन्नयन इत्यादि जैसी सहायता कार्यकलाप।

(iii) एमएसई की नई/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टर के बुनियादी ढांचों का सृजन/उन्नयन।

(iv) सामान्य सुविधा केन्द्रों (परीक्षण, प्रशिक्षण केंद्र, कच्चा माल डीपो, अपगामी प्रशोधन, पूरक उत्पादन प्रक्रिया इत्यादि) की स्थापना।

मुख्य गतिविधियां :

(i) 'सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफ़सी)' की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता।

(ii) महिला उद्यमियों के लिए 'सामान्य प्रदर्शनी केन्द्रों (सीडीसी)' की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता।

(iii) ढांचागत विकास परियोजना (नई/उन्नयन) के लिए आर्थिक सहायता।

स्थिति : वित्त वर्ष 2016–17 (31 दिसंबर, 2016 तक) में 3 सामान्य सुविधा केंद्र और 3 अवसंरचना विकास परिस्कीम पूरी कर ली गई हैं।

अपेक्षित लाभार्थी	i. 'सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफ़सी)' की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता – कार्यान्वयन एजेंसीयों जैसे राज्य सरकार के संगठन, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एमएसएमई क्षेत्र के विकास में लगे हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं अन्य संस्थान/एजेंसी। ii. महिला उद्यमियों के लिए 'सामान्य प्रदर्शनी केन्द्रों (सीडीसी)' की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता–महिला उद्यमी संघ। ढांचागत विकास परियोजना (नई/उन्नयन) के लिए आर्थिक सहायता – कार्यान्वयन एजेंसियाँ जैसे राज्य सरकार के संगठन। हल्दी क्लस्टर सांगली, महाराष्ट्र
आवंटित निधियां (2017–18)	बजट अनुमान– 184.00 करोड़ रु., संशोधित अनुमान– 184.00 करोड़ रु. (प्रस्तावित)।

घ. विपणन सहायता

I.	**एमपीडी, के अंतर्गत खादी संस्थानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्कीम**
विवरण	सरकार ने छूट की पूर्व स्कीम के बदले 01.04.2010 से एक लचीली, विकास को प्रेरित करने वाली और कारीगर केंद्रित बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम शुरू की है। एमडी, के अंतर्गत, संस्थानों को खादी और पॉलीवस्त्र के उत्पादन मूल्य के 20 प्रतिशत की दर पर आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे कारीगरों, उत्पादक संस्थानों और विक्रेता संस्थानों में 40:40:20 के अनुपात में बांटा जाना है। एमडी, ग्राहकों को प्रोत्साहन छूट देने के अलावा बिक्री केंद्रों, उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए इस सहायता का इस्तेमाल करने का लचीलापन प्रदान करता है। उत्पादन पर बाजार विकास सहायता (खादी व पोलि) की मौजूदा स्कीम और ग्रामोद्योग अनुदान के प्रचार, विपणन और बाजार संवर्धन (निर्यात संवर्धन सहित) और अवसंरचना (मार्केटिंग कांप्लेक्स/खादी प्लाजा के नए घटक सहित) के अतिरिक्त तत्वों को मिलाकर इस स्कीम को एमपीडी, के रूप में संशोधित किया गया है। संशोधित एमडीए (एमएमडीए) के अंतर्गत, मूल्य को लागत चार्ट से पूरी तरह अलग किया जाएगा और उत्पादकों को उत्पादन के सभी चरणों पर बाजार लिंक्ड मूल्यों पर बेचा जा सकता है। कारीगरों और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

	इसके अतिरिक्त, सेल्फ सस्टेनेबल उत्पादों के लिए उत्पादन और विपणन सहायता को समाप्त किया जाएगा। संशोधित एमडीए की गणना मुख्य लागत के 30% की दर पर की जाएगी (कच्चे माल की लागत और ग्रे कपड़े तक कंवर्जन शुल्क, साथ ही मार्जिन के बिना प्रोसेसिंग शुल्क स्थापना व्यय (25%) और ट्रेडिंग, बीमा तथा बैंक ब्याज (8%)। संशोधित एमडीए को उत्पादन संस्थानों (40%), विक्रेता संस्थानों (20%) और कारीगरों (40%) के बीच वितरित किया जाएगा। **स्थिति** : 2014–15 में केवीआईसी द्वारा एमडीए (खादी) के लिए 171.53 करोड़ रुपये वितरित किए गए। 2015–16 में, केवीआईसी द्वारा एमडीए (खादी) के लिए 167.74 करोड़ रुपये वितरित किए गए। वर्ष 2016–17 में केवीआईसी द्वारा एमडीए (खादी) को 33.53 करोड़ रूपये वितरित किये गये। 2016–17 (31 दिसंबर 2017 तक) के दौरान केवीआईसी द्वारा एमडीए (खादी) के लिए 328.31 करोड़ रुपये वितरित किए गए।
अपेक्षित लाभार्थी	वैध खादी प्रमाणपत्र वाले और ए+, ए, बी और सी के रूप में वर्गीकृत खादी संस्थान ही केवीआईसी से एमडीए अनुदान के लिए पात्र हैं।
आवंटित निधियां (2017–18)	340.00 करोड़ रु.

ड़. प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा प्रतिस्पर्धा

I. जेड प्रमाणन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए वित्तीय सहायता	
विवरण	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लाभ हेतु दिनांक 18.10.2016 को एक नई स्कीम जेड प्रमाणन स्कीम में एमएसएमई हेतु वित्तीय सहायता आरंभ की है। इस स्कीम को 491.00 करोड़ रु. की कुल परिस्कीम लागत के साथ 22,222 एमएसएमई में कार्यान्वित की जाएगी। इस स्कीम में एमएसएमई तथा जेड मूल्यांकन में उनके प्रमाणन के उद्देश्य जैसे एमएएसएमई में जीरो डिफेक्ट विनिर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, गुणवत्ता टूल/प्रणाली के रूपान्तरण तथा ऊर्जा कुशल विनिर्माण को बढ़ावा देना, एमएसएमई को गुणवत्ता उत्पादों के विनिर्माण के लिए सक्षम बनाना तथा उनके उत्पादों के गुणवत्ता मानदंडों के उन्नयन हेतु एमएसएमई को प्रोत्साहित करना तथा जीरो डिफेक्ट निर्माण प्रक्रिया को अपनाने की प्रक्रिया और पर्यावरण को प्रभावित किए बिना जीरो डिफेक्ट तथा जीरो इफेक्ट (जेड) विनिर्माण को बढ़ावा देने की परिकल्पना है। जेड विनिर्माण के बारे में एमएसएमई में पर्याप्त जागरूकता सृजित करने तथा जेड (कांस्य–रजत–स्वर्ण–हीरा–प्लैटिनम) हेतु उनके उद्यम के मूल्यांकन हेतु प्रोत्साहित करने तथा उनकी सहायता एक विस्तृत अभियान है। जेड मूल्यांकन के उपरांत एमएसएमई के विस्तृत रूप से क्षय को क्रय कर सकते हैं, उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं तथा आईओपी के रूप उनकी मार्किट बढ़ा सकते हैं, सीबीएसयू हेतु बन सकते हैं, अधिक आईपीआर रख सकता है, नए उत्पादों और प्रक्रिया इत्यादि को विकसित कर सकता है। 1 फरवरी, 2018 तक जेड प्रमाणन के अंतर्गत 10963 एमएसएमई पंजीकृत हैं। 5129 एमएसएमई ने ऑनलाइन स्वमूल्याकंन आरंभ किया जिसमें से अभी तक 1424 पूर्ण हो चुकी हैं। डेस्क टॉप मूल्यांकन के लिए 242 एमएसएमई ने शुल्क का भुगतान किया है तथा साईट मूल्यांकन हेतु 60 एमएसएमई ने शुल्क का

	भुगतान किया है जिनमें से रेटिंग समिति के समक्ष 38 मामले प्रस्तुत किए गए, 08 एमएसएमई को स्वर्ण प्राप्त हुए, 14 एमएसएमई को रजत प्राप्त हुए, 09 एमएसएमई को कांस्य प्राप्त हुए तथा 07 एमएसएमई को कोई रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। देश में एमएसएमई में जेड स्कीम को क्रियान्वित करने के लिए भारत की गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) एक राष्ट्रीय मॉनीटरिंग एवं क्रियान्वित ईकाई (एनएमआईयू) है।
अपेक्षित लाभार्थी	एमएसएमई
कार्यान्वयन	भारत की गुणवत्ता परिषद
आवंटित निधियां (2017—18)	17.6 करोड़ रु. (बजट अनुमान)

च. अन्य सेवाएं

I. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति हब

विवरण	विवरण सूक्ष्म और लघु उद्यम आदेश, 2012 के लिए विवरण यह हब केंद्रीय सरकार सार्वजनिक लोक प्रापण (प्रोक्यूरमेंट) खरीद नीति के अंतर्गत कर्तव्य पूर्ण करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों हेतु व्यावसायिक सहायता लागू व्यवसाय पृथाओं को ग्रहण करना तथा स्टैण्ड अप इंडिया पहल के लाभ उठाने के लिए उपलब्ध है। यह स्कीम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एनएसआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब के निम्नलिखित कार्य हैं : i. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यम और उद्यमियों के संबंध में सूचना एकत्रित करना, मिलान करना तथा प्रसारित करना। ii. कौशल प्रशिक्षण तथा ईडीपी के माध्यम से भावी एवं मौजूदा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के मध्य क्षमता निर्माण। iii. डीआईसीसीआई सहित उद्यम संगठनों तथा सीपीएसई, एनएसआईसी, एमएसएमई—डीआई सहित विक्रेता विकास। iv. प्रदर्शनियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों की प्रतिभागिता को बढ़ावा देना तथा इस उद्देश्य हेतु विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करना। v. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए परामर्श और पथ प्रदर्शन सहायता देना। vi. अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए राज्य तथा अन्य संगठनों के साथ कार्य करना ताकि ये उद्यम को इनसे लाभ प्राप्त हो सके। vii. लोक प्रापण (प्रोक्यूअरमेंट) खरीद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों की प्रतिभागिता सुविधा प्रदान करना, डीजीएसएंडडी को ई—प्लेटफार्म प्रदान करना तथा प्रगति को मॉनीटर करना। viii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए ऋण प्रदान करना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब स्कीम के दिशा—निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.msme.gov.in. पर उपलब्ध हैं। "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हब" राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एनएसआईसी), एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो कार्यान्वयन एजेंसी है, में स्थापित किया गया है। **स्थिति** : वर्ष 2016—17 के दौरान क्रमशः 671 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एमएसएमई तथा 96 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एमएसएमई को लाभांवित करते हुए प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता/ 14 विदेशी दौरे तथा 58 घरेलू प्रदर्शनियों के लिए सहायता प्रदान की गई है। 38 विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिसमें 1561 एमएसएमई ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, विशेष कार्यनिष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम के अंतर्गत 395 इकाइयों को रेट किया गया तथा एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत 80 इकाइयों को पंजीकृत/नवीनीकृत किया गया।

सहायता की प्रकृति	निम्नलिखित उपस्कीमों के लिए एनएसएसएच के अंतर्गत वर्तमान में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है: • एक बिन्दु पंजीकरण स्कीम (एसपीआरएस) • विशेष विपणन सहायता स्कीम (एसएमएएस) • कार्यनिष्पादन और क्रेडिट रेटिंग स्कीम हेतु सब्सिडी (एसपीसीआरएस) विशेष क्रेडिट • लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस)
आवेदन प्रक्रिया	**कौन आवेदन कर सकता है:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिनके पास वैद्य उद्योग आधार ज्ञापन सं. (यूएएम सं.) है तथा जो एमएसएमई डाटाबैंक में नामांकित है, आवेदन करने के लिए योग्य है। **कैसे आवेदन करें:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को या तो (एनएसआईसी) की बेवसाइट www.nsicspronline.com पर अथवा निर्धारित आवेदन फार्म में अनु. लिपि तथा इकाई के निकटतम स्थित एनएसआईसी के संबंधित जोनल/शाखा कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए। **किससे संपर्क करें:** महाप्रबंधक (एसपीआरएस), एनएसआईसी लि. नई दिल्ली फोन: 011–26926275 ईमेल: sprs@nsic.co.in
अपेक्षित लाभार्थी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एमएसई तथा अनुसूचित जनजाति उद्यमी
आवंटित निधियां (2017–18)	60 करोड़ रु.

II. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में एमएसएमई को बढ़ावा देने की स्कीम।	
विवरण	**नए लघु प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करना तथा वर्तमान केन्द्रों का आधुनिकीकरण**– इस स्कीम में नए लघु प्रौद्योगिकी केन्द्रों को स्थापित करने तथा मौजूदा केन्द्रों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता की परिकल्पना है। वित्तीय सहायता की मात्रा मशीनों/उपकरणों भवनों की लागत के 90% के बराबर है, यह 10.00 करोड़ रु. से अधिक नहीं है, भारत सरकार की निधि भूमि की लागत के लिए स्वीकार्य नहीं होगी। **नई तथा मौजूदा औद्योगिक भू–संपत्ति का विकास**– नई तथा मौजूदा औद्योगिक एस्टेट के विकास हेतु वित्तीय सहायता संरचना सुविधा की लागत का 80% है जो कि नई तथा मौजूदा औद्योगिक एस्टेट के विकास के लिए 8.00 करोड़ रु. से अधिक स्वीकृत नहीं की जाएगी। संरचना सुविधाओं में ऊर्जा वितरण प्रणाली, जल, दूर–संचार, जल निकासी एवं प्रदूषण नियंत्रण सुविधायें, सड़कें, बैंक, भंडारण तथा विपणन् आऊटलेट इत्यादि शामिल हैं। **अधिकारियों का क्षमता निर्माण**– एमएसएमई के बढावे और विकास ने कार्यरत अधिकारियों को विभिन्न प्रौद्योगिक प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एमएसएमई संस्थानों जैसे निम्समे, हैदराबाद एवं एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रति नियुक्त करके क्षमता निर्माण करना है। स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्क तथा बोर्डिंग/लॉजिंग का अधिकारियों का व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा इसका प्रशिक्षण संस्थानों को सीधे भुगतान किया जाएगा।

	अन्य कार्यकलाप– स्कीम की निधियों का प्रयोग विभिन्न कार्यकलापों जैसे कि अनुसंधान अध्ययन संस्थानों इत्यादि को सशक्त बनाने के लिए भी किया जा सकता है। यह शहद, बाँस, जैविक उत्पादों इत्यादि के क्षेत्रों में राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा विकास और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट रूप से बनायी गयी परिस्कीमें हो सकती हैं। पूर्वोत्तर तथा सिक्किम में कार्यरत सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने के लिए आईटी मॉड्यूल भी विकसित किया जा सकता है। ऐसा हस्तक्षेप 1.00 करोड़ रु. तक हो सकता है। **स्थिति** : 31 दिसम्बर, 2017 तक, इस स्कीम के अंतर्गत, 2.50 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं तथा त्रिपुरा सरकार को जारी किए गए हैं। असम सरकार को 1.45 करोड़ रु. तिनसुखिया में प्रौद्योगिकी केन्द्र के लिए स्वीकृत किए गए (असम सरकार के शेयर प्रदान करने के उपरांत स्वीकृत किया जाना है) तथा एनटीटीसी दीमापुर, नागालैंड के लिए 2.00 करोड़ रु. की दूसरी किस्त जारी करना प्रक्रिया में है।
अपेक्षित लाभार्थी	सभी एमएसएमई
आवंटित निधियां (2017–18)	5.00 करोड़ रु. (अनुमानित बजट)

पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिलाओं, दिव्यांगों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए लक्षित कार्यकलाप

5.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कार्यकलाप

5.1.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया बजट परिव्यय

5.1.1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुल निधि के 10% निर्धारित करने की सरकार की नीति के अनुपालन में वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान (बीई) में 648.20 करोड़ रु. का परिव्यय विशेष रूप से असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य के लिए रखा गया था।

5.1.1.2 एआरआई प्रभाग के लिए निर्धारित निधियां और मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्ष 2017–18 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जारी निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

तालिका 5-1: वर्ष 2014–15 से 2017–18 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु एआरआई प्रभाग के लिए जारी की गई निधियां

वर्ष	एआरआई प्रभाग के लिए बजट आवंटन (आरई)	पूर्वोत्तर क्षेत्र को 10% बजट आवंटन	व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र
2014-15	1500.00	151.00	101.40
2015-16	1754.18	175.40	163.47
2016-17	1717.55	171.76	143.25
2017-18	2065.48 (बीई)	206.55	175.36*

*दिनांक 31.12.2017 तक जारी ।

5.1.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योग आयोग

5.1.2.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और मानीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) का गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय और पूर्वोत्तर राज्यों में अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं। राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, पंजीकृत संस्थाओं, सहकारी समितियों और उद्यमियों के माध्यम से इस क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं

5.1.2.2 इन पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे ग्रामोद्योगों में वन आधारित उद्योग, मिट्टी के बर्तन, मधुमक्खी पालन, अनाज और दालों, फाइबर, फलों और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, साबुन, बढ़ईगीरी और लोहारी जैसी गतिविधियां और खादी और पॉलीवस्त्र शामिल हैं।

5.1.2.3 खादी और ग्रामोद्योग आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र में निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है :

- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। वर्ष 2016–17 में 141.91 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी से कुल 11690 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई। वर्तमान वर्ष अर्थात 2017–18 में (31.12.2017 तक) बेंकों ने कुल 3499 परियोजनाओं हेतु रु. 57.13 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सिडी संवितरित की।

- **आम आदमी बीमा योजना**– खादी कारीगरों/बुनकरों को बीमा प्रदान करने के लिए अभी तक कुल 5065 कारीगरों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग की आम आदमी बीमा योजना में शामिल किया गया है।

- **प्रदर्शनियाँ** – खादी और ग्रामोद्योग आयोग इन प्रदर्शनियों में भाग लेने वाली प्रतिभागी संस्थाओं को परिवहन सब्सिडी प्रदान करता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पादों के लिए खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में 10% स्थान के आरक्षण को भी जारी रखा है।

5.1.2.4 पूर्वोत्तर राज्यों में प्रधानमंत्री रोगजार सृजन कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन

प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम के तहत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या					
राज्य	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18 (31, दिस., 2017 तक)**
असम	29332	15535	9026	6028	1529
मेघालय	1386	3680	4824	329	46
मणिपुर	5277	829	2715	1265	319
त्रिपुरा	9074	6333	5355	2297	489
नगालैंड	4373	2407	4998	1018	825
मिज़ोरम	5050	6736	9072	425	133
सिक्किम	255	54	397	27	16
अरुणाचल प्रदेश	6570	2871	104	301	140

5.1.3 खादी और ग्रामोद्योग आयोग का पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास और उत्पादन

5.1.3.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में खादी और ग्रामोद्योगी उत्पाद का उत्पादन लगातार बढ़ा है। चित्र 5.2 से पता चलता है कि इस अवधि के दौरान क्षेत्र के अंतर्गत हर एक राज्य में खादी का उत्पादन बढ़ा है।

5.1.3.2 वर्ष 2012 से खादी और ग्रामोद्योग द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है। इस अवधि में हर एक राज्य में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि को चित्र 5–3 दर्शाता है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 46 खादी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से 10.47 लाख कारीगरों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में सम्पूर्ण जानकारी http://www.kviconline.gov.in/claims/artisanData/index.jsp पर उपलब्ध है :–

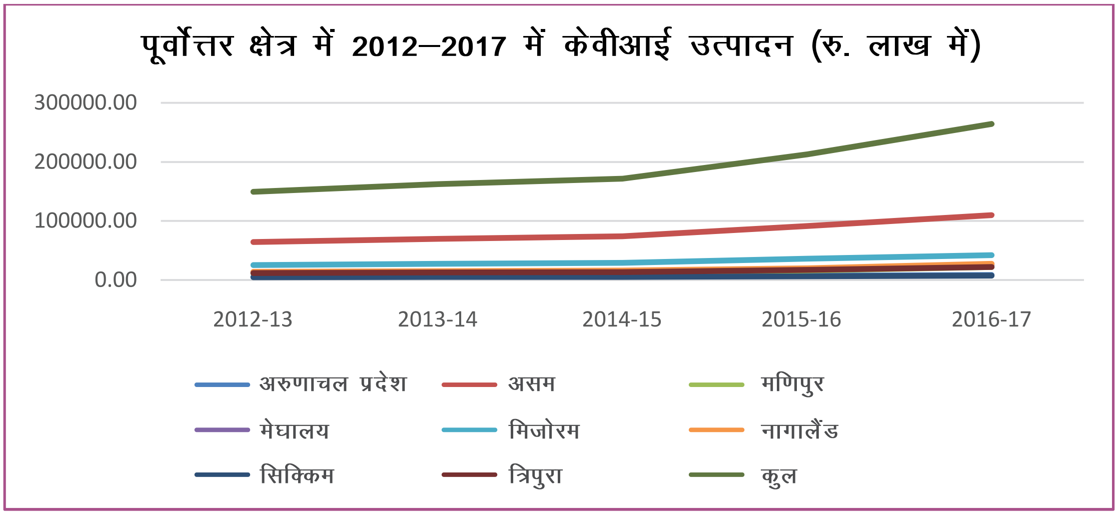

चित्र 5.2 : पूर्वोत्तर क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादन वर्ष (2012.17)

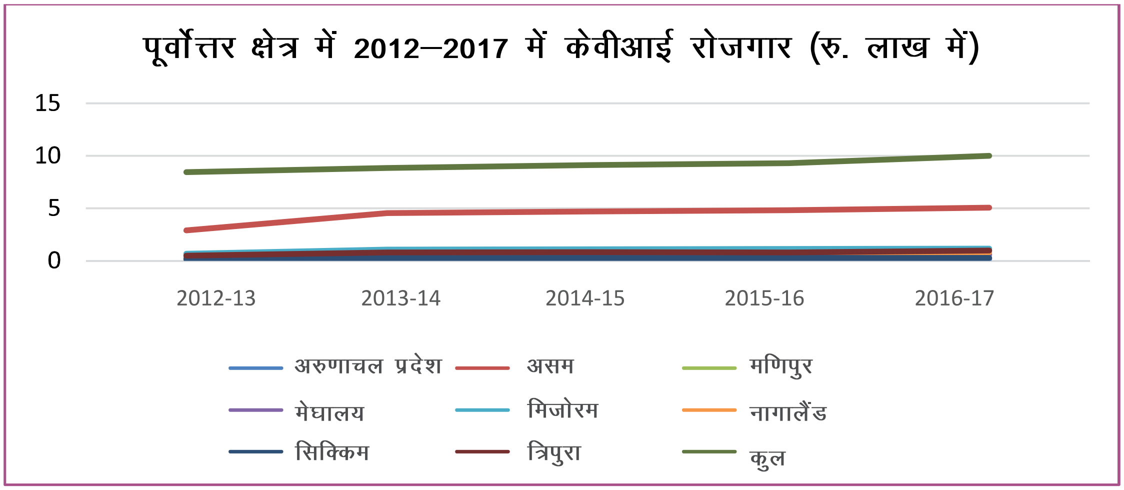

चित्र 5.3 : पूर्वोत्तर क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योगी रोजगार वर्ष (2012–17)

5.1.4 विकास आयुक्त–सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम

5.1.4.1 गंगटोक (सिक्किम); गुवाहाटी (असम); इम्फाल (मणिपुर); अगरतला (त्रिपुरा) में विकास आयुक्त (सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम) कार्यालय के एमएसएमई – विकास संस्थान और आइजोल (मिजोरम), दीमापुर (नागालैंड); ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश); दिफू (असम); सिलचर (असम); तेजपुर (असम); शिलांग (मेघालय) और तुरा (मेघालय) में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम–विकास संस्थान (डीआई) शाखाएं भी हैं ।

5.1.4.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की पहलों को सुदृढ़ करने के लिए विकास आयुक्त (सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम), सरकार भारत ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों को कार्यान्वित किया। निम्समे द्वारा कई प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं जिनका विवरण http://msme.gov.in/WriteReadData/eBook/EDP_Calendar_ Training_Programme_Final_Inner__2nd_Draft.pdf): पर उपलब्ध हैं :

- पूर्वोत्तर में सभी राज्य सरकार के पदाधिकारियों को विभिन्न नवीनतम योजनाओं के संबंध में संवेदी

बनाना (पीएमईजीपी, एसपीआईआरई, एमएसई–ईडीपी आदि)।

- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, पर्यटन आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में जिला उद्योग केंद्रों और अन्य विभागों और गैर–सरकारी संगठनों/एमएफआई के अधिकारियों को ईडीपी पर विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करना।
- मौजूदा एमएसएमई को उद्यम विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।
- स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इण्डिया एवं मुद्रा आदि जैसे भारत सरकार की अन्य फ्लैगशिप योजनाएं।

5.1.4.3 विकास आयुक्त – (सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम) कार्यालय की पहलें

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले/प्रदर्शनियों में भाग लेना–भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 100% स्थान किराया और किफ़ायती हवाई किराए की प्रतिपूर्ति करती है।
- एमएसई सीडीपी : पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों हेतु सीएफ़सी, 50% से अधिक क्लस्टर (क) सूक्ष्म/ग्राम (ख) महिला स्वामित्व वाली (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इकाइयों हेतु सरकारी अनुदान 90% है
- अवसंरचना विकास : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सीडीपी योजना के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अनुदान प्रदान करता है। भारत सरकार के अनुदान को 10 करोड़ रुपये की परियोजना लागत का 60% तक सीमित रखा गया है। तथापि, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 50% से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों/प्रतिष्ठानों की परियोजनाओं; क) सूक्ष्म (ख) महिलाओं की स्वामित्व वाली (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इकाइयों हेतु सरकारी अनुदान 80% है।
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत क्रमशः 2 सप्ताह और 6 सप्ताह की अवधि के 20% लक्षित ईडीपी और ईएसडीपी को विशेष रूप से कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग) के लिए आयोजित किए जाते हैं जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे प्रतिभागी के लिए वृत्तिका प्रदान की जाती है।

5.1.5 पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनएसआईसी

5.1.5.1 पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एनएसआईसी कार्यालयों का एक नेटवर्क है। इसमें गुवाहाटी में शाखा कार्यालय और तिनसुकिया (असम), इंफाल (मणिपुर) दीमापुर (नागालैंड); ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश); शिलांग (मेघालय) और अगरतला (त्रिपुरा) में उप–कार्यालय शामिल हैं। एनएसआईसी इनक्यूबेशन सेंटर, गुवाहाटी, फैशन डिजाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग/बेकरी, फैंसी बैग और स्कूल बैग विनिर्माण; सजावटी मोमबत्ती बनाना पाठ्यक्रम और कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग कार्यक्रम जैसे विभिन्न व्यवसायों (ट्रेडों) में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

5.1.5.2 एनएसआईसी–वर्ष 2016–17 के दौरान, एनएसआईसी ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत 21313 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। पिछले पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष में प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या संबंधी आंकड़े एवं अद्यतन सूचना मुहैया कराई जानी है।

5.2 महिलाओं के कल्याणार्थ गतिविधियां

5.2.1 एनएसएसओ के एनएसएस 73वें दौर के अनुसार देश में लगभग 1,23,905,523 महिलाओं की स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मौजूद हैं। चित्र 5–4 देश में पुरुष स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों

के वितरण के प्रतिशत को दर्शाता है। 20% से अधिक सूक्ष्म, लघु आर मध्यम उद्यमों का स्वामित्व महिलाओं के पास है।

5.2.2 इस प्रकार, मंत्रालय के संगठनों द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के विकास में तेजी लाने के लिए आवश्यक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला/सुविधा प्रदान करना है। तथापि, कुछ योजनाएं/कार्यक्रम व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुख हैं और कई योजनाएं ऐसी हैं जिनमें महिलाओं को अतिरिक्त लाभ/रियायत/सहायता प्रदान की जाती है। महिलाओं के लिए रियायत संबंधी जानकारी को मंत्रालय की वेबसाइट www.msme.gov.in पर उपलब्ध योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत देखा जा सकता है।

जेंडर ऑफ ऑनर (पुरुष/महिला) के स्वामित्व वाले एमएसएमई का राज्यवार वितरण (एनएसएस का 73वां दौर)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष स्वमित्व वाले सभी एमएसएमई के बीच राज्य का हिस्सा (प्रतिशत)	महिला स्वमित्व वाले सभी एमएसएमई के बीच राज्य का हिस्सा (प्रतिशत)
1	पश्चिम बंगाल	5583138	2901324	8484462	11.52	23.42
2	तमिलनाडु	3441489	1285263	4726752	7.10	10.37
3	तेलंगाना	1459622	972424	2432046	3.01	7.85
4	कर्नाटक	2684469	936905	3621374	5.54	7.56
5	उत्तर प्रदेश	8010932	862796	8873728	16.53	6.96
6	आंध्र प्रदेश	2160318	838033	2998351	4.46	6.76
7	गुजरात	2375858	826640	3202499	4.90	6.67
8	महाराष्ट्र	3798339	801197	4599536	7.84	6.47
9	केरल	1647853	495962	2143816	3.40	4.00
10	राजस्थान	2261127	380007	2641134	4.67	3.07
11	मध्य प्रदेश	2275251	370427	2645678	4.70	2.99
12	झारखंड	1250953	310388	1561341	2.58	2.51
13	ओडिशा	1567395	295460	1862856	3.24	2.38
14	पंजाब	1183871	224185	1408056	2.44	1.81
15	बिहार	3239698	168347	3408044	6.69	1.36
16	हरियाणा	831645	98309	929953	1.72	0.79
17	दिल्ली	827234	86742	913977	1.71	0.70
18	मणिपुर	86383	86604	172987	0.18	0.70
19	जम्मू और कश्मीर	624056	74785	698841	1.29	0.60
20	छत्तीसगढ़	727203	71201	798403	1.50	0.57
21	असम	1128411	66665	1195076	2.33	0.54
22	हिमाचल प्रदेश	329595	50368	379963	0.68	0.41
23	मेघालय	72191	39462	111653	0.15	0.32
24	त्रिपुरा	179169	28042	207212	0.37	0.23
25	पुडुचेरी	65350	27072	92422	0.13	0.22
26	उत्तराखंड	380000	20964	400964	0.78	0.17
27	नागालैंड	65778	20865	86643	0.14	0.17
28	मिजोरम	20439	13698	34137	0.04	0.11
29	गोवा	57133	10815	67948	0.12	0.09
30	अरुणाचल प्रदेश	16153	6274	22427	0.03	0.05
31	चंडीगढ़	44321	5560	49881	0.09	0.04
32	सिक्किम	20880	5036	25916	0.04	0.04
33	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14302	4026	18328	0.03	0.03
34	दादरा और नगर हवेली	12900	2629	15529	0.03	0.02
35	दमण और दीव	5880	1560	7441	0.01	0.01
36	लक्षद्वीप	1384	488	1872	0.00	0.00
37	**कुल**	**48450722**	**12390523**	**60841245**	**100.00**	**100.00**

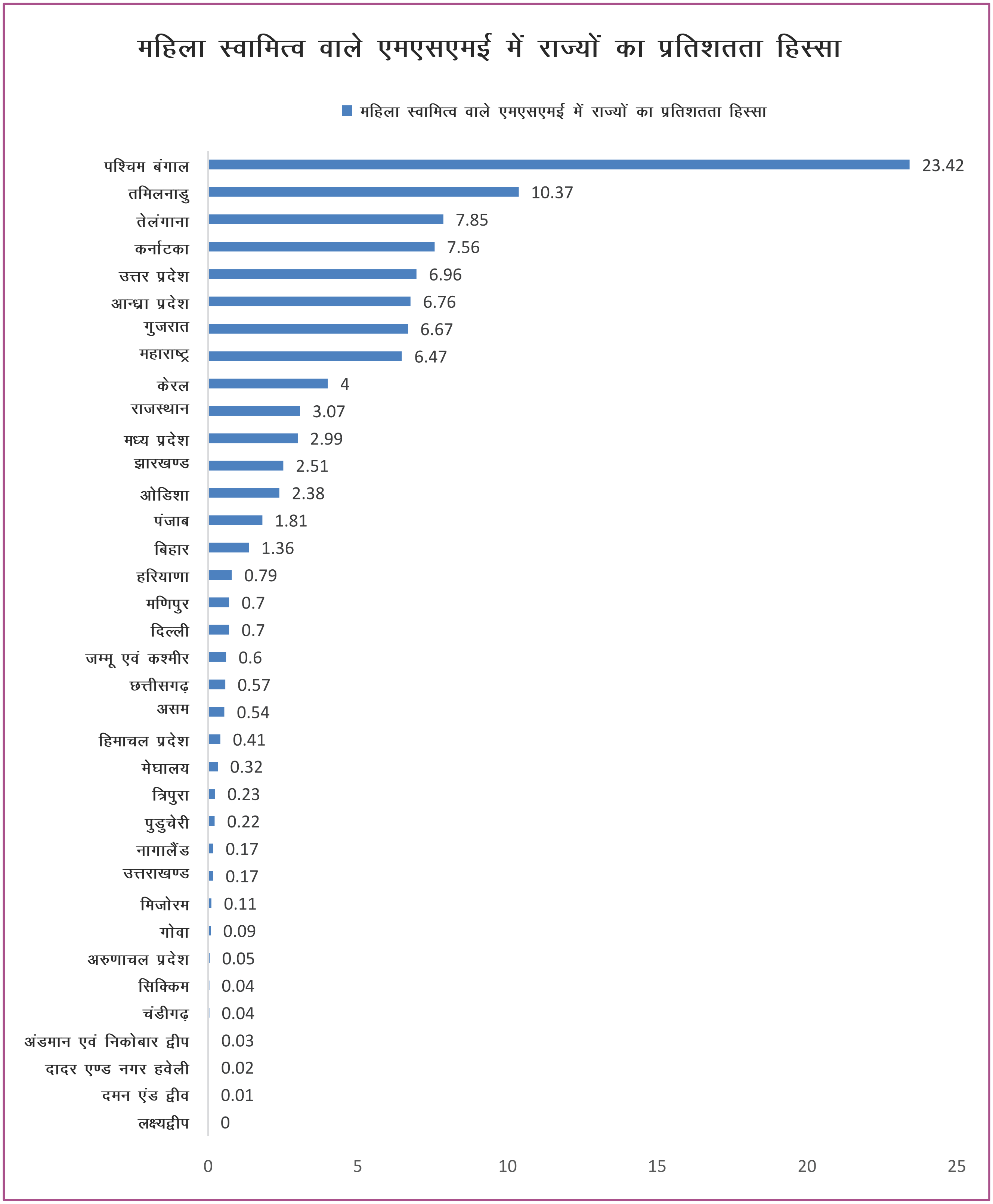

चित्र 5—4 : महिला एमएसएमई वाले एमएसएमई का प्रतिशतता हिस्सा

5.2.3 **पीएमईजीपी** – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को छूट दी जाती है। आरंभ से (अर्थात् 2008–09 से 31.12.2016) तक 116447 परियोजनाओं को पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला उद्यमियों को सहायता दी गई है। विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए महिला लाभार्थियों की संख्या पर आंकड़े निम्नलिखित हैं:

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (31.12.2017 तक)
पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला लाभार्थी	13612	13448	13394	11356	14768	8464*

*अनंतिम

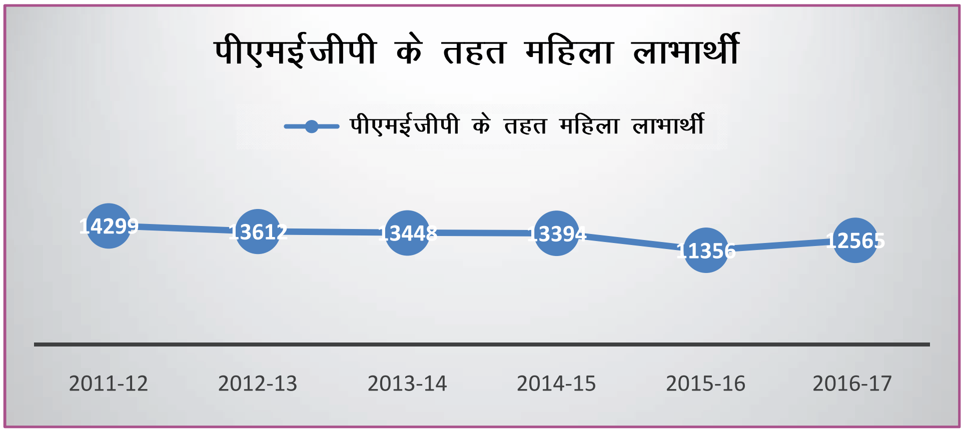

चित्र 5.5 : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत महिला लाभार्थी 2011–17

5.3 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कल्याण

5.3.1 यह मंत्रालय उक्त विषय पर अनुदेशों के अनुसार आरक्षण रोस्टर का अनुरक्षण कर रहा है। मंत्रालय और इसके सम्बद्ध कार्यालय विकास आयुक्त (एमएसएमई) के दिव्यांग व्यक्तियों के 100 पॉइन्ट रोस्टर से सृजित रिक्तियों को भरने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को नियमित रूप से सूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अन्य सुविधाएं (जैसे वाहन भत्ता) भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों को भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

5.3.2 एनएसआईसी और निम्समे उद्यमिता विकास के विभिन्न क्षेत्रों और संबंधित प्रशिक्षण मॉड्यूल में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक आरक्षण/वरीयता प्रदान कर रहे हैं।

5.4 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

5.4.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उचित विकास संवर्धित करने के लिए आर्थिक वृद्धि के इंजन के रूप में विश्व–भर में स्वीकार किया गया है। यह अनुमान किया जाता है कि मूल्य के सन्दर्भ में देश के सूलमउ क्षेत्र में विनिर्माण उत्पादन का लगभग 45% तथा कुल निर्यात का 40% योगदान है। सूलमउ देश के निर्यात संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार में अपनी विशेष पहचान बनाए रखने के लिए सूलमउ वैश्विक प्रतिस्पर्धी बने रहना है। उनके लिए यह आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, मांगों में परिवर्तन, नए बाजारों का उद्भव आदि के कारण उभरने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें स्वयं निरंतर अद्यतन करना है।

5.4.2 दक्षता और गतिशीलता से इस क्षेत्र ने हालिया आर्थिक मंदी के दौर में भी प्रशंसनीय नवप्रवर्तन और समायोजन की क्षमता का प्रदर्शन किया है। तथापि, सूलमउ वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। नियमित वृद्धि दर्ज करने तथा बहुतायत में उच्च कौशल प्राप्त श्रम–शक्ति के आधार पर, भारत घरेलू और विदेशी दोनों निवेशों के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराता है। इस संभावना का दोहन करने के लिए, सूलमउ मंत्रालय और उसके संगठन अपनी विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार, विदेशी प्रौद्योगिकी, अनुभवों का साझा और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के बेहतरीन प्रबंधन परम्पराओं आदि के एक्सपोज देकर भारतीय सूलमउ क्षेत्र को सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रयास को जारी रखते हुए, सूलमउ मंत्रालय ने 19 देशों के साथ लम्बी अवधि की संधियों, समझौता ज्ञापन, संयुक्त कार्य–योजना की व्यवस्था की है। ये देश हैं ट्यूनिसिया, रोमानिया, रवांडा, मेक्सिको, उजबेकिस्तान, लेसोथो, श्रीलंका, अल्जीरिया, सूडान, कोटे डी आई वरी, मिश्र, दक्षिण कोरिया गणराज्य, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, इंडोनेशिया, वियतनाम, मारीशस, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात।

5.4.3 विदेशी गण्यमान्य व्यक्तियों एवं प्रतिनिधि मंडलों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं विकास आयुक्त (सूलमउ) तथा एनएसआईसी जैसे इसके संगठन दो देशों के एमएसएमई के परस्पर लाभ के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के साथ चर्चाएं करते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के संदर्भ में ऐसी बैठकों/चर्चाओं का ब्योरा नीचे दिया गया है :

- श्री क्रिश्चियन डीआईएमए, रोमानिया के राष्ट्र सचिव, व्यवसाय पर्यावरण के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिव (सूलमउ) से दिनांक 10 अप्रैल, 2017 को नई दिल्ली में मुलाकात की एवं एमएसएमई क्षेत्र में दो देशों के बीच सहयोग से संबंधित मामलों पर चर्चा की।

- माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दूसरी भारत मॉरीशस संयुक्त समिति बैठक एवं अंतर्राष्ट्रीय एसएमई नवप्रवर्तन एवं प्रौद्योगिकी मेला 2017 में भाग लेने के लिए 12–14 मई, 2017 को मॉरीशस दौरा किया। तकनीकी सहायता, भारत से विशेषज्ञों का दौरा तथा मॉरीशस में संस्था स्थापित करने के लिए अनुदान मांगते हुए मॉरीशस की ओर से कई प्रस्ताव किए गए। भारतीय पक्ष ने एनएसआईसी तथा एनएसआईसी के समकक्ष संगठन स्मेडा की सक्रिय भागीदारी से वर्चुअल प्रौद्योगिकी एक्सचेंज केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव किया। माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मॉरीशस के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मेंटर मंत्री तथा रक्षा मंत्री से मुलाकात की तथा एमएसएमई क्षेत्र, आर्थिक विकास, आदि से संबंधित द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की।

- महामहिम सुश्री एन लिंडे, माननीय यूईयू कार्य एवं व्यापार मंत्री, स्वीडन ने नई दिल्ली में 18 मई, 2017 को माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के बारे में चर्चा की।

- महामहिम इंजी यारूब कुदा, माननीय उद्योग और व्यापार आपूर्ति मंत्री, जॉर्डन गणराज्य सरकार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में दिनांक 5 जुलाई, 2017 को माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री से मुलाकात की एवं एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।

- श्री इलजून ली, उपनिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रभाग, लघु और मध्यम व्यवसाय प्रशासन (एसएमबीए),

कोरिया गणराज्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में 20 जुलाई, 2017 को श्रीमतीअलका नांगिया अरोड़ा, संयुक्त सचिव, (एसएमई) , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से मुलाकात की एवं एनएसआईसी, नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने के संबंध में चर्चा की।

- अन्य अधिकारियों के साथ–साथ डॉ. बेहजाद सोल्तानी, प्रेसिडेंट एवं चेयर बोर्ड इनोवेशन एवं प्रॉस्पेरिटी फंड (आईपीएफ) के नेतृत्व में एशिया प्रशांत प्रौद्योगिकी अंतरण केन्द्र (एपीसीटीटी), भारतीय इस्लामिक गणराज्य राष्ट्रीय फोकल पॉइंट से एक छः सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में दिनांक 12 सितम्बर, 2017 को डॉ. अरूण कुमार पंडा, सचिव (सूलमउ), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से मुलाकात की एवं एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।
- श्री गिरिराज सिंह माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अप्रवासी दिवस 2017 को मार्क करने हेतु संस्मरण उत्सव में भाग लेने के लिए 1–3 नवम्बर, 2017 तक मॉरीशस का दौरा किया तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने हेतु सरकारी अधिकारियों से भी मुलाकात की।
- श्री हुँग यंग, कार्यकारी निदेशक, आर्थिक प्रभाग, ताइवान के नेतृत्व में एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 13 नवम्बर, 2017 को नई दिल्ली में श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा, संयुक्त सचिव (एसएमई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से मुलाकात की।
- महामहिम श्री सियारजुद्दीन हामीद युसुफ, राजदूत, सूडान गणराज्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 27 नवम्बर, 2017 को डॉ. अरूण कुमार पंडा, सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से मुलाकात की एवं एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

सामान्य सांविधिक दायित्व

6.1 राजभाषा

6.1.1 भारत संघ का अपनी राजभाषा के रूप में देवानागरी लिपि में हिंदी का प्रयोग संविधानिक दायित्व है। सरकार की नीति का उद्देश्य सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाना है। वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन, वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए।

6.1.2 सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति हुई है। मंत्रालय की वेबसाइट : http://msme.gov.in/mobhin/home.aspx. हिंदी में है। विकास आयुक्त के कार्यालय की वेबसाइट भी http://laghuudyog.gov.in/. हिंदी में है।

6.1.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज जैसे सामान्य आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा, करार, निविदा फॉर्म एवं सूचना, संकल्प, नियम, ज्ञापन/कार्यालय ज्ञापन, प्रशासनिक रिपोर्ट और संसद के एक या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागजात द्विभाषी अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए गए। विभागीय प्रयोग के लिए सामान्य आदेश हिंदी में जारी किए गए। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए गए।

6.1.4 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में दिनांक 10.11.2017 को हिंदी सलाहकार समीति की बैठक का आयोजन किया गया और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की संयुक्त सचिव (प्रभारी.हिंदी) की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति पहले ही गठित है। इस समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं तथा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए गए हैं।

6.1.5 हिंदी में पत्राचार : 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित राज्य सरकारों, केन्द्र शासित प्रदेशों तथा केन्द्र सरकार के कार्यालयों को यथा संभव पत्र हिंदी में ही जारी किए गए। इसी प्रकार, वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों को हिंदी में पत्र भेजे गए। सितम्बर, 2017 को समाप्त अवधि की तिमाही में 'क' क्षेत्र में लगभग 88 प्रतिशत, 'ख' क्षेत्र में 88 प्रतिशत और 'ग' क्षेत्र में 80 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया गया।

6.1.6 हिंदी में कार्य के लिए निर्दिष्ट अनुभाग : सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन और भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) कार्यालय में एक पूर्णकालीन हिंदी अनुभाग है। हिंदी में शत् प्रतिशत काम करने के लिए 18 अनुभाग विनिर्दिष्ट किए गए।

6.1.7 निगरानी तथा निरीक्षण : राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है। वर्ष के दौरान सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग और राजभाषा नीति का अनुपालन

सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अनुभागों के साथ–साथ नियंत्रणाधीन कार्यालयों, कयर बोर्ड, कोच्चि एवं केन्द्रीय कयर अनुसंधान संस्थान, अलप्पुझा में राजभाषाई निरीक्षण किए गए।

6.1.8 संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा बीकानेर स्थित खादी और ग्रामोद्योग आयोग कार्यालय में राजभाषाई निरीक्षण किया गया और समिति द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए जिन्हें अनुपालन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संबंधित कार्यालयों में परिचालित किया गया है।

6.1.9 हिंदी माहः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में 14 सितंबर 2017 से 13 अक्तूबर 2017 तक हिंदी माह मनाया गया। सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित तथा प्रेरित करने के उद्देश्य से हिंदी टंकण, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, सामान्य हिन्दी, हिन्दी भाषण, हिंदी कविता पाठ और अनुभागों में हिंदी कार्य तथा श्रुतलेख आदि विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस अवधि के दौरान हिन्दी कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में बहुत से अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हिंदी दिवस, 2017 के अवसर पर माननीय गृह मंत्री, माननीय सूलमउ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और मंत्रिमण्डल सचिव के संदेश अनुपालन एवं सूचनार्थ मंत्रालय सहित सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित किए गए।

6.1.10 सांविधिक निकायों में हिंदी का प्रयोगः

6.1.10.1 खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) : खादी और ग्रामोद्योग आयोग, (मुख्यालय) मुम्बई में एक पूर्णकालीन हिंदी विभाग है जो राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन एवं उसके अनुपालन के लिए समय.समय पर जारी दिशा निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेवार है। 14.09. 2017 से 28.09.2017 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसके दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और इस अवधि के दौरान आयोजित पाँच प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। आयोग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें एवं हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की गई। आयोग की वेबसाइट द्विभाषी है। आयोग में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का पूर्ण अनुपालन किया जाता है।

6.1.10.2 कयर बोर्ड: कयर बोर्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अंग है। जो अपनी सभी स्थापनाओं में संघ की राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने में प्रयासरत

है। राजभाषा कार्यान्वयन से स्टाफ को अवगत कराने एवं उनके सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यालय में रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। आंतरिक लेखा परीक्षा निरीक्षणों के साथ.साथ कयर भवनों/बोर्ड के उपकार्यालयों में राजभाषायी निरीक्षण किए गए। दिसम्बर, 2017 तक आठ कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें 70 तथा 21 कर्मचारियों /अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

6.1.10.3 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) : राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। दिल्ली स्थित निगम के कार्पोरेट कार्यालय में पर्याप्त स्टाफ के साथ एक पूर्णकालीन हिंदी अनुभाग कार्यरत है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में राजभाषा कार्यान्वयन समति की बैठकें और हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की गई। वर्ष के दौरान 01 सितंबर, 2017 से 15 सितम्बर, 2017 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

6.1.10.4 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमगिरी) : संस्थान में 14 सितम्बर, 2017 से 27 सितम्बर, 2017 तक हिंदी पखवाडां आयोजित किया गया। इस अवधि के दौरान 'हिंदी की वर्तमान स्थिति और चुनौतियां', 'सरकारी हिंदी के विविध पहलू' 'सोशल मीडिया में हिंदी' तथा 'दक्षिण भारतीय राज्यों–तमिलनाडु में हिन्दी का संवर्धन' जैसे विषयों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से इनमें भाग लिया एवं अपने विचार व्यक्त किए।

संस्थान में राजभाषा के संवर्धन एवं कार्यान्वयन के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की गईं।

6.2 सतर्कता

6.2.1 मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग का प्रधान संयुक्त सचिव स्तर के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जो कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं अन्वेषण एजेंसियों के परामर्श से सभी सतर्कता मामलों के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करता है।

6.2.2 मंत्रालय सेवारत अधिकारियों में व्यापक सतर्कता जागरूकता सृजित करने पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश/अनुदेशों का कार्यान्वयन कर रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, मंत्रालय/संबद्ध कार्यालय/संगठनों में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त कुल संदर्भ/सतर्कता शिकायतों का उत्तर दिया गया/निपटाया गया।

6.2.3 सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्तूबर, 2017 से 4 नवम्बर, 2017 तक मनाया गया।

6.2.4 सतर्कता प्रभाग मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठनों के कर्मचारियों द्वारा अधिमानतः अपीलों के साथ.साथ इन संगठनों के कर्मियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों आदि पर लगाई गई शास्तियों का कार्य भी देखता है। प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य भी किए जाते हैं :–

i. एसपीएआरआरओडब्ल्यू https://sparrow.eoffice.gov.in की ऑनलाइन पद्धति सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों (एपीएआरएस) का रख–रखाव।

ii. लोकपाल के अंतर्गत कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति रिटर्न विवरण और सूचना सहित केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के अंतर्गत आने वाले सभी मामले।

iii. बंधक पत्र/विलेख को सुरक्षित संरक्षा।

iv. प्रशासनिक उद्देश्य के लिए सतर्कता निकासी।

6.2.5 रिपोर्ट के अंतर्गत इस अवधि के दौरान, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से लगभग 90 प्रतिशत शिकायतें बंद की गई, जहां लागू हो। कई शिकायतों की जांच प्रगति पर है।

6.3 नागरिक चार्टर

6.3.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए नागरिक/ग्राहक चार्टर तैयार किया गया है और उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इस चार्टर में, सूलमउ मंत्रालय की घोषणा, भारत के आम लोगों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मिशन और वचनबद्धता शामिल है।

6.3.2 भूतल (द्वार संख्या – 4 और 5 के बीच), निर्माण भवन, नई दिल्ली स्थित मंत्रालय का सूचना तथा सुविधा काउंटर आपको मंत्रालय तथा इसके संगठनों की सेवाओं तथा कार्यकलापों पर सूचना प्रदान करता है। यह आरटीआई आवेदक से, आरटीआई आवेदन पत्र और शुल्क, यदि कोई हो, प्राप्त करता है।

6.3.3 स्व–रोजगार पर वार्षिक रिपोर्ट और हैंडबुक प्रकाशित की गई हैं जो संभावित उद्यमियों, नीति निर्माताओं और अन्यों की सूचना के लिए उपलब्ध हैं। मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.msme.gov.in संगठनों की सभी संगत सूचना एवं लिंक उपलब्ध कराती है।

6.3.4 मंत्रालय के नागरिक/ग्राहक चार्टर का विस्तृत ब्योरा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6.3.5 शिकायतें : नागरिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएपीआरजी) ने लोक शिकायतों के लिए एक पोर्टल http://pgportal.gov.in सृजित किया है। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत इस पोर्टल पर दर्ज कर सकता है। डीएपीआरजी, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा प्राप्त सभी शिकायतें इस पोर्टल/सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित मंत्रालय को अग्रेषित की जाती हैं। अन्य मंत्रालयों/अधीनस्थ संगठनों से संबंधित शिकायत ऑनलाइन अंतरित की जा सकती हैं। सूलमउ मंत्रालय, विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. तथा सभी 24 जिम्मेदार केन्द्रों को http://pgportal.gov.in पर लिंक उपलब्ध कराया गया है। सूलमउ मंत्रालय और इसके संगठन शिकायतों पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्रालय ने मंत्रालय में प्राप्त अन्य शिकायतों तथा सुझावों का पता लगाने एवं मॉनीटर करने के लिए एमएसएमई इंटरनेट शिकायत मॉनीटरिंग प्रणाली भी शुरू की है। सूचना तथा सुविधा काउंटर तथा शिकायत प्रकोष्ठ का पता, दूरभाष तथा फैक्स नंबर नीचे दिए गए हैं :

विवरण	वेबसाइट पते	संगठन
1. अपर विकास आयुक्त, **विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, कमरा संख्या–716, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108 दूरभाष–संख्या–23061277 फैक्स नम्बर–23061804** **2. सूचना एवं सुविधा काउंटर गेट संख्या–4, भूतल, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108 दूरभाष–23062219**	www.msme.gov.in	सूलमउ मंत्रालय
	www.dcmsme.gov.in	विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) कार्यालय
	www.nsic.co.in	एनएसआईसी, नई दिल्ली
	www.nimsme.org	निम्समे, हैदराबाद
	www.kvic.org.in	केवीआईसी, मुम्बई
	www.coir-india.com	कयर बोर्ड, कोच्चि
	www.mgiri.org	एमगिरी, वर्धा

6.4 सूचना का अधिकार :

6.4.1 सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना लेने के लिए नागरिक किसी कार्य दिवस गेट संख्या 4 और 5, निर्माण भवन, (विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय) नई दिल्ली के बीच स्थित लोक सूचना अधिकारी (आरटीआई) से संपर्क कर सकते हैं। आरटीआई अनुरोधों और अपीलों से संबंधित सूचना नीचे दी गई हैः–

तालिका 15 : प्राप्त आरटीआई आवेदनों का ब्योरा और उनकी स्थिति का ब्योरा

	प्राप्त अनुरोध	अस्वीकृत	प्रदान की गई सूचना	अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित	वापस	लंबित अनुरोध
अप्रैल, 2017 –31 दिसम्बर, 2017	255	0	125	121	9	0
2016–17	518	0	224	267	27	0

तालिका 16 : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपीलों का ब्योरा

	अथ (ओ. पिनिंग) शेष	प्राप्त अपीलें	की जाने वाली प्रारंभिक कार्रवाई	उपलब्ध कराई सूचना	आवेदक को वापस की गई	लंबित अपील
अप्रैल, 2017–31 दिसम्बर, 2017	0	1	0	1	0	0
2016-17	0	15	0	15	0	0

6.4.2 मंत्रालय और मंत्रालय के अधीनस्थ संगठनों के अन्य लोक प्राधिकारियों के संबंध में पूर्ण सूचना मंत्रालय की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड की जाती है। सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी के ब्यौरे संबंधित कार्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। मंत्रालय और इसके संगठनों के नोडल सीपीईओ की अद्यतन सूची अनुबंध–4 पर दी गई है।

6.5 यौन शोषण का निवारण

- कार्यस्थल (निवारण एवं समाधान) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन शोषण में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय में एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है।
- वर्ष 2017–18 (अर्थात् दिसम्बर, 2017 तक) आंतरिक शिकायत समिति के पास कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया तथा आईसीसी के पास कोई मामला लंबित नहीं है।
- शिकायतों को सीधे फाइल करने के लिए महिला कर्मचारियों को समर्थ करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली – 'SHe-box' (यौन शोषण इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स) का मंत्रालय द्वारा अपने कर्मचारियों तथा संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों में व्यापक प्रचार किया गया है।

1. वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 और 2017–18 के दौरान योजना आवंटन और व्यय

(करोड़ रु. में)

मदें	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
क. एसएमई प्रभाग				
बजट अनुमान	227.00	129.28	310.99	121.00
संशोधित अनुमान	200.00	143.82	160.73	------
व्यय	192.42	131.11	121.50	71.01 *
ख. एआरआई प्रभाग				
बजट अनुमान	2042.00	1651.22	1825.00	2065.48
संशोधित अनुमान	1500.00	1744.18	1717.54	----
व्यय	1427.08	1655.03)	1686.39	1781.94 *
ग. विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय				
बजट अनुमान	1058.00	832.01	864.00	4295.48
संशोधित अनुमान	800.00	732.00	3107.93	----
व्यय	771.69	661.42	1365.12	3531.91 *
कुल बजट अनुमान	**3327.00**	**2612.51**	**2999.99**	**6481.96**
कुल संशोधित अनुमान	**2500.00**	**2620.00**	**4986.20**	-
कुल व्यय	**2391.19**	**2447.56**	**3173.01**	**5384.86***

*(31.12.2017 तक)

2. नोडल केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	केंद्रीय जनसूचना अधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष संख्या (सर्व/श्री)	अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष संख्या (सर्व/श्री)	विषय–वस्तु
1.	मगन लाल अवर सचिव, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली 23063293	एल. हौकिप निदेशक 23061431	संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबधित सभी आर टी आई आवेदनों का वितरण करना। केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों की विषय वार सूची www.msme.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2.	आर. सी. टली, निदेशक, विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय, निर्माण भवन नई दिल्ली। 011–23062992	शान्तनु मित्र अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली। 011–23062477	संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों में विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय से संबधित सभी आर टी आई आवेदनों का वितरण करना। केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों की विषय वार सूची www.dcmsme.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।
3.	मनोज लाल मुख्य महाप्रबंधक, एनएसआईसी लिमिटेड, एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली–110020 011– 26926275, manojlal@nsic.co.in	ए.के. मित्तल निदेशक वित, एनएसआईसी लिमिटेड, एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली 011– 26310549, dfin@nsic.co.in	संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड से संबधित सभी आर टी आई आवेदनों का वितरण करना। केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों की विषय वार सूची www.nsic.co.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।
4.	एन मुरलिया किशोर, सहायक रजिस्टार, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई–एमएसएमई), युसुफगुडा, हैदराबाद– 500045 040–23633260 ar@nimsme.org	डा. जी.पी. वल्लभ रेड्डी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई–एमएसएमई), युसुफगुडा, हैदराबाद–500 045 040–23633203, cao@nimsme.org	राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संस्थान से संबंधित सभी मामले। केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों का ब्योरा वेबसाइट www.nimsme.org पर उपलब्ध है।
5.	अमित पुरा चोबिन, सहायक निदेशक, केवीआईसी, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम) मुम्बई 022–26711037	श्री ओम प्रकाश, निदेशक, केवी. आईसी, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई 022–26713538	संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संबधित सभी आर टी आई आवेदनों का वितरण करना। केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों की विषय वार सूची वेबसाइट www.kvic.org.in पर उपलब्ध है।
6.	श्रीमती अनीता जैकब, उप निदेशक, कयर बोर्ड, कॅयर हाउस, एम.जी.रोड, कोच्ची–682016 0484–2351807	के. आनंद बाबू, संयुक्त निदेशक (योजना), कॅयर बोर्ड, कॅयर हाऊस, एम.जी. रोड, कोच्ची–682016 0484–2351807	कयर बोर्ड से संबंधित सभी मामले। केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों का ब्योरा www.coirbord.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

7.	डा. एम.पटनायक, उपनिदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, मगन वाडी, वर्धा–442001 07150–253512	डॉ. पी.बी. काले, निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, मगन वाडी, वर्धा–442001 07152–253512,13 director.mgiri@gmail.com	एमगिरि से संबंधित सभी मामले। केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों का ब्योरा www.mgiri.org वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3. एमएसएमई मंत्रालय और इसके सांविधिक निकायों के संपर्क पते

क्र. सं.	संगठन का नाम और पता	वेबसाइट	ई–मेल	टेलीफोन	फैक्स
1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली–110 107	www.msme.gov.in	min-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061726 23061068
2	विकास आयुक्त, एमएसएमई कार्यालय , 7 वीं मंजिल ए– विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110 108	www.dcmsme.gov.in; www.laghu-udyog.com; www.smallindustry.com	dc-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061726 23061068
3	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), 'ग्रामोदय' 3, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई – –400056, महाराष्ट्र	www.kvic.org.in	kvichq@bom3.vsnl.net.in, ditkvic@bom3.vsnl.net.in, dit@kvic.gov.in	022-26714320-25/ 26716323/ 26712324/ 26713527-9/ 26711073/ 26713675	022-26711003
4	कयर बोर्ड, 'कयर हाउस', एम.जी. रोड, एर्नाकुलम, कोच्चि–682016, केरल	www.coirboard.nic.in, www.coirboard.gov.in	coir@md2.vsnl.net.in, coirboard@vsnl.com	0484-2351807, 2351788, 2351954, 2354397	0484-2370034
5	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	www.nsic.co.in	info@nsic.co.in,	011-26926275 26910910 26926370 Toll Free 1-800-111955	011-26932075 26311109
6	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, (निम्समे) युसूफगुडा, हैदराबाद– 500 045	www.nimsme.org	registrar@nimsme.org	040-23608544-46 23608316-19	040-23608547 23608956 23541260
7	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, मगनवाड़ी, वर्धा–442001	www.mgiri.org	director.mgiri@gmail.com	0752-253512	0752-240328

4. एमएसएमई.विकास संस्थान और शाखा एमएसएमई.विकास संस्थान की राज्य.वार सूची

क्र. सं.	राज्य	संस्थान का नाम	स्थिति	पता	दूरभाष संख्या	फैक्स सं.	ई–मेल आई.डी.
1	अंडमान और निकोबार (संघ राज्य क्षेत्र)	शाखा एमएसएमई.वि.सं.	पोर्ट ब्लेयर	डॉलीगंज इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पी.ओ. जंगल घाट, पोर्ट ब्लेयर.744103	03192-252308		brdcdi-pprt@dcmsme.gov.in jangammouli@yahoo.com
2	आंध्र प्रदेश	शाखा एमएसएमई.वि.सं.	विशाखापटनम	एफ.19–22, ब्लॉक डी आईडीए, ऑटोनगर, विशाखापटनम .530012	0891-2517942 /2701061	0891-2517942	brdcdi-vish@dcmsme.gov.in
3	तेलंगाना	एमएसएमई.वि.सं.	हैदराबाद	नरसापुर क्रॉस रोड, बाला नगर, हैदराबाद–500 037	040-23078857	040-23078857	dcdi-hyd@dcmsme.gov.in
4	अरुणाचल प्रदेश	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	ईटानगर	एपीआईडीएफसी बिल्डिंग, 'सी' सेक्टर, ईटानगर –791111	0360-2291176	0360-2291176	brmsme.itan@gmail.com
5	असम	एमएसएमई–वि.सं.	गुवाहाटी	इंडस्ट्रीयल एस्टेट, एम.आर. डी. रोड़, पी.ओ. बामुनीमैदान, गुवाहाटी–781021	0361-2550052, 2550298	0361-2550298	dcdi-guwahati@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	सिलचर	लिंक रोड़ प्वाइंट, एन.एस. एवेन्यू सिलचर–788006	03842-247649	03842-241649	brdcdi-silc@dc-msme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	दिफू (कर्बी एन्गलोंग)	अमलीपती, कर्बी एन्गलोंग, दिफू–782460	03761-272549	03671-272549	brmsmediphu@gmail.com
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	तेजपुर	दरंग कालेज रोड़, तेजपुर–784001	03712-221084	03712-221084	brdcdi-tezp@dcmsme.gov.in
6	बिहार	एमएसएमई–वि.सं.	मुजफ्फरपुर	संस्थान, गोशाला रोड़, पी.ओ. रमना, मुजफ्फरपुर–842002.	0621-2282486 /2284425	0621-2282486	dcdi-mzfpur@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	पटना	पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पटना –800013	0612-2262568	0612-2262719	dcdi-patna@dc-msme.gov.in
7	छत्तीसगढ़	एमएसएमई–वि.सं.	रायपुर	उरकुरा रेलवे स्टेशन के निकट, भानपुरी औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर (छत्तीसगढ़)–492001	0771-2427719	0771-2422312	dcdi-raipur@dcmsme.gov.in
8	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	एमएसएमई–विस्तार केंद्र	सिलवासा	मासत औद्योगिक एस्टेट, सिलवासा –396230	0260-2640933	0260-2640933	brdcdi-silv@dc-msme.gov.in
9	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	एमएसएमई विस्तार केन्द्र	नई दिल्ली	बाल सहयोग केंद्र, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली			dcdi-ndelhi@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	नई दिल्ली	शहीद कैप्टन गौड़ मार्ग, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट के सामने, नई दिल्ली–110 020.	011-26847223, 26838369,	011-26838016	dcdi-ndelhi@dcmsme.gov.in
10	गोवा	एमएसएमई.वि.सं.	मडगांव	कोंकण रेलवे स्टेशन के सामने (क्यूपेम रोड़), मडगांव–403 601.	0832-2705092	0832-2710525	dcdi-goa@dcmsme.gov.in

क्र. सं.	राज्य	संस्थान का नाम	स्थिति	पता	दूरभाष संख्या	फैक्स सं.	ई–मेल आई.डी.
11	गुजरात	एमएसएमई.वि.सं.	अहमदाबाद	हरसिद्ध कैम्बर, चतुर्थ तल, आश्रम रोड़, अहमदाबाद (गुजरात)–380014	079-27543147, 27544248	079-27540619	dcdi-ahmbad@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई.वि.सं.	राजकोट	तृतीय तल, एनेक्सी बिल्डिंग, अमृता (जसानी) बिल्डिंग परिसर, गिरनार सिनेमा के निकट, एमजी रोड़, राजकोट–360001	0281-2471045	0281-2471045	brdcdi-rajk@dcmsme.gov.in
12	हरियाणा	एमएसएमई.वि.सं.	करनाल	11–ए, औद्योगिक विकास कालोनी, आईटीआई, कुंजपुरा रोड़ के निकट करनाल–132 001	0184-208100/ 2208113	0184-2208114	dcdi-karnal@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई.वि.सं.	भिवानी	आईटीआई कैम्पस, हांसी रोड़, भिवानी–125021.	01664-243200	01664-243200	brdcdi-bhiw@dcmsme.gov.in
13	हिमाचल प्रदेश	एमएसएमई.वि.सं.	सोलन	इलेक्ट्रॉनिक काम्पलेक्स, चम्बाघाट, सोलन–173213.	01792-230265	01792-230766	dcdi-solan@dc-msme.gov.in
14	जम्मू और कश्मीर	शाखा एमएसएमई.वि.सं.	जम्मूतवी	इंडस्ट्रियल एस्टेट डिगियाना, जम्मू तवी–180010	0191-2431077	0191-2431077	dcdi-jammu@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई.वि.सं.	जम्मू	36, बी/सी, गांधी नगर, जम्मू–180004.	0191-2431077	0191-2450035	dcdi-jammu@dcmsme.gov.in
15	झारखंड	शाखा एमएसएमई.वि.सं.	धनबाद	कटरास रोड़, मटकुरिया, धनबाद–826001.	0326-3063380	0326-23063380	brdcdi-dhan@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई.वि.सं.	रांची	इंडस्ट्रियल एस्टेट, कोकर, रांची–834001	0651-2546133	0651-2546235	dcdi-ranchi@dcmsme.gov.in
16	कर्नाटक	एमएसएमई.वि.सं.	हुबली	इंडस्ट्रीयल एस्टेट, गोकुल रोड़, हुबली–580 030	0836-2330389, 0836-2332334	0836-2330389	dcdi-hubli@dc-msme.gov.in
		एमएसएमई.वि.सं.	बैंगलुरू	राजाजी नगर, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, बंगलौर–560 010.	080-23151540, 080-23151581, 080-23151582	080-23144506	dcdi-bang@dc-msme.gov.in
		शाखा एमएसएमई.वि.सं.	मंगलूर	एल–11 इंडस्ट्रियल एस्टेट, येय्याडी, मंगलूर–575005	0824-2217936		brdcdi-mang@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई.वि.सं.	गुलबर्गा	सी–122, इंडस्ट्रियल एस्टेट, एम.एस.के. मिल रोड़, गुलबर्गा–585102.	08472-420944		bsjawalgi@yahoo.co.in
17	केरल	एमएसएमई.वि.सं.	त्रिशूर	कंजनी रोड़, अय्यानतोल, त्रिशूर–680003	0487-2360686/638/	0487-2360536/216	dcdi-thrissur@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई.टीआई	तिरूवल्ला	मंजड़ी पीओ, तिरूवला, पतनमतिटा–689105	0469-2701336	0469-2701336	msmeti@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई टीआई/टीएस	एट्टुमानूर	पीबी.सं.. 7, एट्टुमानूर, कोटायम–686631, केरल	0481-2535563	0481-2535523	msmeti-ettu@dcmsme.gov.in

क्र. सं.	राज्य	संस्थान का नाम	स्थिति	पता	दूरभाष संख्या	फैक्स सं.	ई–मेल आई.डी.
18	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	एमएसएमई. न्यूक्लियस सेल	लक्षद्वीप	अमीनी, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप–682552.	04891-273345		brdcdi-laks@ dcmsme.gov.in
19	मध्य प्रदेश	शाखा एमएसएमई.वि.सं.	ग्वालियर	7, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, तानसेन रोड़, ग्वालियर–474004	0751-2422590		brdcdi-gwal@ dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई.वि.सं.	रीवा	उद्योग विहार, चोरहटा, रीवा–486001.	0766-2222448		brdcdi-reva@ dcmsme.gov.in
		एमएसएमई.वि.सं.	इंदौर	10 इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पोलो ग्राउंड, इंदौर–452015	0731-2421659/ 0731 2421037	0731-2420723	dcdi-indore@ dcmsme.gov.in
20	महाराष्ट्र	शाखा एमएसएमई.वि.सं.	औरंगाबाद	32–33, एमआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र, चीकल थाना औरंगाबाद–431210.	0240-2485430	0240-2484204	brdcdi-aura@ dcmsme.gov.in
		एमएसएमई.वि.सं.	मुंबई	कुरिया अंधेरी रोड़, साकीनाका, मुंबई–400072	91-22-28576090	91-22-28578092	dcdi-mumbai@ dcmsme.gov.in
		एमएसएमई.वि.सं.	नागपुर	ब्लॉक–सी, सीजीओ काम्पलेक्स, सेमिनारी हिल, नागपुर–440006	0712-2510352	0712-2511985	dcdi-nagpur@ dcmsme.gov.in
21	मणिपुर	एमएसएमई.वि.सं.	इम्फाल	सी–17 / 18, तकयेलपट, इंडस्ट्रीयल एस्टेट इम्फाल–795 001.	0385-2416220		dcdi-imphal@ dcmsme.gov.in
22	मेघालय	शाखा एमएसएमई.वि.सं.	तूरा	डकोपगरे टी वी टॉवर के निकट, तूरा–794101	03651-222569	03651-222569	brdcdi-tura@ dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई.वि.सं.	शिलांग	बी.के. बजोरिया स्कूल के सामने, शिलांग–793001.	0364-2223349	0364-2223349	brdcdi-shil@ dcmsme.gov.in
23	मिजोरम	शाखा एमएसएमई.वि.सं.	ऐजवाल	शाखा एमएसएमई.वि.सं., कॉलेज वेंग, हाउस नं. वी–37, टैक्सी स्टेंड के निकट, ऐजवाल–796001.	0389-2323448		brdcdi-aizw@ dcmsme.gov.in
24	नागालैंड	शाखा एमएसएमई.वि.सं.	दीमापुर	इंडस्ट्रीयल एस्टेट, दीमा. पुर–795001.	03862-248552	03862-248552	brdcdi-dima@ dcmsme.gov.in
25	ओड़िशा	एमएसएमई.वि.सं.	कटक	विकास सदन, कालेज स्क्वायर, कटक–753 003.	0671-2548077	0671-2548006	dcdi-cuttack@ dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई.वि.सं.	रायगढ़	आर के नगर, रायगढ़–765004.	06852-222268	06856-235968	brdcdi-raya@ dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई.वि.सं.	राउरकेला	सी–9, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, राउरकेला–769004.	0661-2507492	0661-2402492	brdcdi-rour@ dcmsme.gov.in
26	पंजाब	एमएसएमई.वि.सं.	लुधियाना	प्रताप चौक के निकट, संगीत सिनेमा के सामने, औद्योगिक क्षेत्र–बी, लुधियाना–141003.	0161-2531733, 734	0161-2533225	dcdi-ludhiana@ dcmsme.gov.in
27	राजस्थान	एमएसएमई.वि.सं.	जयपुर	22 गोदम इंडस्ट्रीयल एस्टेट, जयपुर–302006.	0141-2210553, 2212098	0141-2210553	dcdi-jaipur@ dcmsme.gov.in

क्र. सं.	राज्य	संस्थान का नाम	स्थिति	पता	दूरभाष संख्या	फैक्स सं.	ई–मेल आई.डी.
28	सिक्किम	एमएसएमई.वि.सं.	गंगटोक	तदोंग बाजार, एनएच–10, के के सिंह बिल्डिंग, पीओ तदोंग, गंगटोक–737102.	03592-231880	03592-231262	dcdi-gangtok@dcmsme.gov.in
29	तमिलनाडु	एमएसएमई.वि.सं.	चेन्नई	65 / 1, जी.एस.टी. रोड़, गुइंडी, पो.बा. 3746, चेन्नई–600 032	044-22501011/12 /13	044-22341014	dcdi-chennai@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई.वि.सं.	कोयम्बटूर	386, पटेल रोड़, राम नगर, कोयम्बटूर	0422-2230426	0422-2233956	brdcdi-coim@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई.वि.सं.	तूतीकोरिन	सं. 6 जयराज रोड़, तूतीकोरिन 628003.	0461-2375345		dcdi-chennai@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई.वि.सं.	तिरूनवेली	शेड नं. 7 और 8 इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पेट्टई तिरूवेनली–627010.	0462-2342137		Brmsmedi-tin@gmail.com
30	त्रिपुरा	एमएसएमई.वि.सं.	अगरतला	एमएसएमई.वि.सं.ए इंद्रनगर (आईटीआई प्ले ग्राउंड के निकट), पो.बा. कुंजाबन, अगरतला–7999006	0381-2326570		dcdi-agartala@dcmsme.gov.in
31	उत्तर प्रदेश	एमएसएमई.वि.सं.	आगरा	34, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, नुनहाई, आगरा–282 006	0562-2280879/2280882	0562-2523247	dcdi-agra@dc-msme.gov.in
		एमएसएमई.वि.सं.	इलाहाबाद	ई–17 / 18, उद्योग नगर, नैनी, इलाहाबाद–211 009	0532-2697468	0532-2696809	dcdi-allbad@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई.वि.सं.	कानपुर	107, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, काल्पी रोड़, कानपुर–208 012.	0512-2295070 2295071, 2295073.	0512-2240143	dcdi-kanpur@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई.वि.सं.	वाराणसी	चांदपुर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, वाराणसी.221106.	0542-2370621	0542-2371320	brdcdi-vara@dcmsme.gov.in
32	उत्तरांचल	एमएसएमई.वि.सं.	हल्द्वानी	खाम बंगला, कालाढूंगी रोड़, हल्द्वानी–263 139.	05946-221053, 220853	05946-228353	dcdi-haldwani@dcmsme.gov.in
33	पश्चिम बंगाल	एमएसएमई.वि.सं.	कोलकाता	111 और 112, बी.टी. रोड़, कोलकाता–700 108	033-25775531	033-25100524	ajoy1791@gmail.com dcdi-kolkata@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई.वि.सं.	सूरी (बीरभूम)	आर.एन. टैगोर रोड़, पुलिस लाइन के निकट, पीओ. सूरी, जिला.बीरभूम, पश्चिम बंगाल–731101	03462-255402	03462-255402	brdcdi-birb@dcmsme.gov.in snandy.msme@gmail.com
		शाखा एमएसएमई.वि.सं.	दुर्गापुर	आरए–39 (भूतल), उर्वशी (फेज 2), बंगाल अम्बुजा, ताराशंकर सरणी, सिटी सेंटर, दुर्गापुर–713 216.	0343-2547129		brdcdi-durg@dcmsme.gov.in dipakchanda900@hotmail.com
		शाखा एमएसएमई.वि.सं.	सिलीगुडी	इंडस्ट्रीयल एस्टेट, सेवोक रोड़, सेकंड माइल, सिलीगुड़ी–734 001.	0353-2542487		brdcdi-sili@dcmsme.gov.in monojit342@gmail.com

संकेताक्षर

एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एएबीवाई	आम आदमी बीमा योजना
एआरआई	कृषि एवं ग्रामीण उद्योग
एस्पायर	नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम
बीआई	व्यवसाय इंक्यूबेटर्स
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
सीसीए	कार्बन, क्रेडिट एकत्रीकरण केन्द्र
सीडीसी	सामान्य प्रदर्शन केन्द्र
सीएसओ	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीयूवाई	कॅयर उद्यमी योजना
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीसी (एमएसएमई)	विकास आयुक्त (एमएसएमई)
डीआईसी	जिला उद्योग केन्द्र
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
ईसी	आर्थिक गणना
ईईटी	ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी
ईएम-II	उद्यमी ज्ञापन भाग-II
ईएसडीपी	उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईपीएफसी	बौद्धिक संपदा सुविधा केन्द्र

आईएसईसी	ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र
केवीआईसी	खादी ग्रामोद्योग आयोग
एलआईसी	भारतीय जीवन बीमा निगम
एमएमडीए	संशोधित बाजार विकास सहायता
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्था
एमगिरी	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएसई.सीडीपी	सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम स्कीम
एमएसएमईडी एक्ट	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम
एनबीएमएसएमई	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड
एनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एनजीओ	गैर.सरकारी संगठन
एनआईडी	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान
एनआई.एमएसएमई	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनएसआईसी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
पीएमएसी	परियोजना मॉनीटरिंग एवं सलाहकार समिति
पीएमईजीपी	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीआरआई	पंचायती राज संस्था
क्यूसीआई	भारतीय गुणवत्ता परिषद्

आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरईबीटीआई	ग्रामीण अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग
एससी	अनुसूचित जाति
एसईबीआई	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
स्फूर्ति	परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम
एसएमएएस	विशेष विपणन स्कीम
एसएमई	लघु और मध्यम उद्यम
एसपीवी	स्पेशल परपज व्हीकल
एसएसपीआरएस	एकल बिंदु पंजीकरण सब्सिडी स्कीम
एसटी	अनुसूचित जन जाति
टीईक्यूयूपी	प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन
टीआरईएडी	व्यापार संबद्ध उद्यमिता सहायता एवं विकास
यूएएम	उद्योग आधार ज्ञापन

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

(आइएसओ 9001:2008 प्रमाणित संगठन)

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

www.msme.gov.in